तृतीय माला, खण्ड १०—अंक १२

गुरुवार, २२ नवम्बर, १९६२
१ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

P 73
12
5-1-63

3rd Lok Sabha

(खण्ड १० में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२१ से ३२३, ३२५, ३२७ से ३३६ और ३३८ .	१२४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२०, ३२४, ३२६, ३३७ और ३३९ .	१२७०—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७०० और ७०२ से ७७१ .	१२७२—१३०६
भारत चीन सीमान्त पर युद्ध-विराम के बारे में . .	१३०६—०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३०८—१०
लोक लेखा समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	१३१०
सदस्य की गिरफ्तारी	१३११
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	१३११
पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक . . .	१३११—१४
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जवाहरलाल नेहरू . .	१३११-१२
श्री रंगा . .	१३१२
श्री हरि विष्णु कामत .	१३१२-१३
श्री बड़े . . .	१३१३
श्री जोकीम आल्वा . .	१३१३
श्रीमती लक्ष्मी मेनन . . .	१३१३-१४
खंड २ से २० तथा १ . . .	१३१४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१३१४
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	
सभा का कार्य . . .	१३१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	१३१५—१८
श्री मनुभाई शाह :	१३१५
श्री बड़े	१३१५—१८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये]

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २२ नवम्बर, १९६२
१ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच रेंड़ बांध से प्राप्त होने वाली बिजली का वितरण

+

†*३२१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेंड़ बांध से प्राप्त होने वाली बिजली के उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच वितरण के बारे में अंतिम रूप से कोई हल निकल आया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत सूत्र का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सै० अ० मेहदी):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस प्रश्न पर समझौता संभवतः कब हो जायगा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क्या सुझाव दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के किसी सुझाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि इस प्रश्न पर आपस में विचार करने के लिये शीघ्र ही उनकी मुलाकात होने वाली है । मेरी दोनों के साथ बात चीत और पत्र व्यवहार हुआ है और पिछली बार जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आये थे तो उन्होंने वादा किया था कि वह उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

2337 (Ai) LSD—1

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय को मालम है कि इस संकटकाल में बिजली की किसी कमी के कारण कुछ उद्योगों को संभवतः नुकसान उठाना पड़ेगा और यदि हां, तो क्या दोनों राज्यों के बीच रेंड़ की बिजली के वितरण के लिए कोई निश्चय संभवतः किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे निश्चय करेंगे ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि यह मामला बहुत दिनों से मुलतवी होता जा रहा है और मध्य प्रदेश में काफी हानि हो रही है और मध्य प्रदेश में उससे काफी क्षोभ है, और क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि यह मामला जल्दी से जल्दी निपट जाय और कोई समझौता हो जाय ?

अध्यक्ष महोदय : कहा तो है कि वह इसको जल्दी से जल्दी ले रहे हैं ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जब यहां पर इस क्वश्चन पर जनरल डिस्कशन हुआ था, तो मैं ने उस वक्त भी कहा था और वादा कर दिया था कि मैं जल्दी खत्म करूंगा ।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : माननीय मंत्री की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ जो बात चीत हुई थी उसका क्या नतीजा निकला ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन की मुलाकात होने जा रही है यही नतीजा है ।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : क्या मंत्रालय ने बिजली के वितरण के संबंध में दोनों ही मुख्य मंत्रियों को एक साथ बैठकर मामला तय करने के लिए लिखा है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम दोनों के साथ पत्रव्यवहार कर रहे है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह मामला पिछले चार साल से खटाई में पड़ा हुआ है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें किसी समझौते पर सहमत नहीं हो सकीं इस के लिए क्या खास कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि उनकी फिर मुलाकात हो रही है । अगला प्रश्न

देश में बाढ़ के कारण महामारी

*३२२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के कारण महामारी न फैले इसके लिये सरकार ने कौन कौन से उपाय किये हैं ; और

(ख) महामारी किस सीमा तक रुकी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल टी –५८२ / ६२]** ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

श्री विभति मिश्र : सूचना को देखते हुए पता चलता है कि उस में यह नहीं लिखा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्टेटों को क्या मदद दी है। दूसरी बात यह है कि . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक ही प्रश्न क्यों न करें।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो एक था, लेकिन सरकार ने जवाब दिये पचास। आप जिस तरह से कहें उस तरह से मैं सवाल करूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जैसा सवाल पूछा है उस के हिसाब से जवाब लम्बा था और इसलिये उन्होंने स्टेटमेंट यहां रखा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट को देखने से यह पता नहीं चलता है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्टेटों को दवाओं के रूप में या रुपयों के रूप में क्या मदद दी है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस वक्त सरकार का मदद देने का तरीका अलग किस्म का हो गया है और करोड़ों रुपयों की मदद केन्द्रीय सरकार से अलग अलग किस्म के कामों के लिये स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलती है। उस के उपरान्त इस विषय में किसी और विशेष मदद की आवश्यकता स्टेट गवर्नमेंट्स को महसूस नहीं हुई है। चूंकि उन्होंने कोई और मदद मांगी नहीं है इसलिये हमारे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री विभति मिश्र : इस साल बाढ़ के बाद हम ने देखा कि मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। इस में और चीजों की दवा है लेकिन मच्छर रोकने के लिये कोई दवा नहीं है जो कि मलेरिया की जड़ है।

डा० सुशीला नायर : मच्छरों के लिये तो देश भर में मलेरिया उन्मूलम का विशेष कार्यक्रम चल रहा है उस में सैकड़ों हजार करोड़ रुपयों की मदद केन्द्रीय सरकार से स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है। यह कार्यक्रम बाढ़ के प्रदेशों में भी लागू होता है और दूसरे इलाकों में भी।

श्री विभूति मिश्र : मैं ने सवाल पूछा था कि चूंकि बाढ़ से मच्छर ज्यादा हो गये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ज़ी कहती हैं कि बाढ़ वाले मच्छर अलाहदा नहीं होते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : सम्भवतः मंत्रिणी जी पटना गई थीं और उस समय बिहार के मिनिस्टरों से बात की थी। तो क्या उन को मालूम हुआ था कि किन्हीं स्पेशल मेजर्स की जरूरत वहां है या नहीं? और ऐसा अगर है उन्होंने इस संबंध में क्या किया?

डा० सुशीला नायर : मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य किस कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं। बाढ़ के कार्यक्रम के बारे में तो मेरी कोई बात बिहार के मंत्रियों से हुई नहीं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं पूछ रहा था कि चूंकि जिन दिनों बिहार में बाढ़ आई हुई थी उन दिनों वे पटना गई हुई थीं और उन्होंने अपनी आंखों से वहां की विभीषिका को देखा था तो क्या इस संबंध में उन की कोई बातचीत वहां के चीफ मिनिस्टर या हैल्थ मिनिस्टर

से हुई थी कि वहां पर बीमारी न फैले और अगर फैले तो उस की उचित दवा हो? अगर हुई थी तो क्या प्रबन्ध किया गया जिस से कि वहां बीमारी बढ़े नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य अपनी अपनी स्टेट के लिये अलाहदा अलाहदा पूछेंगे तो यहां पर पन्द्रह स्टेट्स हैं, आखिर इस तरह से कहां तक चलेगा? उन की कोई चर्चा आपके चीफ मिनिस्टर से नहीं हुई थी, इस बारे में वे कह चुकी हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मंत्री महोदय को किसी राज्य से यह सूचना मिली है कि बाढ़ के कारण महामारी बढ़ गयी है?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं।

†**श्री शयाम लाल सर्राफ** : जब कोई महामारी फैलती है या उसके फैलने की संभावना होती है तो उनके लिये दवाइयां आदि प्राप्त करने के अलावा इस मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी है ?

†**डा० सुशीला नायर** : यदि बिलकुल ठीक ठीक कहा जाय तो स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सारी जानकारी संविधान में नहीं दी गयी है।

†**डा० सुशीला नायर** : वह सब संविधान में दिया हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

सोने का तस्कर व्यापार

+

†*३२३. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री उमा नाथ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दशरथ देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लखमू भवानी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२ में सोने का तस्कर व्यापार बढ़ गया है ;

(ख) क्या कलकत्ता और बम्बई में बीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कुछ विदेशी पकड़े गये हैं ;

(ग) क्या वर्ष १९६२ के आंकड़े १९६० और १९६१ के आंकड़ों की तुलना में हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ग). १९६०, १९६१, और १९६२ के पहले दस महीनों में क्रमशः ७६ लाख रुपये, २२० लाख रुपये और ११६ लाख रुपये की कीमत का चोरी से लाया गया सोना जब्त किया गया। जब कि धर पकड़ पहले से ज्यादा अच्छी है। यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि १९६२ में सोने का तस्कर व्यापार बढ़ गया है।

(ख) १९६२ के पहले दस महीनों में कलकत्ता और बम्बई सीमाशुल्क और भूमिसीमा-शुल्क ने सोने के तस्कर व्यापार के अपराध में ४४ विदेशियों को गिरफ्तार किया था।

(घ) सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिये कार्यान्वित किये गये उपाय बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]**

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सोने का भाव ६२ रु० ५० नये पैसे या ऐसा ही कुछ तय कर दिये जाने से सोने के चोरी छिपे व्यापार में कुछ कमी हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वह अन्तर्राष्ट्रीय भाव है जो हमने सरकारी तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि के आदेश के अधीन निर्धारित किया है। लेकिन उसका इस देश में बाजार भाव से जो कि बहुत ऊंचा है, कोई संबंध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तस्कर व्यापार पर इसका क्या असर पड़ा है ? वह यह जानना चाहते हैं कि उसमें कुछ कमी हुई है या नहीं।

†**श्री ब० रा० भगत** : तस्कर व्यापार गैर-सरकारी है। उसका बाजार भाव से कोई संबंध नहीं है। यदि बाजार भाव कम हो जाता है तो उससे तस्कर व्यापार के लिये प्रोत्साहन अवश्य ही कम हो जायगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में बताया गया है कि "तस्कर व्यापार विरोधी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिये केन्द्रीय सरकार में राजस्व गुप्तचर निदेशालय भी काम कर रहा है"।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निदेशालय कब से काम कर रहा है, क्या उसने तस्कर व्यापार रोकने के लिये कोई मार्गोपाय ढूंढ निकाले हैं और सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया है ?

†**श्री ब० रा० भगत**: यह निदेशालय कई वर्षों से काम कर रहा है। वह अधिकाधिक कार्यकुशल होता जा रहा है और उसे बाहर-भीतर से सभी जानकारी मिल रही है और वह अधिक अच्छे ढंग से अब उसका विश्लेषण कर सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जानकार क्षेत्रों का कहना है कि सालाना करीब ४० करोड़ रुपये के सोने का तस्कर व्यापार होता है। इस बारे में सरकार का क्या अनुमान है ? इस सोने के लिये किस प्रकार भुगतान किया जाता है ? जब तक कि उसके पीछे संगठित व्यापार और बड़ा उद्योग न हो तब तक उसके लिये किस प्रकार भुगतान किया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : उन्हें कई तरीकों से भुगतान किया जाता है । जैसा कि सदन को मालूम है हमने पहले फारस की खाड़ी में चलने वाले रुपये के नोटों को रद्द कर दिया जो भुगतान का बहुत बड़ा जरिया था। उसके बाद, बिना विदेशी मुद्रा के विदेशों में जाने वाले लोगों को वहां के भारतीय राष्ट्रजनों से ऊंची कीमतों पर रुपया मिलता था। वह भुगतान एक दूसरा तरीका था। बिना विदेशी मुद्रा के अनधिकृत प्रकार से विदेश जाने वाले लोगों को हमने रोका है। भुगतान के और तरीके भी हैं। भुगतान का ढंग समय समय पर बदलता है। जब हम एक तरीका बन्द कर देते हैं तो वे दूसरा शुरू कर देते हैं। इसलिये यह निरन्तर की एक प्रक्रियया है ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : सोने की खानों के अर्जन के लिये विधेयक का संशोधन प्रस्तुत करते समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा था कि तस्कर व्यापार को रोकने के उद्देश्य से सोने की कीमतें कम करने के लिये और कार्यवाही करने के बारे में सरकार सोच रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कीमतें कम करने के ख्याल से सरकार और क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अभी एक दिन पहले माननीय वित्त मंत्री ने घोषित किया था कि सोने की कीमतें कम करने के लिये वे कुछ कदम उठाने वाले हैं। सदन थोड़ा धैर्य रखे, जब कोई कार्यवाही की जायेगी तो उन्हें बता दिया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वित्त मंत्रालय के पास काफी गुप्तचर हैं। सोने के चोरी छिपे व्यापार के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ? माननीय मित्र द्वारा सुझाये गये तरीके को छोड़कर अदायगी का और कौन सा तरीका है ; क्या बीजक में ज्यादा दाम दिखाया जाता है और उसमें बड़े उद्योग का भी हाथ होता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : कई अनुमान लगाये गये हैं। लेकिन वे केवल अनुमान ही हैं। कुछ जानकार क्षेत्रों का अनुमान ३० करोड़ है जब कि कुछ अन्य क्षेत्रों का अनुमान ४० करोड़ रुपया है। वे सिर्फ स्थूल अनुमान हो सकते हैं और हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के एक वरिष्ट पुलिस अफसर ने जो अपराधों की और खासकर चोरी छिपे व्यापार की जांच करते रहे हैं यह लिखा है कि पुलिस और कुछ दूसरे कर्मचारी इसमें शामिल हैं और उनकी सांठ-गांठ से चोरी छिपे सोने का व्यापार होता है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यदि हमें मालूम हो जाय कि कुछ लोग उसमें सांठगांठ कर रहे हैं तो हम अवश्य उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि अधिकांश सोना विदेशी दूतावासों से आता है और यदि हां, तो सरकार ने इस बात के लिये क्या कदम उठाये हैं कि सोना दूतावासों के जरिये न आये ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह सच नहीं है कि अधिकांश सोना अनेक दूतावासों के जरिये आता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई और कलकत्ता के अलावा भी किसी और जगह पर फारिन स्मगलर्स पकड़े गए हैं ? अगर हां, तो कितने और कहां ?

श्री ब० रा० भगत : अगर माननीय सदस्य इसके बारे में अलग से नोटिस दें तो मैं जबाब दे सकता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चूंकि चोरी छिपे व्यापार बढ़ रहा है और सरकार इस से सम्बन्ध सभी केन्द्रों को बन्द नहीं कर सकती इसलिए क्या तस्कर व्यापार विरोधी कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह निष्कर्ष कि सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है, गलत है । इसके प्रमाण के लिए मेरे पास कोई संकेत नहीं है । जहां कहीं जरूरी था, प्रशुल्क पदाधिकारियों की संख्या बढ़ादी गयी है ।

जम्मू तथा काश्मीर में झेलम नदी जल-विद्युत योजना

+

*३२५. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में झेलम नदी जल-विद्युत् योजना के जिस प्रस्ताव पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा विचार किया जा रहा था, उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और बिजली मंत्रालय के सभा सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) : योजना कमीशन और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अधिकारियों ने योजना स्थल का हाल ही में निरीक्षण किया था, और यह पता चला है कि बिजली घर को पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में और अधिक अनुसन्धान करने चाहिएं। परियोजना अधिकारियों से यह प्रार्थना की गई है कि ये अध्ययन वे करें और इसके परिणाम केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेज दें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जांच पड़ताल जिस चाल से चल रही है उस के मुताबिक इसका अंतिम फैसला कब तक हो जाएगा, इसके बारे में क्या अन्दाजा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : बहुत ज्यादा देर तो लगने वाली नहीं है, मगर थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस योजना को राज्य सरकार चलाएगी और इसका निर्माण करेगी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका निर्माण अपने हाथ में लिया जाएगा ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : वह राज्य सरकार की योजना है । वह केन्द्रीय सरकार की नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊटी में सिंचाई और विद्युत् गोष्ठी

+

†*३२७. { श्री प्र० के० देव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री यो० ना० सिंह० :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उटकामंड में हुई सिंचाई और विद्युत् गोष्ठी में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ख) गोष्ठी में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप क्या निर्णय अथवा निष्कर्ष किए गए ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–५८३ / ६२]**

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ? अगला प्रश्न ।

श्री प्र० के० देव : उठे––

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । वह ज़रा देर से उठे ।

†**श्री रंगा** : वह खड़े हो चुके थे । आपने अगला प्रश्न पुकारने की जल्दी की ? आपने उनकी ओर देखा नहीं । जैसे ही वह खड़े हुए , आपने अगला प्रश्न पुकार लिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने दो बार इस तरफ़ व उस तरफ़ देखा और मुझे कोई भी खड़ा हुआ न दिखाई पड़ा । वह मेरे अगले प्रश्न पुकारने के साथ साथ उठे––माननीय सदस्य ने स्वयं तो कोई शिकायत नहीं की है । शायद वह ही उन्हें शिकायत करने के लिये मजबूर कर रहे हैं ।

†**श्री रंगा** : अपने साथियों की ओर से बोलना मेरा कर्तव्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

रूस से विद्युत् उत्पादन संयंत्रों का संभरण

+

†*३२८. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के उप-प्रधान मंत्री के हाल के दिल्ली के दौरे के बाद रूस से विद्युत् संयंत्रों का संभरण करने के सम्बन्ध में पुनरीक्षित कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजनावधि में अन्त तक कितना संभरण होगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ५० मेगावाट के सात एकक मूलतः निश्चयानुसार बिहार के पथराठू तापीय केन्द्र को उपलब्ध कर दिए जायेंगे ; और

(घ) पुनरीक्षित कार्यक्रम में शामिल आंकड़ों के बाद तीसरी योजना की विद्युत् उत्पादन क्षमता में कुल कितनी कमी रह जायेंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) और (घ). रूस द्वारा दिये जाने वाले वाष्प संयंत्र और उपकरण की क्षमता ९००मेगावाट होगी जिस में से ८०० मेगावाट बिजली चालू योजना को अवधि के अन्त तक संभवतः उपलब्ध होगी ।

(ग) ५०–५० मेगावाट के सात एककों की बजाय, ५०–५० मेगावाट के चार और १००–१०० मेगावाट के दो अर्थात् पहले स्वीकृत मात्रा से ५० मेगावाट अधिक, दिये जायेंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नहीं दिया गया है। हमें यह नहीं बताया गया है कि दिये गये संयंत्र प्राप्त हो जाने के बाद तीसरी योजना की अवधि में कितनी कमी रहेगी ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने बताया कि ९०० मेगावाट के लिये संयंत्र और उपकरण दिये जायेंगे और चालू योजना में ८०० मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी ।

श्री विभूति मिश्र : प्रश्न के भाग (सी) में यह पूछा गया था :

"क्या ५० मेगावाट के सात एकक बिहार के पथराटू तापीय केन्द्र को उपलब्ध कर दिये जायेंगे ।"

उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि बिहार के इस थर्मल स्टेशन को कितनी पावर मिलेगी ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : यह अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार में पथराटू थर्मल स्टेशन को कितनी पावार मिलेगी ?

†**श्री अलगेशन** : इस योजना में ५०–५० मेगावाट के चार यूनिट होंगे और एक यूनिट १०० मेगावाट का होगा अर्थात् ३०० मेगावाट बिजली मिलेगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ये संयंत्र प्राप्त होने और स्थापित किये जाने के बाद तीसरी योजना की अवधि में बिजली की कुल कितनी कमी रह जायगी ।

†**श्री अलगेशाम** : अभी यह नहीं बताया जा सकता ?

खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट

\+

†*३२९. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों में मिलावट और निम्न स्तर की औषधियों की बिक्री को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाय गये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(क) यह कितनी गंभीर समस्या है और गत तीन महीनों में किन-किन तथ्यों का पता लगा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस संबंध में माननीया स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उपमंत्री ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है और यदि हां, तो किन किन राज्यों का और क्या यह रोग दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम या योजना बनाई गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : हम ने भारतीय संघ के प्रायः सभी राज्यों का दौरा किया है । दूसरे अनेक कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम है । इस प्रश्न पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक में भी चर्चा हुई थी। उन सबका विचार नियंत्रण को और कड़ा बनाना और अपमिश्रण विरोधी विधियों की क्रियान्विति में सुधार करना है । यहां हम विधान को कठोर बनाने और उस में सुधार करने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यहां यह बताया गया है कि केवल एक ही राज्य में समस्या की गंभीरता का अनुमान लगाया गया है। क्या केन्द्रीय प्रसाशित क्षेत्रों में इस समस्या का अनुमान लगाया गया है ? विधान बनाने के मामले में और नियंत्रण कड़ा करने ने सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या नेतृत्व किया है ?

†**डा० सुशीला नायर** : यह नहीं कहा गया है कि केवल एक या दो ही क्षेत्रों में समस्या का अनुमान लगाया गया है। कहा यह गया है कि एक जगह को छोड़कर और कहीं समस्या के बढ़ जाने का समाचार नहीं मिला है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है कि अनेक समितियों ने सजा और जुर्माने आदि बढ़ा देने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। विधान के प्रस्तावित संशोधनों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : गैर-सरकारी क्षेत्र में जो दवाइयां तैयार की जाती हैं उनके अनेक नमूनों की जांच करने के लिए क्या सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ?

†**डा० सुशीला नायर** : कई प्रयोगशालाएं हैं और राज्य सरकारों में अनेक औषधि निरीक्षक हैं जिन्हें औषधि बनाने वालों से नमूने इकट्ठे कर उनकी जांच करानी होती है । वे दुकानों से भी नमूने लेते हैं और विश्लेषण के परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो, अभियोग चलाये जाते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने—जो माननीया मंत्री के दल के प्रधान रह चुके हैं—कुछ समय पहले आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में कहा था कि लगभग ५० प्रतिशत अनाज और दवाइयों में मिलावट होती है । क्या वह यहां सरकार की जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद सही पाया गया और यदि यह ठीक है तो क्या वह दूसरे राज्यों पर भी लागू होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ठीक है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम । माननीय सदस्य द्वारा इस वक्तव्य का उल्लेख किये जाने के बाद मैंने उन्हें पत्र लिख कर उनसे पूछा था कि उनके वक्तव्य का क्या आधार था । मुझे उनसे कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उत्तर पाने के लिए चेष्टा जारी रखी जायेगी ? क्या उत्तर न भेजना मुख्य मंत्री के लिए उचित है ? यदि इसी तरह की हालत रही तो सरकार कैसे चल सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आशा की जाती है कि मंत्री लोग सदस्यों के पत्रों का जवाब दिया करें ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट को रोकने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थायें भी की गई हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ।

†**डा० सुशीला नायर :** मैंने आप से निवेदन किया है कि हमने सब स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि जहां जहां उन लैबारेटरीज की कमी है, जिनमें निरीक्षण और परीक्षण हो सकता है, उनको बढ़ाया जाये । हमने उनको यह भी कहा है कि इंस्पैक्टर्ज़ के नम्बर, संख्या, को बढ़ाया जाये और उनकी तन्ख्वाह वगैरह की तरफ तवज्जह दी जाये । इसके अलावा इंस्पैक्टर्ज़ की ट्रेनिंग के लिए १ दिसम्बर से एक इन्टेन्सिव शार्ट-टर्म कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो कि छः वीक्स का होगा । उसके द्वारा इंस्पैक्टर्ज़ को ऐनैलेसिस, सैम्प्ल टेकिंग और कानूनी पहलुओं में भी ज्यादा तैयार करने की कोशिश हो रही है ।

†**श्री प्र० ना० विद्यालंकार :** क्या सरकार को ऐसा कोई सुझाव-प्राप्त हुआ है कि मिलावट के अपराधी निर्माताओं के नाम नियमित रूप से प्रकाशित किये जायें और उन नामों का व्यापक प्रचार किया जाये ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक गुनाहगारों के नाम पब्लिसाइज करने की बात है, कानून में भी इसका प्राविज़न है कि जब यह साबित हो जाये कि कोई आदमी गुनाहगार है, तो उसके खर्चे पर उसके नाम को पब्लिसिटी दी जा सकती है और दी जाती है ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि जहां तक खाद्य पदार्थों का सम्बन्ध है, उन में सब से ज्यादा मिश्रण घी में होता है और उस में वनस्पति का मिश्रण होता है और इसी लिए बार-बार यह बात कहीं उठाई गई है कि उस को रंग दिया जाये या उसका जमाना बन्द किया जाये ? सरकार ने उस के बारे में क्या निश्चय किया है ?

डा० सुशीला नायर : इस बारे में अगर मननीय सदस्य खाद्य मंत्रालय से सवाल पूछेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं सदस्य महोदय के साथ सहमत हूं कि इस बारे में कुछ होना चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह जो बयान सदन पटल पर रक्खा गया है उस में लिखा है :—

"एक कार्यकुशल औषधि स्तर नियंत्रण संगठन स्थापित करने के तरीकों के बारे में राज्य सरकारों को बताया जा चुका है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने-अपने संगठनों को उन्हीं तरीकों के अनुरूप बनाएं ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है और कितनी राज्य सरकारों ने उत्तर दिया है और कितनी ने नहीं दिया है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमान्, कई जगह पर तो काम अच्छा हो रहा है और कई जगह पर ड्रग कंट्रोल के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमज़ोरी है । जहां तक फ़ूड एडल्ट्रेशन का सवाल है इस का इम्प्लीमेंटेशन हर एक राज्य में ज्यादा तर म्युनिसपैल्टीयां ही कर रही हैं । सेंट्रल हैल्थ कौंसिल में इस पर चर्चा हुई थी और सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस सवाल की तरफ़ सहानुभूति और बड़े अच्छे तरीक़े से तवज्जह दी थी कि यह काम होना चाहिए । अब किस हद तक वह लोग इन चीज़ों पर तवज्जह दे सकते हैं आज की परिस्थिति में, यह तो हर एक राज्य सरकार अपनी-अपनी परिस्थिति देख कर निर्णय करेगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बैया** : क्या यह सच है कि आसव और अरिष्ट के नाम पर अवैध शराब बाजार में बेची जा रही है और यदि हां, तो ऐसी चीजें रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : यह सच है कि कई मामलों में आसव और अरिष्ट में काफी प्रतिशत मात्रा में शराब (अल्कोहल) की होती है और कुछ लोग शराब की जगह उन का उपयोग करते हैं । इसी कारण यह विचार है कि आयुर्वेदिक औषधियों को औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधीन लाया जाये जिससे कि जहां तक संभव हो इस पर रोक लगायी जा सके ।

कुट्टियादी विद्युत् परियोजना

+
†*३३०. { **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री अ० व० राघवन : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने कुट्टियादी विद्युत कि परियोजना की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कब तक आरंभ हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या लक्ष्य बनाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केरल राज्य बिजली बोर्ड से कुछ तकनीकी ब्यौरे प्राप्त होने पर योजना अंतिम रूप से निर्धारित की जायेगी ।

(ख) योजना निश्चित न होने के कारण, केन्द्रीय पानी बिजली आयोग की राय पर, केरल राज्य बिजली बोर्ड ने प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है और बिजली पैदा करने वाले संयंत्र तथा उपकरण के लिए टेन्डर भी मंगाये हैं ।

(ग) अनुमान है कि ७५,००० किलोवाट की संस्थापित क्षमता वाली योजना १९६६-६७ में पूरी हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस परियोजना का वास्तविक निर्माणकार्य शुरू कर दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने बताया, हमने प्रारंभिक निर्माणकार्य आगे चालू रखने के लिए राज्य बिजली बोर्ड से कहा है, उस हद तक वह शुरू हो गया है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : प्रारंभिक निर्माणकार्य आरंभ करने से माननीय मंत्री का क्या आशय है ? क्या उन का मतलब केवल डिजाइन आदि बनाने से है या वास्तविक निर्माणकार्य से है ?

†**श्री अलगेशन** : जल विद्युत परियोजना में, हमें सड़कें और क्वार्टर बनाने होते हैं और दूसरी व्यवस्था करनी होती है । इसे प्रारंभिक कार्य कहते हैं । हमने राज्य बिजली बोर्ड से कहा है कि वह यह काम आरंभ कर दे और आगे बढ़े ।

†**श्री बसुमतारी** : वर्तमान संकट की स्थिति को देखते हुए काम में शीघ्रता करने के लिए सरकार ने क्या अतिरिक्त कदम उठाए हैं ?

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में हम इस बारे में बहुत अधिक जागरूक हैं कि संकट की स्थिति में ज़्यादा बिजली की जरूरत है और हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं कि बिजली परियोजनाओं के भारसाधक अधिकारी अधिक से अधिक इन परियोजनाओं का काम आगे बढ़ायें । यदि यह कुछ-एक माहीनों का मामला भी हो तो भी वह लाभदायक होगा और हम वे कदम उठा रहे हैं ।

†**श्री अ० व० राघवन** : इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी और क्या इस परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा देने में विलंब दूर करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : विदेशी मुद्रा लगभग १.१५ करोड़ रुपये की लगेगी और इस परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा हमें मिल जायेगी ।

श्री सैलम जल-विद्युत् परियोजना

†*३३१. { **श्री यु० द० सिंह** :
श्री पें० वेंक्टासुब्बैया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सैलम जल-विद्युत परियोजना का प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरे हो जाने पर इस से आन्ध्र प्रदेश की कितने प्रतिशत विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९७१ में प्रत्याशित मांग का लगभग २५ प्रतिशत ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंक्टासुब्बैया :** क्या इस सरकार द्वारा इस योजना को तुरन्त आरम्भ करने के लिये अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी गई है ?

†**श्री अलगेशन :** अभी नहीं।

†**श्री पें० वेंक्टासुब्बैया :** क्योंकि यह योजना बहुत देर से लम्बित पड़ी है, और क्योंकि सरकार को अब व्यापक रिपोर्ट मिल चुकी है, सरकार इस योजना को अन्तिम रूपेण मंजूरी देने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

†**श्री अलगेशन :** केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग द्वारा मांगी गई आधुनिकतम रिपोर्ट अक्तूबर, १९६२ में प्राप्त हुई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि यह लम्बित पड़ी है। यद्यपि योजनावधि विचाराधीन रही है, परियोजना रिपोर्ट इतनी देर से लम्बित पड़ी नहीं कही जा सकती। यह भी विविध परियोजनाओं में शामिल है, जिनके बारे में हम गोदावरी और कृष्णा नदियों में समूचे तौर पर फैसला करना चाहते हैं। अत: हम राज्य सरकार से परामर्श कर रहे हैं। सम्बद्ध रिपोर्ट की जांच की जा रही है और हम इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं।

†**श्री रंगा :** क्या मैं यह समझूं कि इस परियोजना का विकास करने के लिये शीघ्र कार्रवाई करने के हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने का भारत सरकार का इरादा है ?

†**श्री अलगेशन :** जी हां, यह इसे जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं।

†**श्री हेडा :** क्या सरकार को विदित है कि यदि परियोजना पर जल्दी निर्णय नहीं किया गया, जल उस स्थान पर आ जाएगा, जहां नींव स्थापित की जानी है ? यदि हां, तो किस प्रकार से फैसले में शीघ्रता की जाएगी ?

†**श्री अलगेशन :** हमें इस आकस्मिकता का पूर्व ज्ञान है और इसे दृष्टि में रखते हुए, हम शीघ्र इस विषय पर निर्णय करना चाहते हैं ?

†**डा० क० ल० राव :** क्या यह सच है कि इस परियोजना के अन्तर्गत पानी का उपयोग नहीं होता और इसलिये इसके बारे में जल सम्बन्धी विवाद की कोई आवश्यकता नहीं ? इस परियोजना की शीघ्रता के लिये विशेषकर इसलिये कि यह पिछले तीन सालों से लम्बित पड़ी है, क्या कार्रवाई की जा रही है ? एक शोधित परियोजना प्रतिवेदन अब प्राप्त हो चुका होगा, किन्तु परियोजना इस रूप में पिछले तीन वर्षों से लम्बित पड़ी है।

†**श्री अलगेशन:** मैं सभा को आश्वासन दे चुका हूं कि हम इस मामले पर शीघ्र निर्णय करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि अन्य प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती यलमंदा रेड्डी :** माननीय मन्त्री ने बताया था कि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार से किसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी उन्हें किस सूचना की प्रतीक्षा है, क्योंकि हमारी जानकारी यह है कि जो सूचना दी जानी थी वह हमारी सरकार द्वारा बहुत पहले दी जा चुकी थी ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने यह नहीं कहा कि हमें अग्रेतर सूचना की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में फालतू बिजली

†*३३२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि कुछ राज्यों में बिजली की कमी है और कुछ अन्य राज्यों में अप्रयुक्त फालतू बिजली रहती है ;

(ख) क्या यह बात गत दिसम्बर में दिल्ली में हुए वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के सम्मेलन में भी सामने आई थी ; और

(ग) सरकार का विचार इस प्रकार की गड़बड़ियों को दूर करने के लिये तथा बिजली को बेकार न जाने देने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जबकि कुछ राज्यों में बिजली की कमी है, किसी क्षेत्र में अप्रयुक्त बिजली काफी मात्रा में फालतू नहीं है ।

(ख) सम्मेलन ने कुछ प्रदेशों में बिजली की कमी का उल्लेख किया था ।

(ग) विभिन्न बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम में शीघ्रता करने तथा विविध राज्यों के 'ग्रिडों' को परस्पर मिलाने का विचार है ताकि उपलब्ध 'जैनरेटिंग' क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । प्रादेशिक बिजली के अभाव की स्थिति को पूरा करने के लिये कुछ योजनाएं भी मंजूर की गई हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में जिसमें माननीय मन्त्रियों ने भाग लिया, उन्होंने विशिष्ट रूप से बताया था कि कुछ क्षेत्रों या राज्यों में बिजली बेकार जा रही है जिसका उपयोग किया जा सकता था ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं बता चुका हूं कि किसी क्षेत्र में बहुत फालतू बिजली नहीं है। ऐसा होता है कि रेंड और हीराकुण्ड में कुछ बिजली उपलब्ध है अब हम उस बिजली को उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों की स्वीकृति के साथ दामोदर घाटी निगम बिहार-कलकत्ता क्षेत्र में बदल रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सुपर ग्रिड क्या हैं, जिनके बारे में समझौता किया जा चुका है और क्या सभी राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में मान लिया है कि एक एकीकृत सुपर ग्रिड होना चाहिये ?

†**श्री अलगेशन** : अब तक मंजूर हुई योजना का सम्बन्ध केरल को मद्रास के साथ, मद्रास को मैसूर के साथ तथा आन्ध्र प्रदेश को मद्रास के साथ मिलाने से है ।

†**श्री भागवत झा आजाद**: भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में, इस योजना को शीघ्र करने के परिणामस्वरूप सरकार बिजली की कमी को कहां तक पूरा कर सकेगी ? अतिरिक्त वृद्धि से कितने प्रतिशत बिजली की कमी पूरी की जाएगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह वृद्धि का प्रश्न नहीं है । यह कई राज्यों के ग्रिडों को मिलाने का सवाल है । उसी सन्यन्त्र क्षमता के साथ हम अधिक बिजली का उपयोग कर सकेंगे । यही ग्रिड की उपयोगिता है ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि जिस समय राज्यों का पुनर्विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश का इतना बड़ा राज्य बनाया गया उस समय यह कहा गया था कि मध्यप्रदेश में और अधिक बिजली उत्पादन का प्रयत्न किया जायगा ? और क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि इस

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में अब तक मध्य प्रदेश में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है, और इस सम्बन्ध में क्या कोई विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन:** जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, हमें उस राज्य की आवश्यकताओं का बहुत ध्यान है। एक ऐसी सहायता वाला सन्यन्त्र मध्य प्रदेश में जाने वाला है। गांधी सागर बांध पर चम्बल बिजली घर बना हुआ है। हम राणा प्रताप सागर तथा कोटा में दूसरे बिजली घर बना रहे हैं। हम सतपुड़ा में एक थर्मल सन्यन्त्र भी बनाने वाले हैं जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश सहयोग दे रहे हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन:** बिजली परियोजनाओं का उद्देश्य कुछ क्षेत्र की सेवा करना है और क्योंकि इस का उस क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जा सका, इसे अन्य प्रदेशों में बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रिहन्द के लिये जो बिजली थी उस में से कितनी बिजली अन्य स्थानों को दी गई है ?

†**श्री अलगेशन :** इस समय हम रेंड से २०००० किलोवाट बिजली दामोदर घाटी निगम-बिहार-कलकत्ता क्षेत्र को दे रहे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** रेंड और हीराकुण्ड में कितनी फालतू बिजली है और यह कब से फालतू रही है ?

†**श्री अलगेशन:** ज्यों ही हमने यह देखा कि रेंड से कुछ बिजली देना सम्भव है और ज्यों ही ट्रांसमिशन लाइनें तैयार हुईं, हम ऐसा करने में सफल हुए।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** कितनी फालतू बिजली उपलब्ध है और कब से ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे मालूम नहीं कि रड की पांचों इकाइयां कब से आरम्भ की गई थीं। इसीलिये मैंने बताया कि ज्यों ही हमने देखा कि रेंड से बिजली देना सम्भव था, क्योंकि वहां अल्युमीनियम उद्योग है, जो पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा, उसे देने.........

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** कितनी बिजली फालतू थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** कोई बिजली फालतू नहीं है। सब बिजली का आज या कल उपयोग होने वाला है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** कितनी बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो तैयार की जा सकती है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** उसका अभी उपयोग किया जाने वाला है।

†**श्री पें० वेंक्टासुब्बैया :** करारों में क्या भाग लेने वाले राज्यों की बिजली की मात्रा तथा बिजली के उपयोग के बारे में कोई अनुमान किया गया है और यदि हां तो क्या उन क्षेत्रों को जहां बिजली कम है, अस्थायी तौर पर बिजली देने की कोई व्यवस्था की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक ग्रिड तैयार हो, क्या उन क्षेत्रों को बिजली देने का कोई अन्तरिम प्रबन्ध है, जहां बिजली नहीं है ?

†**श्री अलगेशन :** मद्रास द्वारा आन्ध्र को अब थोड़ी सी बिजली दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** थर्मल स्टेशनों के लिये इन जैनरेटिंग सैटों में से, महाराष्ट्र को कितने दिये जायेंगे और विशेष कर मराठवाड़ा को गंगापुर थर्मल बिजली घर के लिये ?

†**श्री अलगेशन :** यह सवाल इससे कैसे पैदा होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह नहीं उठता है ?

श्री तुलशी दास जाधव: क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रान्त में अनयूटिलाइज्ड पावर ज्यादा है ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने दो का उल्लेख किया है, अर्थात् रेंड और हीराकुण्ड जिसकी बिजली का हम अन्यत्र उपयोग कर रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** रेंड से दामोदर घाटी निगम को बिजली भेजने का आधार और कारण क्या थे जबकि स्वयं उत्तर प्रदेश को इतनी बिजली की आवश्यकता है ?

†**श्री अलगेशन :** यह उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति से किया गया है ।

कैंसर

*३३३. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री कैंसर की चिकित्सा के बारे में आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के परामर्श के बारे में २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का परामर्श ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी राय क्या है ; और

(ग) क्या कैंसर की चिकित्सा के लिये आयुर्वेदिक दवाइयां प्रभावोत्पादक हो सकती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० सा० राजू : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आयुर्वेदिक ग्रन्थों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें कैंसर पर, जैसा कि इसे आज समझा जाता है, अधिक विचार नहीं किया गया है। तथापि उनमें "अर्बुद रक्त" और "वल्मीक" का उल्लेख हुआ है जिन्हें एक प्रकार का कैंसर माना जा सकता है । पुराने आयुर्वेदिक साहित्य से इसके उपचार की कोई उपयोगी औषधि या औषधियों का योग अथवा कोई क्रमबद्ध उपचार खोजना शायद बहुत आसान नहीं है ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या आयुर्वेद के डाक्टरों ने यह राय भी दी है कि किन किन चीजों के खाने या पीने से कैंसर का रोग होता है ? ऐसी कोई बात उन्होंने बतलाई है या नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मेरे पास ऐसी कोई सूचना आयुर्वेद विशेषज्ञों के पास से नहीं आई है ।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि यह मान लिया गया है कि तम्बाक के इस्तैमाल से कैंसर की बीमारी पैदा होती है तो तम्बाकू के ऊपर कोई पाबन्दी सरकार लगाने जा रही है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल आयुर्वेद से सम्बन्धित था। अगर तम्बाकू भी आयुर्वेद में जाती है तब हम इस सवाल को ले सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि उस पर किसी पाबन्दी की जरूरत है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह अलहदा सवाल है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कैंसर के रोग निदान के सम्बन्ध में देश में तथा बाहर किये गये अनुसन्धान ने यह बात सिद्ध की है कि कैंसर सामान्य टौक्सैमिया की अन्तिम उपज है और सर्जरी की रेडिएशन बेकार है जब तक सम्पूर्ण शरीर में से विष पूर्णतया समाप्त न हो जाए ?

†**डा० द० स० राजू** : यह आयुवेदिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कैंसर के इलाज के सम्बन्ध में आयुवेदिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बारे में है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कैंसर के इलाज से पूर्व हमें कारण का अवश्य पता लगाना चाहिये। उसके बारे में अनुसन्धान से क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**डा० द० स० राजू** : इसके कारणों के सम्बन्ध में बहुत से सिद्धान्त हैं और अभी तक यह बात निश्चित रूप से स्थापित नहीं हुई कि कैंसर के लिये कौन विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हाल ही में कुछ प्रगति हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री यशपाल सिंह ने पूछा है कि क्या तम्बाकू से कैंसर पैदा होता है और क्या सरकार कुछ कर रही है ?

†**डा० ब० सा० राजू** : जी हां, यह मालूम हुआ है कि तम्बाकू पीने से फेफड़ों में कैंसर पैदा होता है।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : क्या माननीय मन्त्री को जर्मन सहयोग के साथ काम करने वाली बम्बई की एक औषध निर्माता फर्म द्वारा तैयार की गई औषधि का पता है जो ५० प्रतिशत सफल सिद्ध हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : बहुत से लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने कैंसर के लिये इलाज ढूंढ लिया है किन्तु जब वास्तव में इलाज ढूढा जाएगा तो यह संसार को हिला देने वाला आविष्कार होगा। हमें इस समय एसे किसी इलाज का पता नहीं है।

श्री कछवाय : क्या मैं जान सकता हूं कि कैंसर की बीमारी किस प्रान्त में अधिकांश रूप से होती है, और उसके वास्ते गवर्नमेंट ने क्या किया है ?

डा० सुशीला नायर : कैंसर की बीमारी ने किसी खास प्रान्त के लिये अपनी कोई पक्षपात नहीं रक्खी है। यह बीमारी दुनिया भर में होती है और हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में होती है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

कीटाणु नाशक दवाइयां

+

†*३३४. { **श्री राम रतन गुप्त :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटाणुनाशक दवाइयों के नियन्त्रण तथा प्रयोग के लिये नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक बन जाने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० सा० राजू)** : (क) और (ख). जी हां । भारत सरकार कीटाणु नाशक दवाइयों के आयात, निर्यात, बिक्री, परिवहन वितरण तथा उपयोग का यथाशीघ्र विनियमन करने के लिये विधान बनाने का विचार करती है ।

†**श्री राम रतन गुप्त** : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि इनमें से कुछ कीटनाशक दवाइयों का नशीले पेयों के आदी लोगों द्वारा नशे के तौर पर उपयोग किया जाता है ?

†**डा० सुशीला नायर :** हमें इस बात का पता नहीं है । हमें केवल इतना पता है कि कुछ स्थानों पर कीट नाशक दवाइयां संयोगवश खाद्य वस्तुओं के साथ मिल गईं जिसके भयानक परिणाम हो गये ?

†**श्री राम रतन गुप्त** : मैं समझता हुं कि यह मामला ऐसा है जिसकी सरकार को गम्भीरता-पूर्वक जांच करनी चाहिये क्योंकि मुझे यह पता लगा है कि बहुतेरे आदी लोग इस का नशे के तौर पर प्रयोग करते हैं और इस कारण में जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्रवाई का सुझाव है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार को ये समाचार मिले हैं कि इन कीटनाशक दवाइयों में छिड़की गई कुछ खाद्य फसलें, जिसका माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है, बाद में खाने पर खराब तथा कई बार मानवीय खुराक के लिये विषैलो पाई गईं ?

†**डा० सुशीला नायर** : हमें ऐसे कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं । 'पैस्टी साइड' और 'इन्सैक्टी-साइड' प्रायः एक ही चीज़ हैं । किन्तु परिवहन आदि के समय कुछ स्थानों पर वे खुराक के साथ मिल गए हैं जिनका बहुत हानिकारक प्रभाव हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर अपवंचन रोकने के लिये न्यायाधिकरण

+

*†३३५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहसिन :
श्री स० बं० पाटिल :
श्री सोनावने :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर अपवंचन को रोकने के लिये क्या बकाया धन की वसुली के लिये एक विशेष न्यायाधिकरण गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण में कौन-कौन हैं ; और

(ग) क्या न्यायाधिकरण ने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, द्वारा कर अपवंचन को रोकने तथा बकाया राशि वसूल करने के लिये न्यायाधिकरण की आवश्यकता के बारे में दिये गये प्रेस वक्तव्य की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, विशेषकर इस संकट काल में जबकि हमें अधिक राजस्व की आवश्यकता है और जबकि हमें सारी बकाया राशि इकट्ठी करनी चाहिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस मामले पर मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी के सभापतित्वाधीन करारोपण जांच समिति द्वारा कुछ समय पूर्व विचार किया गया था। समिति ने कुछ वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों का सुझाव दिया तथा कुछ ने कुछ उपायों को कार्यान्वित किया । सभा ने उनको नवीन विधि में स्वीकृत कर लिया है । जहां तक प्रशासनिक उपायों का सम्बन्ध है, इनकी जांच आयुक्तों की बैठक में की गई थी जो हाल ही में हुई थी । हम इनमें से कुछ उपायों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये हम यह नहीं समझते कि ऐसे न्यायाधिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : त्यागी समिति द्वारा इन उपायो का सुझाव दिये जाने के पश्चात्, क्या कर वसूल करने में कुछ उन्नति पाई गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ये उपाय हाल के महीने में ही लागू किये गये हैं, क्योंकि निधि कुछ समय पूर्व पास की गई थी, किन्तु बकाया राशि कम रही है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : बकाया राशि के अतिरिक्त, क्योंकि कर अपवंचन की राशि देश में बहुत बड़ी है, क्या सरकार कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बावजूद न्यायाधिकरण को छोड़ कर और किसी अन्य उपाय का विचार करती है —यदि उन को न्यायाधिकरण का विरोध है—ताकि बाकाया राशि वसूल की जा सके और कर अपवंचन रोका जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं कह चुका हूं कि विधायनी उपबंधों को विधि बना कर दिया गया है और प्रशासनिक उपाय भी किये जा रहे हैं और हमें आशा है कि इन उपायों के द्वारा कर अपवंचन में कमी होगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह का कुल कितना रुपरा टैक्सों का अभी बाकी है जिस को गवर्नमेंट वसूल नहीं कर सकी है ?

श्री ब० रा० भगत : इस के बारे में माननीय सदस्य अलग सूचना दें तो मैं जवाब दूंगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : श्री काल्डोर ने कर अपवंचन के बारे में कुछ आंकड़े बताये हैं और उस के पश्चात् बहुत वर्ष बीत चुके हैं । इस समय अपने देश में कर अपवंचन की राशि के सम्बंन्ध में सरकार का क्या अनुमान है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम अनुमान नहीं बता सकते । प्रो० काल्डोर या कोई माननीय सदस्य अनुमान दे सकते हैं । किन्तु सरकार के लिये यह कठिन है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या सरकार समय समय पर कर अपवंचकों के नाम प्रकाशित करती रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : विधि में यह उपबन्ध है कि कुछ मामलों में नाम दिये जा सकते हैं ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या वैसा किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति ।

श्री तुलशी दास जाधव : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि जो लोग एक फर्म से इवेजन करते हैं वही दूसरी फर्म निकालते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार को यह बात मालूम है और भी बहुत सी बातें मालूम हैं ।

दिल्ली के अनधिकार वासी

+

†*३३६. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

†क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी से सभी अनधिकारवासियों को हटाने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार अनधिकारवासियों को पुनर्वासित करने के लिये क्या प्रबन्ध करेगी ?

† **निर्माण, और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी हां ।

(ख) जो लोग जून/जुलाई १९६० में की गई विशेष जनगणना से पहले दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से बैठे थे और जिनके नाम उस जनगणना में सम्मिलित हैं, उनको चुने गये स्थानों पर वैकल्पिक स्थान देने का विचार है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये लोग जो अनधिकृत रूप से सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं और जिनको सरकार दूसरी जगहों पर बसाने जा रही है, क्या इन के जीविका उपार्जन पर असर पड़ेगा ?

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : दिल्ली में इस समय ५० हजार क्वाटर हैं । सन् १९५९–६० में हमने इनकी सेंसस ली थी । उस वक्त से ये बराबर बढ़ते जा रहे हैं । अगर तमाम दिल्ली को स्लम बना देना है तब तो इन को हर जगह रहने की इजाजत दी जा सकती है वरना नहीं । हम इन को जहां ले जा कर बसाना चाहते हैं वे साफ सुथरी जगहें होंगी और हम यह भी कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके ये अपने काम के नजदीक रह सकें ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो आप इनको दूसरी जगह हटा रहे हैं तो इस बात का खयाल रखेंगे कि इनको इन जगहों पर जितनी आमदनी होती है उतनी ही दूसरी जगहों पर भी होगी ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना: दिल्ली में बहुत काम है । इसकी तरफ से हमको कोई चिन्ता नहीं है ।

†श्री यशपाल सिंह : यह झुग्गी झोंपड़ी वालों का मसला बड़े समय से विचाराधीन है, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कब तक हल हो जाएगा ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : यह मसला तो हल हो गया । गवर्नमेंट की पालिसी का ऐलान दो तीन दिन में होने वाला है। और हम इस काम को माननीय सदस्यों की मदद से पूरा कर लेंगे । हम यह नहीं इजाजत दे सकते कि तमाम आदमी आज नाजायज़ तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लें, और स्क्वेटर बन जाएं और बाद में गवर्नमेंट से ८०–८० गज जमीन ले लें ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री जी ने कहा कि इनको साफ सुथरी जगहों पर बसाया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि जिन जगहों पर सरकार इन को ले जाना चाहती है, वहां पर इनके लिए एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है । क्या सरकार इन के लिए कोई एकोमोडेशन बनवाने जा रही है, उस पर कितना रुपया खर्च होगा और वह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जमीनें तो हम ने दिल्ली में बहुत एक्वायर कीं। अब हमारा टैरीफिरी पर जाने का इरादा है और हम समझते हैं कि एक साल, डेढ़ साल में माननीय सदस्यों की सहायता से इस मसले को हल कर लेंगे ।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : अनधिकृत वासियों को कब क्वार्टर दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्दी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यह देखने में आया है कि जो लोग समृद्ध होते हैं वे तो अधिकारियों से मिल कर अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन के लिए राष्ट्र को विशेष परिस्थितियों के अन्दर कुछ ध्यान रखा जाए ताकि वे ठीक तरह से बस सकें ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : गरीबों के लिये तो यह स्कीम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सुझाव की कार्रवाई है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : उन लोगों को कितनी भूमि तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी जिन को १९६०-६१ में पंजीबद्ध किया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : बात यह है कि हम किसी अनधिकारवासी को मुफ्त भूमि दे कर अनधिकार वास को कोई विशेष लाभ नहीं दे रहे हैं । हम यह मूल बात करना चाहते हैं । हम उन को स्थान दे कर उन का विकास करना चाहते हैं । जहां हम शिविर बनायेंगे, स्थान का आकार छोटा होगा । हम जल, प्रकाश तथा ये सब व्यवस्थाएं करेंगे । किन्तु हम इस नीति को स्वीकार नहीं कर सकते और यह सिद्धान्त कि जो कोई आकर दिल्ली में अनाधिकृत रूप से बैठ जाय उसे मुफ्त भूमि आदि मिल जाय, इस प्रकार से दिल्ली में कुछ भी नहीं बचेगा ।

पोचमपाद परियोजना

†*३३८. { +श्री क० ल० राव :
श्री मु० द० सिंह :
श्री पैं० वेंकटासुब्बया : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और उस की सलाहकार समिति को पोचमपाद बहुप्रयोजनीय परियोजना का परिवर्तित प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की जा रही है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या इस परियोजना के लिये जल की आवश्यकता नदी के निर्बाध तथा उन्मुक्त जलमग्न क्षेत्र से ही पूरी की जा सकती है । अतः इस उपयोगी परियोजना की मंजूरी में शीघ्रता की जायेगी जिस पर पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है ?

†**श्री अलगेशन** : आधुनिकतम रिपोर्ट से पता चलता है कि परियोजना के लिये पर्याप्त जल होगा और हम इसे मंजूर करने के लिये कार्रवाई करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० क० ल० राव :** क्या यह सच है कि यह परियोजना बहुत सरल है, इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी और जब यह परियोजना कार्यान्वित की जायेगी तो अल्प अवधि में २ लाख से ३ लाख टन तक चावल पैदा होगा ?

†**श्री अलगेशन :** संभवतः परियोजना सरल है किन्तु बहुतेरे दृष्टिकोण हैं जो विशेषज्ञ सामने रखते हैं और बहुत सी बातचीत चल रही है । यह सरल हो सकता है किन्तु विशेषज्ञों की जांच के पश्चात् यह कुछ पेचीदा हो जाता है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बैया :** इस परियोजना के लिये आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार कितना जल जमा किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन :** आधुनिकतम अनुमान के अनुसार यह ६६ टी एफ सी होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में क्षय रोगी

†*३२०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गरीब क्षय रोगियों के निःशुल्क उपचार की सरकार ने एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितनी जल्दी लागू हो जायगी और इस की वित्तीय संभावनायें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) दिल्ली क्षेत्र में तपेदिक के नियंत्रण की एक अग्रिम परियोजना बनाई जा रही है और शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दिय जाने की आशा है ?

(ख) इस के व्यय का अस्थायी अनुमान इमारतों और सामान के लिये १५ लाख रुपये तथा कर्मचारियों एवं सामग्री पर २५ लाख रुपये वार्षिक है ।

माल्दा में पक्षाघात के मामले

†*३२४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल्दा में पक्षाघात के मामलों के कारणों की इस बीच अग्रेतर जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि इस बीमारी के कारणों की जांच उष्ण कटिबन्ध औषधि स्कूल, कलकत्ता

---

†मूल अंग्रेजी में ।

द्वारा की गई थी तथा अखिल भारतीय हाइजीन तथा सार्वजनिक संस्था स्वास्थ्य, कलकत्ता द्वारा। इन अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि यह बीमारी गेहूं के आटे के खाने से हुई थी, जिस में ट्रिसिल फौसफेट नाम का रसायन किसी प्रकार मिल गया था।

सीमा शुल्क विभाग में लम्बित 'नोट पास' क मामले

†*३२६. { श्री मुरारका :
　　　　{ श्री कृ० चं० पंत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क विभाग में अन्तिम निर्णय के लिये 'नोट पास' के कितने मामले लम्बित

(ख) वे कब से लम्बित हैं ;

(ग) उन के निपटाये न जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है।

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० भगत) : (क) १६-१०-६२ को १४,६२२।

(ख) 'लम्बित नोट' पास मामलों का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है।

१९५१—१२	१९५७—६७०
१९५२—४१	१९५८—११०३
१९५३—१८	१९५९—२८४७
१९५४—२९	१९६०—९१३
१९५५—५८	१९६१—२०९१
१९५६—९४	१९६२—६७४६ (१६-१-६२ तक)

(ग) लम्बित मामलों के निपटारा न होने के मुख्य कारण य हैं :—

(१) आयातक विभागों की अपेक्षित लेख पेश करने में असमर्थता।

(२) सम्बद्ध विभागों द्वारा अनुमान पूरा होने के पश्चात् भी शुल्क जमा करने में विलम्ब।

(घ) शुल्क का अनुमान लगाने के लिय अपेक्षित संगत लेख में मिलने की अवस्था में यह बताना संभव नहीं कि कितना सीमा शुल्क लिया जाना है।

राजस्थान नहर

†*३३७. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के निर्माण में खराब सामग्री का प्रयोग करने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवदन सरकार को पेश कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उन की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने यदि कोई कार्रवाई की है तो वह क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) केन्द्रीय सरकार के पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

राज्यों में छद्म चिकित्सा[1]

†*३३९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिये हैं कि छद्म चिकित्सा को यथासम्भव शीघ्र समाप्त करने के लिये उपयुक्त विधान बनायें ; और

(ख) क्या सभी राज्यों में छद्म चिकित्सा अनियंत्रित रूप से जारी है अथवा क्या कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जिनमें इस बुरी व्यवस्था को विधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) राज्य सरकार को मई १९६१ में मंत्रणा दी गई थी कि वह छद्म चिकित्सा को समाप्त करने के समुचित विधि बनाये ।

(ख) छद्म चिकित्सा अधिकतर राज्यों में है । महाराष्ट्र, गुजरात, और केरल ने इस बुराई के विरुद्ध विधि बना ली है ।

कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों का बन्ध्यीकरण[2]

†६९८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रहने वाले पुरुष कुष्ठरोगियों के बन्ध्यीकरण की योजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या योजना को समस्त देश में लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली रहने वाले पुरुष कुष्ठ-रोगियों के बन्ध्यीकरण की कोई योजना नहीं है । समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली,

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Quackery.

[2] Sterilisaton.

तथा दिल्ली कुष्ठ रोग समिति कुष्ठरोगियों को बता चुकी है कि उन के लिये बन्ध्यीकरण की सुविधायें प्राप्त हैं । जो रोगी बन्ध्यीकरण आपरेशन कराना चाहते हैं उनको हिन्दूराव अस्पताल को ले जाने तथा वहां से वापस लाने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा परिवहन सुविधायें दी गई हैं ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि कुष्ठ रोग की चिकित्सा वाली संस्थाओं में चलते फिरते परिवार नियोजन क्लिनिक ले जाने की सुविधाओं की व्यवस्था करें ।

पंजाब में नगरपालिकाओं को पीने के पानी का संभरण

†६६६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में पंजाब सरकार को कोई धनराशि का आवंटन किया गया है जिसके द्वारा नगरपालिकाओं को संरक्षित पीने के पानी का संभरण होगा ; और

(घ) पंजाब के गुरदासपुर ज़िले की नगरपालिकाओं में कार्यशील व्यक्तियों की बस्ती, शरणार्थी कालोनी तथा घनी बसी आबादी वाले क्षेत्रों के होने के कारण पीने के पानी के संरक्षित संभरण में क्या प्रगति की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) १९६१–६२ में नगरीय जल संभरण और सफाई योजनाओं के लिए पंजाब सरकार को २२ लाख रुपया दिया गया है और १९६२–६३ की योजनाओं के लिए ऋण के रूप में ४१·५१ लाख रुपये की राशि दी गई है ।

(ख) डलहौजी जल संभरण योजना की पहली किश्त पूरी हो चुकी है और आगे कार्य हो रहा है । पठानकोट के लिए जल संभरण योजना की व्यवस्था कर दी गई है । सुजानपुर और गुरदासपुर की नगरपालिका समिति ने हाल में ही राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से कहा है कि अपनी जल संभरण योजना बनाये और इस बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है । गुरदासपुर ज़िले में अन्य स्थानीय संस्थाओं ने राज्य सरकार से जल संभरण योजना की क्रियान्विति के लिए ऋण मांगा है ।

संभरण और निपटान के महानिदेशालय द्वारा दिए गए बिक्री-कर की वसूली

†७००. **श्री मुरारका :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिक्री कर जारी करना आदेश १९५० को संविधान के नियम विरुद्ध करने के कारण २६ जनवरी, १९५० तथा ३१ मार्च १९५१ की अवधि में संभरण और

†मूल अंग्रेजी में

निपटान के महानिदेशालय द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में बिक्री कर के लिए दिए गए ४० लाख रुपये की वसूली होनी है ;

(ख) क्या उक्त राशि वसूल कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय म संभरण मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). मैसर्स रामनारायण एण्ड सन्स (१९५५) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि बिक्रीकर उस राज्य द्वारा लिया जा सकता है जिस राज्य में माल दिया गया हो तथा उस राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता है जहां से माल भेजा गया हो । इस फैसले के बाद २६-१-१९५० तथा ३१-३-१९५१ की अवधि में डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज़ एण्ड डिसपोज़ल द्वारा दिए गए बिक्रीकर की वसूली के प्रश्न की जांच की जा रही है । उच्चतम न्यायालय के उक्त फैसले से पहल राज्य सरकारों ने अन्तिम निर्धारण कर लिया है । माल का संभरण करने वालों को इन निर्धारणों के लिए अपील करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । क्योंकि सप्लायर्स ने राज्य सरकारों को बिक्रीकर दे दिया है इसलिऐ क्रय संगठन इस समय राज्य सरकारों से वसूली नहीं कर सकी हैं । और राज्य सरकारों से मुक़दमेबाज़ी करना उचित तथा लाभदायक नहीं है । इसलिए राज्य सरकारों से बिक्रीकर की वसूली का दावा रद्द करन का निर्णय कर लिया गया है ।

विदेशी मुद्रा बक

†७०२. **डा० रानेन सेन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से १९६० तक प्रतिवर्ष भारत के विदेशी व्यापार में वित्त लगान के लिए प्रत्येक विदेशी मुद्रा बक का क्या अंश है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या संख्या ८०]**

गंडक परियोजना

७०३. **श्री विभूति मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि गंडक परियोजना के कार्य में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : बराज के अक्ष का स्थान पूना के रिसर्च स्टेशन के द्वारा किए गय माडल अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया गया है ।

तिरहुत नहर पर १·६७ करोड़ घनफुट और सरण नहर पर ०·५० करोड़ घनफुट मिट्टी का कार्य किया जा चुका है, जिससे कुल मिट्टी का कार्य क्रमशः १५·९० और २·०० करोड़ घनफुट हो गया है । डान ब्रांच नहर पर मिट्टी का और कार्य नहीं किया जा सका ।

उत्तर प्रदेश क्षत्र में पड़ने वाले भाग में पश्चिम गंडक नहर के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पूर्ण हो गय हैं । इस नहर पर खुदाई का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ।

कालोनी के भवनों, लैन्डिंग ग्राऊंडस, वगह पर रेलहैड से मैंसालोटन पर कैम्प स्थल व एक्सेस रोड आदि जैसे प्राथमिक कार्य पूर्ण होने को है । आग्जीलियरी पावर हाऊस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है ।

---

†मल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

†७०४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६१ से दिल्ली में जीवन निर्वाह व्यय देशनांक कितना बढ़ गया है ; और

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को दिए गए मंहगाई भत्ते में वृद्धि का मूल्य वृद्धि पर अनुमानत : कितना प्रभाव हुआ है ?

†वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में नवम्बर, १९६१ से सितम्बर, १९६२ तक देशनांक १२९ से १३३ पाइंट अर्थात् ४ पाइन्ट बढ़ गए हैं ।

(ख) इसका अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक के आधार पर दिया जाता है तथा किसी नगर के देशनांक के आधार पर नहीं ।

जीवन बीमा निगम की पालिसियां

†७०५ { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सेझियान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा १९६० से १९६१ के प्रत्येक वर्ष में कितनी नई पालिसियां जारी की गई थीं ;

(ख) अब तक प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण कितनी नई पालिसियां बन्द हो गई हैं ;

(ग) नई पालिसियां तथा उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित पालिसियां कितने मूल्य की हैं ;

(घ) प्रत्यक वर्षों में भाग (ख) में उल्लिखित ऐसी पालिसियों पर कितना कमीशन दिया गया था ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में नई पालिसियां के बन्द हो जाने के कारण कोई कार्यवाही करने का है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

	वर्ष	जारी की गई पालिसियों की संख्या
(क)	१९६०	१२,५७,५५७
	१९६१	१४,६६,६६४

	जारी करने का वर्ष	३१ दिसम्बर, १९६१ तक बन्द हुई पालिसियों की संख्या
(ख)	१९६०	३,३९,८८९
	१९६१	१८,१६४

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जारी करने का वर्ष	नई पालिसियों के अधीन बीमा की राशि	३१ दिसम्बर, १९६१ तक बन्द हुई पालिसियों के अधीन बीमा की गई राशि (करोड़ों रुपयें में)
१९६०	४९७·५४	१०७.९४
१९६१ .	६०८·८२.	५.०३

(घ) जोवन बीमा निगम द्वारा अनुमान लगाया गया है :

१९६० .	५३ लाख रुपये
१९६१ .	१·५ लाख रुपये

(ङ) सरकार ने भारत के जीवन बीमा निगम को बताया है कि पालिसियों के बन्द हो जाने की प्रतिशतता कम करन के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। जीवन बीमा निगम इस संबंध में प्रयत्न कर रहा है ।

नगर निगम

†७०६. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि २५ और २६ अगस्त, १९६२ को बंगलौर में हुए नगर निगम के तोसरे सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था कि सरकार को नगर निगम के लिए आधुनिक नियम बनाने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार भारत के नगर निगमों के लिए नमूना विनियम बनाने के लिए एक समिति नियुक्त करें।

(ख) इस संकल्प को १ तथा २ नवम्बर, १९६२ को कलकत्ता में हुई स्वायत्त शासन सरकार की केन्द्रीय परिषद् की आठवीं बठक में रखा गया था। परिषद् ने इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित किया था :—

"परिषद् ने नगर निगम के ढांचे के बारे में श्री बरफीवाला की टिप्पणी पर विचार करके यह संकल्प किया कि (१) पश्चिम बंगाल, (२) महाराष्ट्र, (३) मद्रास (४) उत्तर प्रदेश और (५) आंध्र प्रदेश राज्यों में स्वायत्त शासन के मंत्रियों की समिति बनाई जानी चाहिए जो कार्यपालिका कार्यों की जांच करे और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कुछ कार्यों के विकेन्द्रीकरण की जांच करे और परिषद् की आगामी बैठक के सामने सदस्यों के परिचालन के लिए छः महीनें में स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रतिवेदन भेजे। पश्चिम बंगाल के मंत्री सभापति होंगे और वही समिति का सचिव चुनें। समिति विशेषज्ञों का परामर्श लें और जो आवश्यक समझें वह गवाही लें।"

परिषद् का उक्त संकल्प भारत सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में बालकों के लिये नये अस्पताल

†७०७. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कलावती सरन, सफदरजंग और इर्विन अस्पतालों में बहुत भीड़ भाड़ तथा लम्बी प्रतोक्षा सूची होने के कारण नये 'बाल अस्पताल' खोलने का है ?

†मल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी नहीं । परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न अस्पतालों में बाल शाखा का विस्तार किया जा रहा है । 'आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्सेज' के अस्पताल में बच्चों के लिए इस समय ६८ पलंग हैं । निर्माणाधीन नये अस्पताल में बच्चों के लिए ६४ पलंग होंगे । 'आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज' के अस्पताल में १९६३ के अन्त तक नया भवन बन जान के बाद बच्चों के लिए बड़ा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी होगा ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के विस्तार कार्यक्रम में भी बच्चों के लिए और पलंगों की व्यवस्था होगी । इर्विन अस्पताल में भी 'बाल शाखा' का विस्तार होगा ।

आंख के रोग

†७०८. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आंख के विभिन्न रोगों के अनुसंधान के लिये कुछ प्राथमिक परियोजनायें स्वीकार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अलीगढ़ में रोहों की एक प्राथमिक परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्थापित की गई है । जिसमें रोहों के उपचार का अध्ययन किया जायेगा और उसके उपचार के लिये सरल तरीका ढूंढा जायेगा । उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के अन्य सभी राज्यों में इस रोग का सर्वेक्षण किया गया था । उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण किया जा रहा है । रोहों के बारे में भारत का एक सांख्यकीय नक्शा बनाया जा रहा है।

परिवार नियोजन

†७०९. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में किन राज्यों में जनसंख्या असाधारण रूप से बढ़ी है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों में परिवार नियोजन की विस्तृत योजनायें आरम्भ की जा रही हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). १९६१ की भारत की जनगणना से मालूम होता है कि निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है :—

१. आसाम	(३४·४५ प्रतिशत)
२. गुजरात	(२६·८८ प्रतिशत)
३. केरल	(२४·७६ प्रतिशत)
४. मध्य प्रदेश	(२४·१७ प्रतिशत)
५. महाराष्ट्र	(२३·६० प्रतिशत)
६. पंजाब	(२५·८६ प्रतिशत)
७. राजस्थान	(२६·२० प्रतिशत)
८. पश्चिम बंगाल	(३२·७९ प्रतिशत)

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु वृद्धि के कारण पूरी तरह से मालूम नहीं हैं और संभवतया कितने ही हैं। परन्तु जनसंख्या के आमतौर पर बढ़ जाने के कारण परिवार नियोजन का प्रचार करने की आवश्यकता है और समस्त देश में परिवार नियोजन का विकास करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) चुने हुए गांवों में गर्भ-निरोधक पदार्थों के वितरण के लिये पुरुष तथा महिलाओं को डियो बनाने के लिये ७ रुपये मानदेय की आरंभिक योजना है। राज्य सरकारें राज्यों म आरम्भिक योजनाओं का विस्तार करने के औचित्य पर विचार कर रही हैं।

(२) प्रति माह १० रुपये मानदेय पर दाइयों का प्रशिक्षण तथा नियुक्ति होगी जो अपने क्षेत्र में गर्भ-निरोधक वस्तुओं का वितरण करेंगी। ये दाइयां जनता में परिवार नियोजन का प्रचार करेंगी और आशा है कि देहाती क्षेत्रों में दाइयों के सहयोग से कार्यक्रम आगे अवश्य बढ़ेगा।

(३) प्रत्येक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन क्लीनिक तथा इसके तीन सब-सेंटर वित्तीय सहायता से स्थापित होंगे।

(४) वित्तीय सहायता से नगरीय परिवार नियोजन की स्थापना को उदार बनाया जा रहा है।

(५) स्वीकृत ढांचे पर राज्यों में चलते फिरते परिवार नियोजन क्लीनिक की व्यवस्था।

(६) जिला अस्पतालों में बन्ध्यीकरण आपरेशनों की सुविधा बनाने के लिये राज्य सरकारों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है तथा राज्यों के तालुक/तहसीलों के अस्पतालों को भी वार्षिक १०,५०० रुपये तक अधिकतम सहायता की व्यवस्था है। बन्ध्यीकरण आपरेशनों तथा चलते फिरते सर्जिकल यूनिटों के टैक्नीक के बारे में मैडिकल टीचिंग संस्थाओं में व्यक्तियों का प्रशिक्षण।

(७) परिवार नियोजन प्रदर्शन सैटों को मंगाया गया है और राज्य सरकारों को राज्यों के जिलों में प्रदर्शन के लिये परिवार नियोजन प्रदर्शनियां करने के लिये दिये गये हैं।

(८) कई पोस्टर्स और पैम्फलेट छापे गये हैं और फिल्में बनाई गईं हैं।

(९) राज्यों में परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं को नियुक्त किया गया है। शेष जिलों में ऐसी नियुक्तियां करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(१०) प्रत्येक जिले में जिला परिवार नियोजन अधिकारी नियुक्त करने के लिये राज्यों को ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(११) मुफ्त तथा सहायता प्राप्त प्रत्येक गर्भ निरोधक वस्तुयें दी जा रही हैं। देहाती क्षेत्रों में आय का ध्यान न करके इनको मुफ्त वितरण किया जाता है।

(१२) स्थानीय संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों को परिवार नियोजन सेवाओं के लिये शत प्रतिशत सहायता दी गई है।

(१३) जनविद्या, मोरिवेशनल तथा जीव विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान किये जा रहे हैं

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†७१०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में तीन महीनों से ज्यादा के लिये कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री** (**डा० सुशीला नायर**) : जानकारी नीचे दी जाती है ।

क्रम संख्या	राज/संघ क्षेत्र	१९६१-६२ में ३ महीनों से अधिक अवधि के लिये जिन प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं रहे
१	उत्तर प्रदेश	जानकारी उपलब्ध नहीं है
२	महाराष्ट्र	३६
३	गुजरात	२३
४	आन्ध्र प्रदेश	४८
५	मद्रास	जानकारी उपलब्ध नहीं है
६	राजस्थान	तदैव
७	मैसूर	३३
८	केरल	कोई नहीं
९	मध्य प्रदेश	१६
१०	बिहार	१०५
११	उड़ीसा	८
१२	पश्चिम बंगाल	कोई नहीं
१३	पंजाब	१९
१४	आसाम	२
१५	जम्मू तथा काश्मीर	जानकारी उपलब्ध नहीं है
१६	मनीपुर	३
१७	त्रिपुरा	कोई नहीं
१८	दिल्ली	कोई नहीं
१९	पांडिचरी	१
२०	हिमाचल प्रदेश	२१
२१	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	कोई प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किया गया
२२	लक्काद्वीप, मीनीकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	कोई प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किया गया

†मूल अंग्रेजी में

केरल में जल संभरण

†७११. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में जल संभरण योजनायें बनाने के लिये एक पड़ताल विभाग स्थापित करने के लिय धन देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पड़ताल विभाग स्थापित हो गया है ; और

(ग) इस विभाग पर कितना व्यय होने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, हां। ग्राम्य जल संभरण समस्या का मूल्यांकन करने के लिये सभी राज्यों में विशेष पड़ताल विभाग, जिनको भारत सरकार १०० प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी, स्थापित करने की एक योजना अगस्त, १९६२ में लागू की गयी है।

(ख) और (ग). अभी केरल सरकार ने एक विभाग स्थापित नहीं किया है परन्तु इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है ।

दिल्ली में डाक्टरों आदि की कमी

†७१२. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक्टरों, नर्सों, वैद्यों, रेडियोग्राफरों और एक्स-रे करने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त व्यवसाय में अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). दिल्ली में चिकित्सा व्यवसायियों की कोई अधिक कमी नहीं है यद्यपि निगम द्वारा कुछ श्रेणियों में स्थान रिक्त होने के बारे में बताया है। यह कमी देश में इन व्यक्तियों की अधिक मांग के कारण हो सकती है और इस को पूरा करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध है और चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाये जा रहे हैं ।

पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये बिजली का संयुक्त संग्रह

७१३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के बिज ी के संयुक्त संग्रह के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : पंजाब और दिल्ली विद्युत् प्रणालियों को समैकित यूनिट के रूप में चलाने की सम्भाव्यता पर अध्ययन किया गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की प्रणालियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का अध्ययन अभी करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†७१४. { **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें जून, १९६२ से विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के अपराधों का स्वरूप और उन पर किये गये विभिन्न जुर्माने के बारे में जानकारी बताई गयी हो ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जून से अक्तूबर, १९६२ तक के ५ महीनों में इन्फार्समेंट निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के २९६ मामले तै किये गये । यह समझा जाता है कि इस अवधि में तै किये गये सभी मामलों के ब्योरे देने वाला एक विवरण तैयार करने में जो समय अथवा श्रम लगेगा वह इससे प्राप्त होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता

†७१५. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वाज्जी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० में हड़ताल करने वाले संघों को फिर मान्यता देने के आदेश नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा क्रियान्वित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आदेशों को क्रियान्वित कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं । भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों के संघों / संस्थाओं को, जिन्होंने वर्ष १९६० में हड़ताल की थी, पुनः मान्यता प्रदान करने के लिये आदेश, तीन संस्थाओं को छोड़कर, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा क्रियान्वित किये गये हैं ।

(ख) तीन संस्थाओं को अभी तक पुनः मान्यता प्रदान नहीं की गयी है क्योंकि केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संस्थाओं को मान्यता) नियम, १९५९ में निर्धारित शर्तों को उन्होंने अभी पूरा करना है ।

(ग) सम्बन्धित कार्यालयों के कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है कि जब उनको बतायी गयी कमियां पूरी हो जायेंगी, तो संस्था को पुनः मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्यात के कम से मूल्य का बीजक

†७१६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के सामान के निर्यात में कम सामान के बीजक बनाने को रोकने के कड़े आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये आदेश क्या हैं ;

(ग) कम सामान का बीजक बनाने के अपराध में वर्ष १९६१ और १९६२ में जिन सार्थों पर जुर्माने किये गये हैं, उनकी संख्या और नाम क्या हैं ; और

(घ) उनकी संख्या और नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मामले छोड़ दिये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). सरकार ने पटसन के सामान के निर्यात में कम से मूल्य के बीजक बनाना रोकने के लिये कोई विशेष आदेश जारी नहीं किये हैं। अन्य वस्तुओं की तरह पटसन के निर्यात से कम मूल्य के बीजक बनाना रोकने के लिये सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सामान्य कार्य है ।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमि के अर्जन और विकास की योजना

†७१७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि के अर्जन और विकास की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्योरा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में, राज्य-वार, कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

(ग) समूची तृतीय योजनावधि के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

(घ) तृतीय योजना के पहले दो वर्षों में, वर्ष-वार, राज्य-वार, भूमि के अर्जन और विकास में अब तक कितनी प्रगति दी गई है ; और

(ङ) तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में, राज्य-वार और पृथक्-पृथक् प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा कितनी रकम खर्च की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ङ). भूमि अर्जन और विकास योजना में, जो अक्तूबर, १९५९ में लागू की गयी थी, राज्य सरकारों को आवास बस्तियां स्थापित करने के लिये कस्बों में भूमि के अर्जन और विकास के ऋण की सहायता देने की व्यवस्था है। योजना के अन्दर विकसित हुए आवास-स्थानों का आवंटन करने में, राज्य सरकारों को गन्दी बस्तियों की सफाई और अन्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिये पात्रों को प्राथमिकता देनी होती है ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें, राज्यवार, तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में अब तक योजना के अन्तर्गत किये गये ऋण-आवंटन, वास्तव में किया गया व्यय और योजना के अन्तर्गत अर्जित/विकसित की गयी भूमि के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]** ।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये लागत सेल

†७१८. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के दौरान किये जाने वाले वास्तविक कार्य की देखभाल करने के लिये लागत सेल बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सेल फालतू व्यय को रोक सके हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस परियोजना के ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) कुछ परियोजनाओं जैसे भाखड़ा-नंगल, कोसी, माइथान, पनचेत पहाड़ी, चंबल और नागार्जुनसागर बांधों, में लागत सेल बनाये गये हैं । हीराकुड और तुंगभद्रा में, यद्यपि कोई पृथक् एकक नहीं बनाये गये हैं, तकनीकी कर्मचारी विश्लेषण कार्य के लिये अपेक्षित आंकड़े एकत्र कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में एक लागत नियंत्रण निदेशालय भी चल रहा है जो परियोजना प्राक्कलनों में किये गये उपबन्धों और दरों का अवलोकन करता है और मितव्ययता का सुझाव देता है । यह प्रमुख परियोजनाओं से प्राप्त लागत परियोजनाओं, दरों की अनुसूचियों और टेंडर की दरों का अवलोकन भी करता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (१) परियोजनाओं में लागत सेल सम्बन्धित परियोजनाओं के अन्तर्गत काम करते हैं और उनके काम के फलस्वरूप प्राप्त मितव्ययता के बारे में जानकारी इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में लागत नियंत्रण निदेशालय ने परियोजना प्राक्कलनों, दरों की परियोजना अनुसूची, लागत प्रतिवेदन और टेंडर की दर की छानबीन के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में पर्याप्त मितव्ययता की है ।

(घ) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में लागत नियंत्रण निदेशालय द्वारा प्राक्कलनों की छानबीन के फलस्वरूप जिन प्रमुख परियोजनाओं में मितव्ययता की गयी है उनमें से कुछ निम्न हैं :—

१. कोसी परियोजना (बिहार) ।

२. गांधीसागर बांध (मध्य प्रदेश) ।

३. चम्बल नहर कोटा बांध (राजस्थान) ।

४. राना प्रताप सागर बांध (राजस्थान) :

५. राजस्थान नहर परियोजना (राजस्थान) ।

६. कोयना परियोजना (महाराष्ट्र) ।

७. सोन बांध (बिहार) ।

८. नागार्जुनसागर परियोजना (आन्ध्र) ।

९. ब्यास परियोजना यूनिट १ (पंजाब) ।

१०. तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना (मध्य प्रदेश) :

११. पम्बा-कक्की जल-विद्युत् परियोजना (केरल)

जठरान्त्रकोप[1] का इलाज

†७१९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय देशीय औषधि अनुसंधान संस्था, जामनगर, में जठरान्त्रकोप के इलाज के लिये कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) केन्द्रीय देशीय औषधि अनुसंधान संस्था, जामनगर में विभिन्न किस्म के जठरान्त्रकोप का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) प्राथमिक अध्ययन के उत्साहजनक परिणाम निकले हैं । उपपत्तियों के बारे में निश्चय करने के लिये और कार्य आवश्यक है ।

दामोदर घाटी निगम नौपरिवहन नहर

†७२०. **श्री ब० कु० दास** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० प० मण्डल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम नौपरिवहन नहर नौपरिवहन के लिये कब तक तैयार हो जायेगी ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coli'is

(ख) इसके पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस नहर के वास्ते प्रति मास कोई सामान कितनी मात्रा में ले जाया जा सकता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जुलाई, १९६२ से सीमित मात्रा में नौपरिवहन के लिये नहर तैयार है। इसके सभी रूप में १९६२ में तैयार होने की आशा है।

पूर्ण रूप से नौपरिवहन में रुकावट यह है (१) पीछे की ओर लगभग दो मील के रास्ते में रेत की तह जम जाना और (२) नहर पर तीन अनधिकृत बांस के पुलों का होना, जिनके हटाने के बारे में स्थानीय लोगों ने आपत्ति उठाई है।

दामोदर घाटी निगम ने रेत हटाने के लिये एक ड्रेजर के लिये क्रयादेश दे दिया है। इस ड्रेजर के आने तक, निगम ने एक पश्चिम बंगाल सरकार से किराये पर लेने का फैसला किया है। अब इस ड्रेजर की मरम्मत की जा रही है और यह मार्च, १९६३ तक तैयार हो जायेगा। तथापि, एकदम पीछे की ओर मिट्टी होने से वर्षा के महीनों में नौपरिवहन में अधिक कठिनाई नहीं होगी। निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार से बांस के पुल हटाने में भी उनकी सहायता करने की प्रार्थना की है। निगम नहर को पार करने के लिये वैकल्पिक साधन के रूप में इन स्थानों पर नौकायें देने को राजी हो गया है।

(ग) नहर में यातायात के १,६०,००० टन प्रति मास होने की संभावना है।

केन्द्रीय ऋणों का राज्यों द्वारा लौटाया जाना

†७२१. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र से विभिन्न राज्यों को जो ऋण दिये गये हैं, उनके लौटने में कुछ कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से राज्यों ने केन्द्र के इन ऋणों को लौटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों की अदायगी पर लेखा अधिकारी (एकाउण्ट्स आफिसर) नजर रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे किसी तरह की चूक होने पर उसकी सूचना सरकार को देंगे ताकि सरकार ऋण की वसूली का उपाय करे। लेखा परीक्षा रिपोर्ट (असैनिक) [आडिट रिपोर्ट (सिविल)] १९६२ में जिन थोड़े से मामलों का उल्लेख किया गया है उनके सिवा, ऋणों का मूल और ब्याज चुकाने में कोई बड़ी चूक नहीं पायी गयी है।

(ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पूर्व पाकिस्तान से आये व्यक्तियों का पुनर्वास

†७२२. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कलकत्ता में पूर्व पाकिस्तान से आये बेरोजगार शरणार्थियों के लिये एक पराधीन कस्बा स्थापित करने की कोई योजना है ताकि शहर में भीड़भाड़ को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य में सिंचाई योजनायें

†७२३. **श्री उमानाथ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कावेरी से सम्बन्धित कई सिंचाई योजनायें मैसूर सरकार से स्वीकृति के अभाव में रोक दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजनायें क्या हैं और इस मामले में मैसूर सरकार की क्या आपत्तियां हैं ;

(ग) इस मतभेद को निबटाने के लिये और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, अथवा उठायेगी ;

(घ) क्या मद्रास सरकार ने इन योजनाओं की मंजूरी के लिये केन्द्र से कहा है ; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को मद्रास राज्य में मैसूर सरकार की सहमति के अभाव में कावेरी से सम्बन्धित किसी सिंचाई योजना के रुकने का पता नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जल विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण

७२४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशव्यापी जिन २३८ जल-विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है उन्हें बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन ४५ परियोजनाओं को विस्तृत सवक्षण के पश्चात् तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा की मेज पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० ५८४/६२**]।

पूर्व भारत में बिजली की कमी

†७२५. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य तथा उद्योग के बंगाल चैम्बर ने सितम्बर, १९६१ में पूर्व भारत में बिजली की स्थिति की हालत के बारे में चेतावनी दी कि बिजली की कमी के कारण पूर्व में औद्योगिक पट्टी को इसके विकास में गम्भीर संकट का सामना करने की संभावना है और उस क्षेत्र के लिये बिजली पैदा करने में प्राथमिकता की मांग की ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां।

(ख) मामले की इसके लिये उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निरन्तर परीक्षा की जा रही है ताकि कमी को पूरा किया जा सके।

ऋण का भारतीय निर्यात मे भुगतान

†७२६. { **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र बर्मा : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने ऋणदाता देशों से ऋण का भुगतान भारतीय निर्यात में स्वीकार करने के लिये बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का स्वरूप क्या है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). रूस, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैण्ड से प्राप्त ऋण के बारे में प्रथमतः रुपये में ऋण के भुगतान (ब्याज समेत) के लिये व्यवस्था की जा चुकी है, रुपये का इन देशों की सरकारों के साथ किये गये व्यापार करारों की शर्तों पर भारत से निर्यात पर धन लगाने में खर्च किया जायेगा। अन्य देशों से प्राप्त ऋण के बारे में पुनर्भुगतान भारतीय निर्यात में स्वीकार करने के बारे में कोई वार्ता नहीं चल रही है।

श्रीसैलम जल-विद्युत् परियोजना

†७२७. { **डा० क० ल० राव :**
श्री कोल्ला वेंकैया : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीसैलम जल-विद्युत् परियोजना में पानी की कोई खपत शामिल नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मंजूरी रोक देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि यदि नागार्जुनसागर बांध नीचे की तरफ बनाया गया, तो श्रीसैलम परियोजना की नींव डालना बहुत कठिन हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) अक्तूबर, १९६२ में आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन में पानी की खपत शामिल है ।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विचाराधीन है ।

(ग) यदि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण प्लस ५४६' पर किया गया तो श्रीसैलम बांध की नींव डालना कठिन और अधिक खर्चीला होगा ।

परियोजना के लिये उपबंध

†७२८. **डा० क० ल० राव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा, दामोदर घाटी निगम और हीराकुड जैसी बड़ी परियोजनाओं के मामले में एक वर्ष में अधिकतम कितनी धनराशि व्यय की गयी है ; और

(ख) नागार्जुनसागर परियोजना के लिये एक वर्ष में अधिकतम कितना उपबन्ध किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जानकारी निम्न प्रकार है :

भाखड़ा वर्ष १९५३–५४ में २७.५२ करोड़ रुपये

दामोदर घाटी निगम वर्ष १९५७–५८ में १५.५४ करोड़ रुपये

हीराकुड वर्ष १९५५–५६ में ९.३३ करोड़ रुपये

(ख) नागार्जुन सागर वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में १० करोड़ रुपये ।

भोपाल के एम० डी० और एम० एस० के पाठ्य क्रम

†७२९. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी मेडिकल कालिज, भोपाल के एम० डी० और एम० एस० पाठ्यक्रमों को भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा उचित मान्यता प्रदान की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो मैसूर राज्य में हुबली में मेडिकल कालेज को मान्यता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल विक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । इस विश्वविद्यालय की एम० डी० और एम० एस० अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत मान्यता दी जा चुकी है । चिकित्सा अर्हताओं की मान्यताओं से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हुबली में मेडिकल कालिज कर्णाटक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस विश्वविद्यालय द्वारा की गयी एम० बी० बी० एस० की डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण

†७३०. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना में केरल में कितने गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई ;

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत राज्य सरकार ने पूरी कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) ७३५।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं करता। ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का बनाना तथा लागू करना राज्य सरकार का काम है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भाखड़ा के दाहिने किनारे का बिजली घर

†७३१. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा में दाहिने किनारे के बिजली घर का डिजाइन निश्चित करने के लिए कुछ रूसी इंजीनियरों के आने की आशा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रूस गये भारतीय इंजीनियर वापस आ गये हैं ; और

(ग) क्या बिजलीघर का खुदाई का काम पूरा हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). हां।

मानसिक रोग चिकित्सालय और पागलखाना

†७३२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने मानसिक रोग चिकित्सालय और पागलखाने हैं और आजकल अस्पतालों तथा पागलखानों में कितने पागल हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में स्थानों की कमी के कारण पागलखानों में कितने मानसिक रोगियों को भरती नहीं किया गया ;

(ग) क्या अस्पतालों तथा पागलखानों के बाहर पागलों की संख्या का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि भारत में पागलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ५८५/६२ (विवरण —१)]** ।

(ख) कुछ राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से अद्यतन प्राप्त उत्तरों से बताया गया एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी– ५८५/६२ में (विवरण संख्या २)]** बाकी राज्यों ने अभी तक अपेक्षित जानकारी नहीं दी है।

(ग) जुलाई, १९६१ में सभी राज्य सरकारों (उड़ीसा को छोड़ कर जहां उस समय कोई मानसिक रोग चिकित्सालय नहीं था) प्रार्थना की गई थी कि वे अपने अपने अधिकाराधीन क्षेत्र में मानसिक विकृति और दिमागी गड़बड़ के मामलों का सर्वेक्षण करें। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुई जानकारी से पता लगता है कि आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने सर्वेक्षण किये थे। आसाम और महाराष्ट्र की सरकारें सर्वेक्षण पूरा कर चुकी हैं और निष्कर्ष भारत सरकार को बता दिए गये हैं। अन्य राज्य सरकारों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के निष्कर्ष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। सभी राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर परिणामों की तालिका बनाई जायेगी।

(घ) देश में मानसिक रोगों के मामलों और मानसिक विकृति कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अतः इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में जल रोध निरोधक कार्य'

†७३३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बसुमतारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जर्मनी के जल निष्कासन विशेषज्ञ प्रोफेसर जानर्ट के विचारों को ध्यान में रखकर प्रयोगात्मक रूप में पंजाब सरकार ने जलरोध निरोधक कार्य आरम्भ किया था। उसका क्या फल रहा;

(ख) यह कार्यवाही यदि प्रभावी सिद्ध होती है तो बड़े पैमाने पर कब लागू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि वह अपर्याप्त सिद्ध होती है, तो क्या वैकल्पिक उपाय सोचे गये है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†७३४. **डा० उ० मिश्र**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टर आपातिक मामलों में भी रोगियों को घर जाकर देखने में आनाकानी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

'Anti-water logging steps.

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). घरों पर जाना चिकित्सकों के कार्य का एक अंग है। यदि उपेक्षा का कोई विशेष मामला हो, तो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के निदेशक शिकायत मिलने पर उसकी जांच करेंगे।

आम की गुठली के गुण कार्य

†७३५. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम की गुठली का पौष्टिक महत्व निर्धारण के लिए उसके गुण कार्य की कभी जांच की गई है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि गरीब लोग गुठली को पीसकर आटा बनाते हैं और उसकी रोटी बनाकर खाते हैं;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि अगस्त १९६२ के चौथे सप्ताह में बिहार के जिला भागलपुर में जसगर गांव के पांच व्यक्ति ऐसी रोटी खाने से मर गये; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) आम की ताजा गुठली के पौष्टिक महत्व के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है जो निम्न है :—

भाग	ताजा गुठली	
	नीलम प्रतिशत	तोतापरी प्रतिशत
तरी	४७·१	६३·२
प्रोटीन	२·६	२·२
चरबी	५·१	३·३
खनिज	१·४	१·२
रेशा	०·८	१·०
कार्बोहाइड्रेड	४३·०	२९·१
केलसियम एम० जी०	५०·०	३०·०
फासफोरस एम० जी०	११०·०	६०·०
लोहा एम० जी०	०·७	०·८
केलोरीज, प्रति १०° जी०	२२८·०	१५५·०
केरोटीन, आई० यू० विटामिन ए० प्रति १०° जी०	२४·०	४४·०
विटामिन एम० जी०/१०० जी०	२१०·०	२१७·०
नाइकोटिनिक एसिड एम०जी० प्रति १०० जी०	शून्य	शून्य
रिबोफिलेविन, एम० जी/१०० जी०	१०५·०	२७९·०
विटामिन सी०, एम० जी० प्रति १०० जी०	६·०	११·०

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

कोसी परियोजना

†७३६. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोसी परियोजना के प्राक्कलन तीसरी बार बदले गये हैं या बदले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अगलेशन)**: (क) हां, कोसी परियोजना का प्राक्कलन आजकल बदला जा रहा है।

(ख) प्राक्कलन को बढ़ाने के मुख्य कारण निम्न है :—

(१) बान्ध तथा परियोजना के अन्य रूपों में परिवर्तन।

(२) सीमेन्ट, इस्पात, आदि जैसे मूल सामान के मूल्य में वृद्धि।

(३) मजूरी में वृद्धि।

(४) जलयान भूमि के लिए, विशेषकर नेपाल राज्यक्षेत्र में, प्रतिकर के लिए पहिले प्राक्कलनों में अपर्याप्त व्यवस्था।

(५) नहरों में मिट्टी का कार्य १५२ करोड़ घनफुट से बढ़कर १८२ करोड़ घनफुट होगा।

(६) सहायक नालियों के लिए अपर्याप्त उपबन्ध।

(७) बड़ी नहरों की निर्माण–लागत के लिए, विशेषकर 'क्रास ड्रेनेज' कार्यों के लिए अपर्याप्त उपबन्ध।

(८) कर्मचारियों संबंधी व्यय में वृद्धि।

अगरतला अस्पताल में नर्सें

†७३७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगरतला के वी० एम० अस्पताल और गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल में कितनी नर्सें हैं;

(ख) क्या नर्सों की यह संख्या अस्पतालों में दाखिल रोगियां के लिए पर्याप्त है?

(ग) यदि नहीं, तो अस्पताल में दाखिल रोगियों की उचित देख-रेख के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या अतिरिक्त कार्य के लिए नर्सों को कोई वेतन दिया जाता है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) वी० एम० अस्पताल के बारे में जानकारी निम्न है :—

(क) संख्या ७२ है (परन्तु १२ पद खाली हैं)। इनके अलावा ५८ विद्यार्थी नर्सें हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) नर्सों से अतिरिक्त काम नहीं लिया जाता अतः अतिरिक्त वेतन देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल सम्बंधी जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भेषज[*]

†७३८. { **श्री यशपाल सिंह :** **महाराजकुमार विजय आनन्द :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर में रेडक्रास का एक छोटा कारखाना सामान्य लागत की आधी लागत पर उच्च किस्म के भेषज बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी सहायता दी जा रही है?

†**स्वास्थय मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) उड़ीसा राज्य के रेडक्रास ब्लड बैंक का भुवनेश्वर में नहीं अपितु कटक में एक भेषज विभाग है। यह एकक केलसियम ग्लोकोनेट, ग्लोकोज, ग्लोकोज सेलाइन, सामान्य सेलाइन और इंजेक्शनों के लिए पानी बनाता है। सलफा, विटामिन ए० पी० सी० जैसी स्टेण्डर्ड बी० पी० गोलियों और सोडामिन्ट गोलियों का निर्माण लगभग एक मास पहिले आरम्भ हुआ था। इस कारखाने के उत्पादों तथा कुछ अन्य फर्मों के ऐसे ही उत्पादों के विक्रय मूल्य के तुलनात्मक अध्ययन से पता लगता है कि भेषज विभाग के मूल्य निश्चय कम हैं हालांकि वे सामान्य मूल्य की बिल्कुल आधी नहीं हैं।

(ख) रेडक्रास को राज्य सरकार से अपेक्षित सहायता मिली है।

ओवरटाइम भत्ता

७३९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग द्वारा संशोधित ओवरटाइम भत्ते सम्बन्धी नियमों को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में समान रूप से लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक उन्हें लागू न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). औवरटाइम भत्ते के नियम, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में समान रूप से लागू होते हैं।

कृषि विकास वित्त निगम

†७४० **श्री वारियर** : क्या **वित्त** मंत्री २५ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विकास वित्त निगम बनाने के बारे में कोई निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[*]Drugs.

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

मुद्रण यंत्र का आयात

†७४१. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७, १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में सरकारी प्रेसों के लिये सामान्य चलार्थ क्षेत्रों से कुल कितने मूल्य के मुद्रण यंत्र आयात किये गये ; और

(ख) वर्ष १९५७, १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में सरकारी प्रेसों के लिये कुल कितने मूल्य के मुद्रण यंत्रों का आयात हुआ ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शरवती जल विद्युत् परियोजना

†७४२. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने शरवती जल-विद्युत् परियोजना का एक डिज़ाइन उन के मंत्रालय में भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) परियोजना संभवतः कब आरम्भ होगी ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने भारी सामान खरीदने के लिये विदेशी-मुद्रा मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रार्थना स्वीकृत हो गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं, परन्तु मुख्य बन्ध की सीधी और मिट्टी के बन्ध का डिजाइन तैयार हो गया है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने पर उसे अन्तिम रूप दे दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सन् १९६४ के आरम्भ में ८९.१० मेगावाट का पहिला यूनिट चालू हो जायेगा ।

(घ) और (ङ) हां ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये दो कमरे वाले क्वार्टर

†७४३ **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरे वाले क्वार्टर बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन के कब बनने की संभावना है और ऐसे कितने क्वार्टर बनेंगे ;

(ग) क्या उन पर इन का कोई प्रभाव पड़ेगा जो एक कमरे के क्वार्टर में पहिले से रह रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) इस योजना का पूरा ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (घ) यह निश्चय हो गया है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आजकल मिलने वाले एक कमरे वाले क्वार्टरों के बजाय दो कमरे वाले क्वार्टर दिये जायेंगे। नये क्वार्टरों का निर्माण पुन: विकास कर के या नई भूमि पर इस आधार पर होगा। आरम्भ में, प्रथम चरण के रूप में पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में उस भूमि का पुन: विकास कर के लगभग ८०० दो कमरे वाले क्वार्टर बनाने का निश्चय किया गया है। आजकल एक कमरे वाले क्वार्टरों में रहने वालों को दो कमरे वाले क्वार्टर दिय जायेंग।

'लांग' की कृषि

†७४४. { **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'लांग' नामक दाल की कृषि गुजरात तथा देश के अन्य भागों में विस्तृत रूप से होती है ;

(ख) क्या खाद्य के रूप में इस का कुछ महीनों तक निरन्तर प्रयोग करने से असाध्य व विकट पक्षाघात हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दाल की कृषि अब तक प्रतिबन्धित क्यों नहीं की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां।

(ख) 'लांग' नामक दाल जिसे लोग केसरी दाल भी कहते हैं, या तो दाल के रूप में खाई जाती है या चपातियों के रूप में खाई जाती है। यदि इस दाल को मुख्य भोजन के रूप में निरन्तर प्रयोग करें और साथ में संरक्षात्मक भोजन और अनाज नहीं खाया जाये, तो इस से 'लिथेरिज्म' नामक रोग हो जाता है जिस में पिंडलियों का मांस सुकड़ जाता है और नीचे के भाग का पक्षाघात हो जाता है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निरोधक नियम, १९५५ के नियम ४४-क के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केसरी चना/दाल का विक्रय रोकने का या उस तारीख से उन का उत्पादन रोकने का प्राधिकार दिया गया है जिस की अधिसूचना वे सरकारी गजट में निकालें। परन्तु इस फसल की खती के आर्थिक पहलू भी हैं और उपयुक्त स्थानापन्न फसल ज्ञात करने के लिये भारत सरकार ने एक अनोखी भूमि में जहां 'केसरी चना' उगाया जाता है एक केन्द्र बनाने का निश्चय किया है ताकि 'केसरी चना' की विभिन्न किस्मों की जांच करने के लिये अनुसंधान कार्य किया जा सके और उन्हें पृथक किया जा सके जो हानिकारक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दण्डकारण्य परियोजना की अनियमितताओं के बारे में विशेष पुलिस संस्थान की जांच

†७४५. **श्री विद्या चरण शुक्ल:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना में स्टोर्स की खरीद और ट्रैक्टरों की मरम्मत सम्बन्धी कथित कुछ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये किसी विशेष पुलिस संस्थापन के पदाधिकारियों को कार्य भार सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कथित आरोप किस प्रकार के थे ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). सितम्बर, १९६० में सरकार को यह जानकारी दी गई थी कि दण्डकारण्य परियोजना के कुछ पदाधिकारियों को विद्यमान बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कुछ ट्रैक्टर, मोटर ट्रक और जीपें खरीदी थीं और दोनों मूल्यों के बीच की रकम उन्हों ने हड़प कर ली। विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा की गई जांच से पता लगा कि इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी।

पंजाब में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए आवास

†७४६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये मकान की जगह खरीदने और सड़कों तथा नालियों के सुधार के लिये पंचायतों के लिये पंजाब सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) अभी तक कितनी राशि दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख). इन कामों के लिये राज्य सरकारों को कोई विशेष राशियों का आवंटन नहीं किया गया है। परन्तु हाल में ही राज्य सरकारों (पंजाब को भी) को सूचित कर दिया गया है कि वे ग्राम आवास परियोजना योजना के अधीन अपने वार्षिक आवण्टन में से एक-तिहाई भाग भूमिहीन खेतिहर मजदूरों (इस में उस श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्य भी सम्मिलित होंगे) के मकानों की जगह के लिये खर्च कर सकते है। इस के साथ ही इस योजना के अधीन विकास के लिये चुने गये गांवों में सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था पर राज्य अपने आवण्टन का १/६ भाग खर्च कर सकते है। इन दोनों पर होने वाला खर्च अनुदान के रूप में माना जायेगा। चालू वर्ष में इस योजना के अधीन पंजाब के लिये आवण्टित राशि ६.७२ लाख रुपये है।

मैसूर में बांध

†७४७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में हाइड्ल विद्युत् के उत्पादन के लिये कावेरी पर, एक मेवेदातु पर और दूसरा शिन्शा से १४ मील की दूरी पर दो बांध बनवाने की कोई प्रस्थापना है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ख) क्या इन बांधों के निर्माण के फलस्वरूप शिन्शा और शिवसमुद्रम् बिजलीघर जलमग्न हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इन दो नई विद्युत् परियोजनाओं के बनवाने के क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में बिजली पैदा करने वाले कारखाने

†७४८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में किन-किन स्थानों पर बिजली पैदा करने वाले कारखाने बनाये गये है ;

(ख) बिजली सप्लाई करने के लिये इन कारखानों में किस दर से पैसा लिया जाता है ;

(ग) क्या यह दर पश्चिमी बंगाल की तुलना में बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इन दरों को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** (क)

१. अगरतला

२. धर्मनगर

३. कैलासहर

४. खोवाई; और

५. उदयपुर

(ख)

	अगरतला प्रति किलोवाट	अन्य स्थान प्रति किलोवाट
(एक) घरेलू और वाणिज्यिक (बिजली और पंखे) . .	४४ नये पैसे	५० नये पैसे
(दो) घरेलू कामों के लिए गर्म तथा अन्य प्रयोजनों हेतु	२५ नये पैसे	३१ नये पैसे
(तीन) औद्योगिक .	१९ नये पैसे	३१ नये पैसे
(चार) सार्वजनिक बिजली	३१ नये पैसे	३७ नये पैसे

(ग) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए त्रिपुरा में बिजली की दर कुछ कम है । अन्य मामलों में दरें पश्चिमी बंगाल में डीजल बिजली की वर्तमान दरों के लगभग समान ही हैं यद्यपि इनकी तुलना कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य बड़े नगरों में बिजली की दरों से नहीं की जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) त्रिपुरा में दरें कुछ अधिक होने के कारण यह है कि कलकत्ते में डीजल तेल का मूल्य ३०० रु० प्रति टन है जो कि रेल तथा सड़क परिवहन की कठिनाइयों के कारण त्रिपुरा में ४५० रु० प्रतिटन से अधिक अर्थात् ५० प्रतिशत अधिक पड़ता है। वर्तमान प्रशुल्कों के बावजूद भी ये उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और दरें घटाना संभव नहीं है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में आसाम से बड़ी मात्रा में जल-विद्युत के संभरण की योजना दीर्घकालीन आधार पर कार्यान्वित करने के लिए सोची गयी है। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर दरें घटा पाना सम्भव होगा।

अगरतला में बाजार

†७४९. श्री दशरथ देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला, त्रिपुरा में निम्नलिखित बाजारों के विकास के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ;

(१) माथ चौमोहिनी

(२) बट ताला

(३) दुर्गा चौमोहिनी

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). (१) **माथ चौमोहिनी बाजार** : इसे हटा कर एक नई जगह पर ले जाया जायेगा और भूमि अर्जन की कार्यवाही अन्तिम अवस्था में है। नये स्थान पर बाजार में सड़कें और नालियां बनाई जायेंगी और सब्जी, मछली तथा मांस की दुकानें होंगी।

(२) **बट ताला बाजार** : बाजार में मछली तथा मांस की एक दुकान बनवाने तथा सड़कों और नालियों का सुधार करने की एक योजना बनाई गई है। एक अस्थायी प्रकार की मछली-मांस दुकान बना दी गई हैं और बाजार की सड़कों तथा नालियों को सुधारा जा रहा है।

(३) योजना में परचून की दुकाने, सब्जी, मछली और मांस के स्टाल, सड़कों तथा नालियों के निर्माण तथा स्वच्छ शौचालय व पेशाबघर बनवाने की योजना है। स्थायी परचून की दुकाने के पांच पक्के ब्लॉक और सब्जी की दो दुकानें बन कर तैयार हो गई हैं। मछली और मांस का एक स्टाल बनकर तैयार होने वाला है। आशा है कि इस बाजार का सारा काम दिसम्बर, १९६२ तक पूरा हो जायेगा।

सैनिटरी इंस्पैक्टरों की केन्द्रीय परिषद्

†७५०. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सेनिटरी इन्सपेक्टरों की एक संविहित केन्द्रीय परिषद बनाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था से क्या लाभ होने की संभावना है ; और

(ग) इस संबंध में संसद में विधान कब लाये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) इस परिवार की स्थापना से भारत में सेनेटरी इन्सपेक्टरों को ट्रेनिंग का अधिक एकरुप स्तर हो जायेगा ।

(ग) इस योजना की कार्यान्विति से सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा प्रशासनों की सहमति मिल जाने के बाद उपयुक्त अवसर पर यह विधेयक संसद में पेश किया जायेगा ।

अफीम कारखाना, गाजीपुर

७५१. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री ९ मई १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में अफीम फैक्टरी के नवीनीकरण की योजना जो विचाराधीन थी उस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है ।

आयुर्वेदिक औषधियां

†७५२. { **श्री राम रतन गुप्त** :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेदिक औषधियों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) अभी तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक, होम्योपैथी आदि भारतीय शिक्षा पद्धतियों के विकास के लिए केन्द्रीय तथा राज्य की योजनाओं के लिए तीसरी पंच वर्षीय योजना में कुल ९८२ लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है । इसमें से ३०० लाख रु० केन्द्रीय योजनाओं के लिए हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की सहायता केवल स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुसंधान, औषधिक पौदों के सर्वेक्षण आदि के लिए अनुदान के रुप में दी जायेगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक केन्द्रीय सरकार ने प्रत्यक्ष अनुदान के रुप में विभिन्न आयुर्वेदिक संस्थाओं को कुल १०,१७,०१५ रु० दिये हैं । आयुर्वेद पर राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्च संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

चिकित्सा पुस्तकों के लिये पुरस्कार

†७५३. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में ऊंचे स्तर की चिकित्सा पुस्तकें प्रकाशित करने वालों को पुरस्कार देने की व्यवस्था जारी करने का सरकार का विचार है ; और

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये पुरस्कार नकद अथवा किसी वस्तु के रुप में होंगे तथा उनका विवरण क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अंग्रेज़ी और हिन्दी में चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार देने का प्रस्ताव है । अभी इस योजना का ब्योरा तैयार नहीं किया गया है ।

आयुर्वेदीय और यूनानी औषधियां

†७५४. { श्री यशपाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने आयुर्वेदीय और यूनानी औषधियों को सम्मिलित करने की दृष्टि से औषध अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस दिशा में क्या प्रतिक्रिया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की दसवीं मीटिंग में ये सुझाव स्वीकृत किये गये थे । यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है ।

ग्राम्य आवास व्यवस्था का गहन कार्यक्रम

†७५५. श्री कोल्ला वेंकय्या : क्या निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य आवास व्यवस्था परियोजना के अन्तर्गत गहन एकीकृत ग्राम्य, आवास कार्यक्रम आरम्भ करने की प्रस्ताव ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का क्या स्वरुप ह ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर कितना खर्च किया जायेगा ?

†निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के गहन कृषि जिला कार्यक्रम की रुपरेखा के अनुसार चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में गहन स्वीकृत ग्राम्य आवास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सुझाव पर नई दिल्ली में हाल में अक्तूबर, १९६२ में गृह निर्माण मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । इस सम्मेलन में यह सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को अपने ग्राम्य, आवास कार्यक्रम को गहन कृषि जिला कार्यक्रम में आत्म साध कर राज्य के प्रत्येक डिवीजन में एक सामुदायिक विकास खण्ड को चुन कर ग्राम्य आवास परियोजना के अन्तर्गत प्रयत्नों को गहन रुप देना चाहिए । सम्मेलन ने राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया है कि विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं के अधीन

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उपलब्ध राशि की समुचित प्रयोग करने की दृष्टि से चुने हुए खण्डों में उपर्युक्त योजना और समन्वय एजेन्सियां स्थापित करना चाहिए

(ग) इस कार्यक्रम के लागत की पृथक मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि ग्राम्य आवास परियोजना और अन्य ग्राम्य बिकास योजना के अधीन राज्य सरकारों के समग्र आवंटन से इसकी पूर्ति की जायेगी ।

मद्रास और मैसूर में प्लेग के रोगी

†७५६. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि मैसूर और मद्रास में प्लेग के इक्के दुक्के मामलों के बारे में रिपोर्ट देने और उनकी जांच करने के लिये सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या विवरण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मैसूर, मद्रास और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्लेग की स्थिति के बारे में डा० ए० एम० फ्रांसिस की रिपोर्ट की प्रति संसद् पुस्तकालय में पहले ही उपलब्ध है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुईल नदी से सम्बन्धित जल विद्युत् योजनायें

†७५७. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में सुईलनदी (चम्बा) में जलविद्युत योजना के सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ कर दी है ;

(ख) इस योजना से कितनी बिजली पैदा होने की आशा है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार के कर्मचारियों को इस जांच की अनुमति वापस लेने से जांच कार्य रोक दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच कार्य को जारी रखने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ४०,००० किलोवाट।

(ग) जी हां ।

(घ) पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के बीच यह विषय विचाराधीन है ।

आयुर्वेद में प्रयुक्त की जाने वाली जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण

†७५८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद में प्रयुक्त जड़ी बुटियों के सर्वेक्षण का हाल ही में निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ;

(ग) क्या यह कार्य किसी स्वतन्त्र गवेषणा संस्था के सुपुर्द किया जा रहा है अथवा सरकारी एजेन्सियां और उनके कर्मचारी इस कार्य को करेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जिन संस्थाओं में आवश्यक असुविधायें उपलब्ध हैं वहां इस कार्य के लिये सवक्षण एकक स्थापित करने का विचार है । प्रारम्भ में एक एकक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, जो गैर-सरकारी संगठन है, स्थापित किया जा रहा है । अन्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

गोआ को कोयना बिजली की सप्लाई

†७५९. **श्री बड़े** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ को कोयना से बिजली सप्लाई करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गोआ को बिजली ले जाने वाली लाइनें खड़ी करने का काम कब प्रारम्भ होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) महाराष्ट्र सरकार प्रारम्भ में गोआ को दो हजार किलो वाट बिजली सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में यह काम आरम्भ होने की आशा है ।

जम्मू और काश्मीर में तापीय बिजली घर

†७६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में कोयले से बिजली पैदा करने के लिये जम्मू और काश्मीर तथा पंजाब राज्य सरकारों की ओर से एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एक तापीय बिजलीघर स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा और इसके लिये कितनी रकम आवश्यक होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव जम्मू और काश्मीर में कालाकोट में एक वृहद तापयी बिजली घर स्थापित करने से सम्बन्धित है । इसका व्यौरा अभी तैयार करना है ।

विदर्भ में पीने के पानी की योजनायें

†७६१. **श्री बालकृष्ण वास्निक** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के पानी के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से सहायता मांगी है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस योजना का स्वरूप क्या है और यह किन किन क्षेत्रों में प्रारम्भ की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई जनायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) की दृष्टि में उत्पन्न नहीं होते है ।

सरकारी उद्योग क्षेत्र के लाभ में गिरावट

†७६२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में १९६०–६१ में लाभ २०१ लाख रुपये से घटकर १९६१–६२ में १८५ लाख रुपये रह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सरकारी उद्योग क्षेत्र के सब उद्योगों के १९६१–६२ के लिये वार्षिक रिपोर्ट और लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुए है अतः १९६०–६१ के परिणाम से उनकी तुलना सम्भव नहीं है । सब लेख प्राप्त होने पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करा दी जायगी ।

साउथ एवन्यू और साउथ ब्लाक क्षेत्र में बन्दरों का उत्पात

†७६३. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि नई दिल्ली नगरपालका के साऊथ एवेन्यू और साऊथ ब्लाक क्षत्र से बन्दरों का उत्पात दूर करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : जब भी बन्दरों के उत्पात की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो कुत्त मारने वालों को हवा में बन्दूक चला कर बन्दरों को भगाने के लिय नियुक्त किया जाता है क्योंकि नगरपालिका के लिये अभी तक बन्दर पकड़ने वालों की सेवा प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है ।

पोश्त की खेती

†७६४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मौसम में मध्य प्रदेश में कितने एकड़ भूमि में पोश्त की खेती की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार १९६२–६३ में पोश्ते की खेती के लिये ९,९२७ हेक्टेपर क्षेत्र निश्चित किया गया है । अभी बन्दोबस्त कार्य चल रहा है और इसके पूरा होने पर ही आवंटित अन्तिम क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी मिल सकती है ।

अपर जमुना वैली इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी

†७६५. **महाराजकुमार विजय आनन्द** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपर जमुना वेली इलेक्ट्रिक सप्लाई का संचालन अपने हाथ में ले लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जवानों के लिये दान दिय गये रक्त को जमा करने की व्यवस्थ का कम होना

†७६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्ताना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा और लद्दाख में चीनियों का मुकाबला करने वाले जवानों के लिये जो रक्त मिल रहा है उसे स्टोर करने की व्यवस्था अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) जवानों के लिये रक्त देने के लिये कुल कितने व्यक्तियों ने नाम दिये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). रक्त को थोड़े समय तक ही रखा जा सकता है और यह उचित नहीं कि भारी मात्रा में रक्त को जमा रखा जाये। सैनिक अस्पतालों को रक्त सप्लाई करने का सब से अच्छा तरीका यह है कि रक्तदान करने वालों के नाम रजिस्टर में दर्ज किये जायें और मांग के अनुसार रक्त निकाल कर भेज दिया जाये। तदनुसार, रक्त देने के इच्छुक व्यक्तियों के नाम दर्ज किये जा रहे हैं। देश भर में कितने व्यक्तियों ने नाम दिये यह इस समय ज्ञात नहीं है और आंकड़े एकत्र किये जायेंगे ।

कलकत्ता में पानी की सप्लाई

†७६७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम ने सरकार से प्रार्थना की है कि रैनी कूप प्रणाली के आधार पर गहरे नलकूप खोदने में उसकी सहायता की जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि इस से कलकत्ता के लिये पर्याप्त जल की स्थायी व्यवस्था हो जायेगी ; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) कलकत्ता निगम ने जो प्रस्थापना पश्चिम बंगाल सरकार को पेश की थी उसकी अग्रिम प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय को प्राप्त हुई थी ताकि उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जा सके। राज्य सरकार ने अभी वह प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शरवती घाटी परियोजना

†७६८. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, १९६२ में मैसूर राज्य में शरवती घाटी परियोजना के बारे में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने कोई जांच की थीं ;

(ख) यदि हां, टैक्नीकल विशेषज्ञ समिति ने किन बातों का पता लगाया ; और

(ग) कार्य को गतिशील बनाने के लिये उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) परियोजना योजना समिति के सिंचाई और विद्युत् दल को हाल ही में शारवती घाटी परियोजना को मितव्ययता और शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिये सुझाव देने के हेतु परियोजना का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया गया है। यह दल ९ से १३ अक्तूबर, १९६२ तक पहली बार बंगलोर और शारावती गया और उस ने राज्य तथा परियोजना प्राधिकारियों से प्रारम्भिक बात चीत की ।

(ख) और (ग). अध्ययन अभी जारी है। अध्ययन पूर्ण होने पर ही दल अपनी उप पत्तियां और सिफारिशें बता सकेगा ।

प्रतिरक्षा बांड तथा इनामी बांड

†७६९. { **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रतिरक्षा बांड, बचत प्रमाणपत्र, स्वर्ण बांड और इनामी बांड जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस की नई शर्तें क्या हैं ;

(ग) किस तारीख से इन की बिक्री शुरू होगी ; और

(घ) क्या जनता की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित अधिसूचनाओं, जिन में उन की शर्तें दी हुई हैं, की प्रतियां सभा पटल पर रखी गई हैं ।

(ग) ४–१।४ प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांड १९७२ की बिक्री १०–११–६२ से, ४–१/२ प्रतिशत दस वर्षीय डिपाजिट प्रमाण पत्र १०–११–६२ से, ६–१।२ प्रतिशत स्वर्ण बांड १९७७ की बिक्री १२–११–६२ से, १२ वर्षीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र १५–११–६२ से प्रीमियम इनामी बांड १–१–६३ से ।

(घ) इन के बारे में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर में सलाल जल विद्युत् परियोजना

†७७०. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सलाल जल विद्युत् परि ोजना का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; और

(ग) परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई में पकड़ा गया अवैध सोना

†७७१. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री कमलनयन बजाज :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ नवम्बर, १९६२ को बम्बई में ७८ लाख रुपये का अवैध सोना पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) सेंट्रल एक्साइज़ कलेक्ट्रेट, बम्बई के अधिकारियों ने बम्बई के निकट रेवडंडा क्रीक में समुद्र के पानी में से ११ नवम्बर, १९६२ को ३६००० तोले सोना पकड़ा जिस पर विदेशी चिन्ह थे । बाजार के भाव के अनुसार उसका मूल्य ४५ लाख रुपये आंका गया ।

(ख) ७ नवम्बर, १९६२ को जिला कोलाबा में अलीबाग के निकट पुलिस ने १५,९०० तोले अवैध सोना पकड़ा । यह शक था कि पुलिस ने जो सोना पकड़ा वह अवैध ढंग से समुद्री तट पर लाये गये सोने की खेप का कुछ अंश था इसलिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारी और तलाश कर रहे है और उपरोक्त मात्रा ११ नवम्बर, १९६२ को पकड़ी गई थी और तलाश जारी है ।

भारत-चीन सीमान्त पर युद्ध-विराम के बार में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आप से अपील करता हूं कि प्रधान मंत्री से प्रार्थना की जाये कि वे युद्ध की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में, विशेषकर चीनी सरकार की युद्ध विराम घोषणा के प्रसंग में एक संक्षिप्त वक्तव्य दें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमारी जानकारी के अनुसार कल रात से कोई गोली नहीं चली ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : इस समय चीनी कहां पर है ? क्या वे फुटहिल्ज़ पर हैं या इसे पार चुके हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मेरे विचार में वे फुटहिल्ज़ से कुछ दूर हैं ।

श्री बागड़ी : (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं......

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी साहब जरा ठहरें, मैं उन्हें अभी बुलाता हूं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री रंगा और कामत साहब ने कहा कि लोकसभा शनिवार को बैठे या सोमवार को बैठे या सेशन अभी २३ तारीख को समाप्त न होकर कुछ दिन और चले वह तो दूसरी बात है लेकिन मैं तो प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह मुनासिब नहीं समझते हैं और क्या यह जरूरी नहीं समझते कि चीन सरकार द्वारा युद्ध-विराम सम्बन्धी जो प्रस्ताव भेजा गया है और उस में जो उन्होंने शर्तें रक्खी है उन पर इस सदन में चर्चा हों ?

†**श्री रंगा** (त्रिचूर) : चूंकि सदस्य शनिवार और रविवार को यहीं रहेंगे, क्या शनिवार को बैठक नहीं रखी जा सकती, ताकि वह युद्ध-विराम के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझ से पूछते हैं कि यह जरूरी है या नहीं तो उस की आवश्यकता की निस्बत मैं क्या कहूं ? हां, मैंने कल अर्ज किया था कि इस मामले में उसूल जो होता है उस पर आमतौर से हाउस में बहस होती है, तफसील में नहीं कि उन की क्या तजवीज़ है, टर्म्स वगैरह मंजूर किये जाये या न किये जायें, उसूली तौर से बुनियादी बातें ही हाउस में तय होती हैं और उस पर अपना गवर्नमेंट रास्ता निकालती है ।

श्री रामसेवक यादव : इस में पालिसी का भी प्रश्न है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** ज बसदस्य संसद कार्य मंत्री से मिलेंगे तो वे इस बात को उठा सकत है कि शनिवार से बैठक रखी जाये या नहीं ?

श्री बागड़ी : मैं यह अर्ज करूंगा कि वैसे तो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कों एक नीति के अनुसार उस का जवाब हां और ना करने का पूरा अधिकार है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को तो उस से भी ज्यादा है लेकिन आजकल चूंकि इमरजेंसी के हालात हैं और आज और कल जब हाउस चल ही रहा है और चीन की इस सीज़ फायर चिट्ठी का जवाब देना है तो क्यों न इस मसले को हाउस के सामने रख कर और उसकी कंसैंट लेकर गवर्नमेंट उनको अपना जवाब भेजे । अगर हमारे रवैये में थोड़ी बहुत कमजोरी भी आ जाती है तो देश की जनता पर इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिय मैं अर्ज करूंगा कि लोकसभा के सैशन को अभी ५-७ दिन तक और चलाइये और उस की राय इस पर हासिल कीजिये .....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । अब वे बैठ जायें ।

श्री बागड़ी : बस एक सैकेंड मैं और चाहता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय :** दुहराने की आवश्यकता नहीं है । मैंने समझ लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : एक सैकेंड के लिये मुझे बोलने की आप इजाजत तो दीजिये। मैं खत्म किये देता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि कौम भी उतनी मुत्तफिक है जितना हम लेकिन आज चीन के सीज फायर आर्डर और प्रपोजल को लेकर जनता में जो चिमीगोइयां चल रही है कि यह सीज फायर आर्डर चीन ने किस खयाल से दिया है, आज जरूरत इस बात की है कि इस बारे में लोकसभा को जनता को सैंस देना चाहिये कि चीन ने इस बिना पर या इस बात को सोचते हुये यह सीज फायर आर्डर दिया है वरना इस को लेकर जनता में तरह तरह की गलतफहमियां फैलेंगी। इस लिये उचित यह होगा कि यह चीज लोक सभा के सामने आये और वह जनता को इस बारे में गाइड करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर रख जाने वाले पत्र ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री श्री चू एन लाई के बीच पत्र व्यवहार

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) भारत के प्रधान मंत्री के नाम दिनांक ४ नवम्बर, १९६२ का प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई का पत्र ।

(२) भारत के प्रधान मंत्री का प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई के नाम दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ का उत्तर ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५७३।६२]

लोक ऋण (वर्षिकी प्रमाण पत्र) तीसरा संशोधन नियम १९६२

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं लोक ऋण अधिनियस, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५७ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी प्रमाणपत्र) तीसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५७४/६२]

राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं समवाय अधि-नियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली की ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५७५।६२ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षत लेखे।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : मैं कम्पनीज़ समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयों सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५७६/६२]।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा अधिनियम शुल्क, १८७८ की धारा ४३ख की उप धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करन वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९५।

(ख) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९६।

(ग) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९७।

(घ) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९८।

(ङ) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४३७।

(च) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्बा १४३९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५७७/६२]

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति –

(क) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० १४००।

(ख) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० १४०१।

(ग) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० १४०२।

(घ) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० १४०३।

(ङ) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १४३१।

(च) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १४३२।

(छ) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १४३३।

(ज) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १४३४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५७८/६२]।

(३) दिनांक ४ अक्तूबर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ४(३३)/६२ फि न (इ) की एक प्रति जिसमें दिल्ली संघ राज्य क्षत्र में लागू

†मूल अंग्रजी में

[श्री ब० रा० भगत]

बंगाल वित्त (बिक्री) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) नियम, १९६२ दिये गये है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्यया एल० टी० ५७९/६२]

(४) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करन वाली दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या १३/६२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५८०/६२]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६४२ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १७५/६२]

(२) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८९७ ।

(दो) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९७२ ।

(तीन) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५० ।

(चार) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २९४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५८१/६२]

लोक लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक) १९६०–६१ में बताये गये स्वीकृत अनुदानों तथा पारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में लोक लेखा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रजी में

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे तिरुचिरापल्ली के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के २१ नवम्बरर १९६२ का यह तार मिला है :

> कि श्री ग्रार० उमानाथ, सदस्य, लोक-सभा, २१ नवम्बर, १९६२ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के ग्रधीन गिरफ्तार कर लिये गये हैं ग्रौर उसी दिन तिरुचिरापल्ली के ग्रतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, भारत की प्रतिरक्षा नियमों के ग्रन्तर्गत कार्यवाही किये जाने तक पन्द्रह दिन की ग्रवधि के लिये, उमका रिमांड पेश कर दिया गया है ।

सदन की बैठकों से ग्रनुपस्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बठकों से सदस्यों की ग्रनुपस्थिति संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि निम्न सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गई ग्रवधि के लिये बैठकों से ग्रनुपस्थित रहने की ग्रनुमति दी जाये :–

(१) श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी

(२) श्री लाल श्याम शाह

(३) श्री उ० मथुरानालिंग तेवर

(४) श्री पनमपिल्ली गोविन्द मेनन

(५) श्री बाबूनाथ सिंह

(६) श्री एरा सेझियान

(७) श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव मुकाने

(८) श्री ग्रब्दुल वहीद

(९) श्री रामचन्द्र उलाका

मैं समझता हूं कि सदन समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

†**बहुत से सदस्य** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को सूचित किया जायेगा ।

पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : ग्रब सदन पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक पर चर्चा करेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि पांडिचेरी के प्रशासन तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने कुछ दिन पूर्व यह विधेयक पारित किया था। यह एक साधारण विधेयक है। सदन को ज्ञात है कि किस तरह १९५४ में पांडिचेरी,कारीकाल और यनम की बस्तियां, भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच समझौते के बाद भारत सरकार के अधिकार में दे दी गई थीं। १९५६ में दोनों सरकारों के बीच हुई संधि के अनुसार इनकी पूर्ण प्रभुसत्ता भारत को दे दी गई थी। यह संधि उस समर्थन के बाद लागू होनी थी। अनुसमर्थन के पत्रों का आदान प्रदान १६ अगस्त, १९६२ को हुआ था। अतः उस तिथि से ये बस्तियां भारत संघ का अंग बन गई हैं। उनके संबंध में कानून बनाने के लिये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने के लिये संसद में पिछले सत्र में संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक पारित किया था। परन्तु उस विधेयक को अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है क्योंकि उसका अभी राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है। जब तक यह विधेयक अधिनियम न बन जाये पांडिचेरी के बारे में संविधान के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत कोई विनियम नहीं लागू किया जा सकता। इसलिये यह आवश्यक समझा गया है कि विधिवत् व्यवस्था लागू होने के पहले की अवधि में वर्तमान कानूनों, अधिकारियों और संस्थाओं को कायम रखने की व्यवस्था की जाये ताकि वे पहले की तरह ही कार्य करते रहें और मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार पांडिचेरी पर किया जाये, क्योंकि यह क्षेत्राधिकार १ अगस्त, १९६२ को खत्म हो गया था। चूंकि संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा था। राष्ट्रपति ने ६ नवम्बर को अध्यादेश प्रस्थापित किया था। अब उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

धारा ३ के अनुसार वर्तमान पदाधिकारी और संस्थायें अपने पहले के कृत्य करते रहेंगे। धारा ४ के अनुसार १६ अगस्त, १९६२ से पहले के सब कानून वैध करार दिये जायेंगे। धाराएं ५ और ६ उस १९५६ की संधि के अनुसार हैं जिसका अनुसमर्थन किया जा चुका है। धारा ७ के अनुसार वही कर लागू रहेंगे, धारा ८ के अनुसार वे कानून पांडिचेरी पर लागू किये जायेंगे जो अधिसूचना के समय लागू होंगे ।

अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय के पास जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मुझे हर्ष है कि प्रधान मंत्री ने पांडिचेरी के लोगों की यह मांग स्वीकार कर ली है कि उनकी विशेष संस्थाओं का जो फ्रांस के साथ सम्पर्क से बनी थीं आदर किया जाये और उनके विशेषाधिकार भी जारी रहने दिये जायें। उनकी अपनी विशेष संस्कृति है। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उन की सांस्कृतिक संस्थाओं और विशेष कानूनी प्रणाली को कायम रखा जायेगा। यह अच्छी बात है कि भारत ने उनका विशेष अस्तित्व मान लिया है और भारत में विलीन होने के बाद भी उसको जारी रखना मान लिया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में पांडिचेरी का शेष देश के साथ अग्रेतर एकीकरण किया जायेगा और वहां के प्रतिनिधि लोक सभा में बैठ सकेंगे।

सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक को राज्य विधान मंडलों को भेजने के लिये कार्यवाही की जा चकी है और कितने राज्य उसका अनुसमर्थन कर चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री को यह भी बताना चाहिये कि संसद ने १६ अगस्त के बाद शीघ्रता से **क्यों कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी और आज तक** क्यों रुकना पड़ा था । यह भी बताया जाना चाहिये कि अन्य राज्य क्षेत्रों के संबंध में औपचारिक विधेयक सभा के समक्ष कब लाये जायेंगे ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल शासन ने रक्खा है उसके संबंध में मेरा कोई गम्भीर विरोध नहीं है । यहां पर यह भी बतलाया गया है कि चूंकि यह डिफिकल्टी थी कि यह रैक्टिफाई नहीं हो सका है इस लिये यहां रक्खा गया है ।

मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि चूंकि इसमें मद्रास हाई कोर्ट को जूरिस्डिक्शन दिया गया है इसलिये शंका होती है कि क्या इसको मद्रास स्टेट में मिलाया जायेगा । मद्रास हाई कोर्ट को जूरिस्डिक्शन दिये जाने से ऐसी आशंका होती है कि शायद पांडिचेरी को मद्रास में शामिल किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन का विचार ऐसा है या इसको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड ही रखना है ।

अभी यहां ऐसा कहा गया कि जो पांडिचेरी के लाज और रूल्स थे उनके खिलाफ यहां कुछ नहीं किया जा रहा है, उनको कायम रक्खा जा रहा है । इससे ऐसा मालूम होता है कि चूंकि मद्रास हाई कोर्ट को जूरिडिडक्शन दे दिया गया है इसलिये अगर पांडिचेरी के लाज के विरूद्ध कोई चीज होती है तो मद्रास हाई कोर्ट अपनी तरह से कंस्ट्रू कर सकता है । भले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पांडिचेरी के लाज के विरूद्ध कुछ नहीं किया जायेगा लेकिन शंका होती है कि पांडिचेरी के लाज के विरूद्ध में भी हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है । इसके साथ ही इसमें आगे कहा गया है कि यह हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिये या इस ऐक्ट के प्रावीजन्स को अमल में लाने के लिये सरकार कोई रूल बना सकती है । मेरे विचार से यह बहुत ज्यादा वाइड पावर है ।

इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि इसको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड रखने में सेंट्रल गवर्नमेंट को करीब दो करोड़ का घाटा होगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार इसकी कोर्ट्स को मद्रास हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया है वैसे ही इसको किसी स्टेट में मिलाने का निर्णय शीघ्र लिया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हमें हर्ष है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी बहुत शोभायुक्त तरीके से हमारे देश से चले गये हैं परन्तु हमें उनसे भी बड़े एवं क्रूर शत्रु के साथ लड़ना है । पांडिचेरी के संबंध में धैर्य की विजय हुई है और हमें आशा है कि अब जिस शत्रु से हमारा सामना पड़ा है उसमें भावना एवं संकल्प की विजय होगी ।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, मैं इसके लिये आभारी हूं ।

यह एक सरल विधेयक है और इसका उद्देश्य अध्यादेश के उपबन्धों को नियमित करना है

पूछा गया था कि क्या संविधान संशोधन विधेयक का राज्य विधान मंडलों ने अनुसमर्थन कर दिया है । केरल, राजस्थान, मद्रास, जम्मू और काश्मीर और उत्तर प्रदेश के विधान मंडल ऐसा कर चुके हैं । राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये तीन और राज्यों द्वारा ऐसा करना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

यह धारणा ठीक नहीं है कि मद्रास के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का पांडिचेरी में विस्तार उसके मद्रास में विलय में प्रारम्भिक कदम है। मद्रास उच्चन्यायालय केवल सब से समीप हैं। अब अपीलें फ्रांस के पास नहीं जाया करेंगी क्योंकि इससे बहुत कठिनाई होती थी। अब मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

विभिन्न भारतीय कानूनों को तब तक वहां लागू नहीं किया जा सकता जब तक पांडिचेरी वैधानिक रूप से भारत का अंग नहीं बन जाता। इस बात को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने पूछा था १६ अगस्त और १७ सितम्बर के बीच क्यों कोई कार्य-वाहीं नहीं की गई थी।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अन्तिम प्रारूप के बारे में फ्रांसीसी प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना था ; इसलिये यह विलम्ब हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पांडिचेरी के प्रशासन तथा तत्संबंधी नियमों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई संशोधन नहीं है, मैं सारे खंड एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से २०, अधिनियमन् सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से २०, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हमें हर बात के लिये कम से कम २४ घंटों का नोटिस मिलना चाहिये

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में माननीय सदस्यों को कष्ट हुआ। इसका कारण यह है क दूसरे सदन के पास कोई काम नहीं था, मैं इसका प्रबन्ध न कर सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं इस बारे में सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता । आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये इस संशोधन की आवश्यकता हुई है । जो कि यह है :—

(क) अलौह धातुओं तथा बालवेयरिंग उद्योगों को ३१ दिसम्बर से बाद भी संरक्षण देना ।

(ख) कुछ अलौह धातुओं के अन्तर्गत आने वाली चीजों के लिये १ जनवरी, १९६३ के बाद संरक्षण बन्द कर देना ।

इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन सभी उद्योगों के बारे में था और उसे सभा पटल पर रख दिया गया था । आशा है कि माननीय सदस्यों को प्राप्त हो गयी होगी, और उन्होंने इसका अध्ययन कर लिया होगा । संरक्षण के बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह प्रणाली हमें यह देखने का अवसर प्रदान करती है कि प्रगति सही दिशा में हो और किसी उद्योग का संरक्षण उतने समय तक ही किया जाये जितने में कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके । यह संरक्षण देने के बारे में वित्तीय आयोग ने १९२१ में सिफारिश की थी । आज भी यह प्रश्न देश के समक्ष है जब कि हमें विदेशी विनियम तथा आपात सम्बन्धी कई एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

१ जनवरी, १९५९ को संरक्षित सूची में ३४ उद्योग थे । आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनमें से १० का संरक्षण समाप्त कर दिया गया है । बात यह है कि ये उद्योग भली भांति विकसित हो कर जम चुके हैं और भी कई एक उद्योगों के संरक्षण को बन्द करने की नीति अपनाई जायेगी । टिटेनियम डाईआक्साइड, बिजली के मोटर, कैल्शियम कारबाइड, सोडा एश और कास्टिक सोडा उद्योगों पर पुनर्विचार किया गया और उनका संरक्षण काल बढ़ा दिया गया है ताकि वे अपनी स्थिति दृढ़ बना सकें । सरकार को इस बात का पूरा ध्यान है कि संरक्षण से उपभोक्ता पर पड़ने वाला भार यथा सम्भव कम से कम हो । सामान्यत: संरक्षित उद्योगों ने काफी अच्छी प्रगति की है । वस्तुओं की किस्म में भी सामान्यत: सुधार ही हुआ है । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र में एक "बॉल बेयरिंग" कारखाना लगाया जाये । यदि यह हो गया तो बॉल बेयरिंग के मामले में हमारा देश सब प्रकार से आत्मनिर्भर बन जायेगा ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, इंडियन टैरिफ़ अमेंडमेंट बिल जो हाउस के सामने पेश है उसके कुछ अंशों के बारेमें मेरा विरोध है कि फ़्री ट्रेड जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिये और अपनी खुद की जो इंडस्ट्रीज हैं उन को प्रोटैक्शन मिलना चाहिये । इस वास्ते ऐट दी कौस्ट आफ़ दी कंज्यूमर्स, बाहर का जो माल आता है उस के लिये टैरिफ़ वौल निर्माण की जाती है और वह टैरिफ वौल नये होम इंडस्ट्रीज को प्रोटैक्शन देगी । इस वास्ते कंज्यूमर्स को महंगा माल लेने में हर्जा नहीं । लेकिन बाहर का माल अंदर आने नहीं देंगे इस वास्ते बहुत बड़ी वौल क्रीएट (निर्माण) की जाती है और वह वौल (दीवार) धीरे धीरे गिरती जाती है और डिमोलिश (नष्ट) होती जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

टैरिफ वौल का एक प्रिंसिपल है । वह प्रिंसिपल पहले ब्रिटिश इंडिया में नहीं चलता था क्योंकि वह अपनी इंडस्ट्रीज़ प्रोटैक्ट नहीं करना चाहते थे लेकिन वे भी इस टैरिफ वौल का उपयोग करते थे क्योंकि वह यह चाहते थे कि केवल ब्रिटिश के माल के सिवाय और कोई दूसरा माल देश के अन्दर नहीं आना चाहिये । इस लिये ब्रिटिश माल के लिये तो टैरिफ़ वाल नहीं थी, लेकिन बाकी के देशों से जो माल हिन्दुस्तान में आता था, उस के लिये उन्होंने टैरिफ वाल का निर्माण किया ; इसी प्रकार से जब उस टैरिफ वाल का फ़ायदा उठा कर, उस टैरिफ प्रोटैक्शन का फ़ायदा उठा कर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटैक्शन देने के लिये यह टैरिफ प्रोटेक्शन एक्ट या इंडियान टैरिफ एक्ट बनाया गया ।

इस बिल के सम्बन्ध में मेरा मुख्य आबजेक्शन है बाल-बियरिंग्ज़ के बारे में । बाल-बियरिंगज़ की ऐसी कथा है कि उस की दो इंडस्ट्रीज़ हैं । एक तो जयपुर में नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है । दूसरी एक छोटी इंडस्ट्री थी जिस का नाम था भीरजलाल एंड कम्पनी । उस को बड़ा कर के उसे एन्टी-फ्रिक्शन बियरिंग कार्पोरेशन का नाम दिया गया है । इसके अलावा बल-बियरिंग का निर्माण करने वाली बाकी ३६ स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं , जिन में से ३४ पंजाब में, १ दिल्ली में और एक कलकत्ता में है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्माल-स्केल की तरफ़ शासन का कुछ भी ध्यान नहीं है । इस के विपरीत टैरिफ़ कमीशन ने, जो कि हर साल अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, क्योंकि उन में अच्छा माल नहीं निर्मित होता है । जिस प्रकार से जापान में बाल-बियरिंग्ज तैयार करने के छोटे छोटे कारखाने हैं, वैसे कारख़ाने यहां भी स्थापित करने के लिये छोटे इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये , बल्कि उन को डिसकरेज किया जाता है ।

जहां तक जयपुर की नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ का सम्बन्ध है, उसको १९५२ से १९६२ तक, दस साल तक, प्रोटेक्शन दिया गया, फिर भी उस ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है । इतना ही नहीं, उसका माल इतना ख़राब होता है कि यहां के कारख़ानेदार उस को उपयोग में लाने के लिये तैयार नहीं हैं । उन्होंने कमीशन के सामने एविडेंस दिया है कि उस को इतना प्रोटेक्शन दिया जाता है और उन को बाहर से माल नहीं लाने दिया जाता है, लेकिन उस के बाल-बियरिंग्ज़ ख़राब होने की वजह से बड़ी कठिनाई होती है । उन्होंने बताया कि जब इन बाल-बियरिंग्ज को उपयोग में लाया जाता है, तो उन से आवाज़ होती है । इस के उत्तर में उन को कहा गया है कि इस बारे में इंस्ट्रक्शन्ज़ (हिदायतें) दी गई हैं । लेकिन अभी तक वह आवाज़ होती है । इतना ही नहीं, वे बाल-बियरिंग्ज़ जल्दी जल जाते हैं । इस के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ (हिदायतें) नहीं दी गई हैं और न ही इस बारे में शासन का कोई कंट्रोल है । यही नहीं, ये बाल बियरिंग्ज महंगे बेचे जाते हैं । जब इस बारे में प्रश्न किया गया तो यह उत्तर दिया गया कि यह तो इण्डिजिनस इंडस्ट्री है, अभी तक यह दस साल का बच्चा है । लंगड़े आदमी को चलने के लिये कुबड़ी दी जाती है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को टैरिफ़ वाल के रूप में कब तक कुबड़ी दी जाती रहेगी । जब इस इंडस्ट्री को प्रोटैक्शन दी जाती है, तो यह भी देखना चाहिये कि वह किस प्रकार काम करती है ।

टैरिफ बाल का निर्माण तो एट दि कास्ट आफ़ कन्ज्यूमर्ज़ किया जाता है। वह माल ख़राब रद्दी और महंगा होता है और कहा यह जाता है कि नैशनल इंडस्टीज़ को प्रोत्साहन देना है इसलिये टेरिफ़ वाल का निर्माण किया जाता है। १९५२ में जब इस को प्रोटेक्शन दिया गया था, तो यह आश्वासन दिया गया था कि यह प्रोटेक्शन सिर्फ़ पांच छः साल के लिये दिया गया है। फिर उस को १९६२ तक प्रोटेक्शन दिया गया। अब १९६२ में यह कहा जा रहा है कि १९६५ तक प्रोटेक्शन दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज़ ३६ में कहा है :

"यह शिकायत है कि दस वर्षों के संरक्षण के बावजूद भी कीमतें कम नहीं हुई हैं।"

शासन ने टैरिफ कमीशन के इस रिमार्क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अपने भाषण में भी माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि हम प्राइसिज़ को नीचे करने जा रहे हैं या हम प्राडक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, ये वाल-बियरिंग्ज़ जो आवाज करते हैं, उस की तरफ़ हमारा ध्यान है।

नशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि हम को इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं मिलता है, अगर हम को मिले, तो हम बाहर से मशीनरी लायें और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ायें और ज्यादा निर्माण करें। उन्होंने कहा है :

"नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को अभी तक लाइसैन्स नहीं मिला है।"

यह देरी क्यों होती है? उन को इम्पोर्ट लाइसेंस क्यों नहीं मिला? वह १९६० से आज तक पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? इन बातों के बारे में माननीय मंत्री जी ने खुलासा नहीं दिया है। नैशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कम्प्लेन्ट है कि बाल-बिरिंग्ज़ के बारे में उस की मानोपली हो गई है और जोती एंड ब्रदर, जय इंजीनियरिंग कम्पनी तथा किर्लोसकर इलैक्ट्रिक कम्पनी, बंगलौर, ने इन बाल-वियरिंग्ज़ के बारे में अपना डिस्सैटिस्फैक्शन प्रकट किया है। उन को ये बाल-बियरिंग्ज़ उपयोग में लाने के लिये कम्पेल किया जाता है। एक फ़ारेन कम्पनी ने कहा था कि अगर इन बाल-वियरिंग्ज़ पर हमारा सिक्का, मार्क, लगाया जाये तो उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी का समझा जाये, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

विलेज़ इंडस्ट्रीज़ में जो बाल-बिरयरिंग्ज़ तैयार होते हैं, वे साइकल, व साइकल-रिक्शा, पम्प्स, आयल क्रशर्ज़ और पानी निकालने के रहटों में काम में आते हैं। वे सस्ते बेचे जाते हैं। लेकिन शासन ने या इस कमीशन ने इस स्माल इन्डस्ट्रीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इस के विपरीत उन्होंने कहा है कि उन को सहायता या महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे रद्दी वाल-बियरिंग्ज़ तैयार करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विलेज इंडस्ट्रीज़ को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिये और उन को नई नई मशीनें लगाने की सुविधा प्रदान की जाये, ताकि वे और भी अच्छा माल तैयार कर सकें। शासन विलेज इंडस्ट्रीज़ का इतना नारा लगता है लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में अमेंडमेंट देता लेकिन कल पांच बजे यह बताया गया कि यह आज आने वाला है, इसलिये मैं ऐसा नहीं कर सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब दे दें। मैं इजाज़त दे दूंगा।

श्री बड़े : कठिनाई यह है कि मेरे पास सेक्रेटरी नहीं है। इसको स्टडी कर के देना पड़ेगा, इसलिये मैं नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

इन शब्दों के साथ मैं बाल-बियरिंग्ज़ के प्रश्न पर इस बिल का विरोध करता हूं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : प्रशुल्क का काम यह देखना है कि देश में बनी चीजो के दाम न बढ़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करने का श्रेय प्रशुल्क आयोग को जाना ही चाहिए। हमारा देश औद्योगीकरण की ओर कदम बढ़ा ही रहा है अतः कुछ एक उद्योगों को तो संरक्षण देना ही होगा। संरक्षण देने का अर्थ यह होता है कि उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो जाये। यदि आप देखेंगे कि वह मुकाबले में दूसरे देशों के साथ खड़ा हो सकता है, तो उसका प्रशुल्क संरक्षण हटा लिया जायेगा। जो लोग यह पूछते हैं कि हमने गत १० वर्षों में क्या किया है, उन्हें मेरा एक ही उत्तर है कि हमने देश के औद्योगिक विकास का आधार निर्माण किया है। अतः प्रशुल्क आयोग के कार्य के बारे में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिये।

आज हम दूसरे देशों के मुकाबले में मंडियों में आ रहे हैं। देश में भी मुकाबला होना स्वाभाविक ही है। अब हम सब मुकाबलों में शनैः शनैः पूरे उतर रहे हैं, यह बहुत बड़ी सफलता है। आज अलौह धातुओं के लिए मांग बहुत अधिक है। मेरे विचार में आज की संकटकालीन स्थिति में हमें उनकी स्थिति में सुधार करने का यत्न करना चाहिए। संरक्षण देने के मामले में सरकार को जो सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। संरक्षण जारी रखने के मामले में भी सरकार का दृष्टिकोण वर्तमान हालत को देखते हुए ठीक ही है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हम उद्योगों को संरक्षण नहीं देंगे तो हमारे उद्योग विदेशी माल के मुकाबले में विदेशी मंडियों में खड़े नहीं हो सकेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज समस्त देश में अलौह धातुओं की बहुत मांग है। भूतत्वीय सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर तांबा, जस्ता, सीसा, एंटीमनी आदि के निक्षेप मौजूद हैं। जम्मू तथा काश्मीर में 'एंटीमनी के बहुत बड़े निक्षेप हैं। हमें उन अलौह निक्षेपों को निकालने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सत्र की अवधि बढ़ाये जाने के बार में

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : सत्र की अवधि को बढ़ाये जाने के बारे में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद मैं घोषणा करता हूं कि चालू सत्र ११ दिसम्बर तक चलेगा। सभा की बैठक १२ बजे आरम्भ होगी। प्रश्न काल का निलम्बन कर दिया जायेगा।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—जारी

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : हर अविकसित देश के लोग अपने उद्योगों को संरक्षण देते हैं। अतः मेरा मत यह है कि सिद्धांतः किन्हीं उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्हें संरक्षण देने में कोई गलत बात नहीं की गयी है। परन्तु एक बात मैं इस संदर्भ में जरूर

---

†मूल अंग्रेजी में

कहूंगा वह यह कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस संरक्षण का देश के हित के लिए प्रयोग किया जाये, न कि कुछ उत्पादक ही इसका लाभ उठाते जायें। यह बात आज किसी से छिपी हुई नहीं कि कुछ उद्योगों को गत दस बारह वर्षों से संरक्षण दिया जा रहा है। परन्तु इस पर भी वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। न उनकी कोटि में ही सुधार हुआ है और न ही कीमतें कम हुई हैं। ऐसे उद्योगों को विस्तार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बदले में लघु उद्योगों को बढ़ाना चाहिए।

बाल बेयरिंग उद्योग भी एक ऐसा उद्योग है जो गत समय में कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। अब उस क्षेत्र में छोटे पैमाने के एकक चालू किये गये इसलिए सरकार को यह देखना चाहिए कि उनको मशीनों तथा औजारों के सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी जा सकती हैं। कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में एक नया बाल-बेयरिंग उद्योग चालू किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। क्या सरकारी क्षेत्र में एक नया बाल-बेयरिंग उद्योग चालू करने के स्थान पर उनका उत्पादन "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड" अथवा राष्ट्रीय औजार कारखाने में, नहीं किया जा सकता।

इसी संदर्भ में मैं सरकार से यह भी निवेदन करन चाहता हूं कि प्लास्टिक उद्योग के छोटे एककों की बड़े एककों की स्पर्धा से रक्षा करनी बड़ा जरूरी है। यदि इनका मकबला चला तो छोटे एकक तबाह हो जायेंगे। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षण के नाम पर सरकार को उद्योगपतियों को इतनी छूट नहीं दे देनी चाहिए कि वे उपभोक्ताओं का शोषण कर सके। यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उत्पादन उच्च कोटि का हो और सस्ता हो। छोटे छोटे एककों को भी अपनी उत्पादन कोटि में सुधार करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया है, में उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। 'बाल-बेयरिंग' उद्योग का उल्लेख किया गया है। इस उद्योग के कुछ एकक बड़े आकार के स्टील बाल नहीं बनाते हैं, परन्तु हाई वेलोसिटी और 'हाई टेंसिल' बाल बेयरिंग, जो अच्छी कोटि के हों, केवल बड़े पैमाने के अत्यधिक यंत्रीकृत एवं प्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत एककों द्वारा ही बनाये जा सकते हैं। इसलिए घटिया किस्म के बाल-बेयरिंग प्रयोग कर के कोई खतरा नहीं उठाया जा सकता है। इसके बाजूद छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में जिन श्रेणियों का उठ्पादन किया जा सकता है उनके उत्पादन की अनुमति दे दी गई है। सरकार इन छोटे पैमाने के समस्त एककों को यथासम्भव सहयाता दे रही है। छोटे पैमाने के एकको ने १९६० में ३,६७०,०० और १९६१ मैं में ४,७०,००० बाल-बेयरिंग का उत्पादन किया है।

पिछले प्रतिवेदन में प्रशुल्क आयोग की जयपुर यूनिट पर कड़ी आलोचना की है। वर्तमान प्रतिवेदन में किस्म को काफी संतोषजनक कहा है। अब बाल-वियर्यरिंग बहुत संख्या में बनते हैं तो कुछ बाल-वियरिंग में नुक्स मिलेगा। आयात की गई किस्मों में भी नुक्स रहे हैं। कुछ बिजली की मोटरों में नुक्स की शिकायतें भी आई हैं हालांकि वे मोटरें आयात की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर आयोग के पिछले प्रतिवेदन के बाद से 'बॉल-बियरिंग' की किस्म में काफी सुधार हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

हम विभिन्न प्रकार के बाल-बियरिंग बनाने के लिए एक बड़ी सरकारी परियोजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। विभिन्न उद्योगों के लिए सैकड़ों किस्म के टेपर बेयरिंग चाहिए। अतः इस उद्योग को जिसमें काफी धन लगाने की आवश्यकता है गैर सरकारी हाथों में रहने देना काफी नहीं होगा। सरकारी परियोजना की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होगी।

अतः यह अलग यूनिट के रूप में या वर्तमान यूनिट के भाग के रूप में काम करे यह एक भिन्न मामला है। चूंकि "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" और राष्ट्रीय औजार कारखाना दोनों ही सर्वथा भिन्न लाइन के हैं इसलिये वे बाल-बियरिंग का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही टैक्नीकल उद्योग है। अतः पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसे सरकारी क्षेत्र में बड़े ढंग से स्थापित करना है।

जहां तक 'एण्टीमनी' उद्योग का सम्बध है हम काश्मीर राज्य के निक्षेपों की जांच कर रहे हैं। हम जम्मू तथा काश्मीर राज्य के औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में विकास की ओर बहुत ध्यान देते हैं। इस राज्य की 'एण्टीमनी' निक्षेपों का उचित सर्वेक्षण किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उन का पूरा प्रयोग किया जाएगा।

इस बात की प्रसन्नता है कि सभा ने इस विधेयक का समर्थन किया है कीमतों, किस्मों और विभिन्न निरीक्षणों के बारे में हम जागरूक हैं। किसी हद के बाद संरक्षण कम करना असम्भव है।

†**श्री बड़े** : १९५२ से १९६२ तक एक प्रशुल्क दीवार बनाई गई है। इस दीवार को कम करने की सरकार की नीति होनी चाहिये।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी हमारी नीति है।

†**श्री बड़े** : यहां जो इसका उल्लेख नहीं है।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने कई उद्योगों पर से संरक्षण हटा दिए हैं।

†**श्री बड़े** : इसे एक दम हटाने की बजाए इसे कम कर देना चाहिए।

† **श्री मनुभाई शाह** : दूसरी अवस्था में संरक्षण कम किया जाएगा या हटाया जाएगा। विधेयक में तीन बड़े उद्योगों का जिक्र है जिन पर से हमारी नीति के अनुसार संरक्षण हटाया जा रहा है। कच्चा माल जो बाहर से मंगवाया जाता है, 'नानफैरस', धातुएं इत्यादि हों उस सम्बन्ध में कई विदेश में तैयार की हुई चीजें कच्चे माल से भी सस्ती निर्यात कर देते हैं ताकि वे विदेशी मुद्रा कमा सकें और वे देश यह नहीं चाहते कि अविकसित देशों में मुकाबले की उद्योग बन सकें।

बाल-बेयरिंग उद्योग को सारा कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अतः इस हालत में संरक्षण कम करना या हटाना सम्भव नहीं। वह स्थिति निश्चय ही आएगी। लागत का ८० प्रतिशत तो कच्चे माल पर खर्च आता है। चूंकि कच्चा माल ऊंची कीमत पर बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमें इस समय इस उद्योग पर आलोचना नहीं करनी चाहिये। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन सब पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशुल्क आयोग उत्पादन लागत पर दो प्रतिवेदन दे रहा है।

†**श्री बड़े** : उन्होंने इस प्रतिवेदन में शिकायत की है कि लागत पर आंकड़े कम हैं। बिल्कुल लागत लेखा नहीं है।

†**श्री मनुभाई शाह** : लागत लेखा के दो पहलू हैं। लागत लेखापालों द्वारा लागत लेखा एक बात है और प्रशुल्क आयोग द्वारा संरक्षण की मात्रा निकालने के लिये लागत लेखा भिन्न बात है। प्रशुल्क आयोग कुछ एक प्रतिनिधि एककों की लागत लेखा नहीं करता है परन्तु प्रत्येक बड़े एकक की लागत लेखा करता है और फिर निर्णय करता है कि कितना संरक्षण चाहिये। हम ने कई उद्योगों पर संरक्षण और शुल्क कम करने की सिफारिश की है। इस उद्योग में संरक्षण कम करना इसलिये सम्भव नहीं है, क्योंकि इस के लिये कच्चा माल बड़ी कीमत पर बाहर से मंगवाना पड़ता है और वह कच्चा माल सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अभी भी नहीं बनाय जाता है। थोड़े ही समय में हम अपने इस्पात कारखानों में काफ़ी मात्रा में भी कच्चे माल बना सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सदन को इस विधेयक को मंजूर करने का आग्रह करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करते वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों को लेंगे। चूंकि कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं सभी खण्डों को इकट्ठे सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री अ० कु० सेन द्वारा २१ नवम्बर, १६६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि जनता की सुरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखें ।

मैं श्री कामत की उपस्थिति में सभा के कार्य के बारे में कुछ बता दूं ।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा इस बात से सहमत है कि हम ११ दिसम्बर तक बैठेंगे । चूंकि प्रश्नों के लिये १० दिन की सूचना चाहिये अतः ३ दिसम्बर, तक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । ४ से ११ दिसम्बर तक के लिये प्रश्नों पर विचार किया जाएगा । २६ नवम्बर से सभा १२ बजे से बैठेगी ।

† **श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : उन प्रश्नों का क्या होगा जिन की सूचना पहले दे दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे व्ययगत हो जाएंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** उन प्रश्नों के लिये उचित सूना दी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोध्य** : चूंकि पहले २३ नवम्बर, १६६२ से सभा ने स्थगित होना था, अतः प्रश्न मंत्रालयों को नहीं भेजे गये थे । इसीलिए हम प्रश्नों को नहीं ले सकते ।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन) : कुछ सदस्यों का विचार है कि प्रश्न काल स्थगित कर दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि प्रश्न जो पूछे जा रहे थे उन का वर्तमान परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं था । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता इस के बारे में सहमत हैं , तो कामत जी भी मान जाएंगे ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : हम अल्पसूचना प्रश्न तो पूछ सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन पर कोई रुकावट नहीं होगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सारा सदन युद्ध की कोशिशों में सरकार के साथ है, परन्तु समिति ने जो माननीय संसद् कार्य मंत्री द्वारा शिफारिश की है वह अजीब है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने सुझाव दिया था कि ४ तारीख से प्रश्न काल आरम्भ हो जाये । मैंने कोई निर्णय नहीं किया है । समिति ने जिस में सभी दलों के प्रतिनिधि थे एक मत से फैसला किया कि ११ तारीख तक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएं । श्री कामत अपने साथी से बात कर लें और फिर मेरे साथ बात करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—जारी

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जहां तक लोकतन्त्र की रक्षा का सम्बन्ध है इन वर्षों में हमारे देश ने इस सम्बन्ध में बड़ा अच्छा सबूत दिया है । चाहे देश पर संकट हो या न हो हम लोकतंत्र को देश में कायम रखेंगे ।

जहां तक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, हमारे देश ने भी स्वतन्त्रता का उतना ही आभास किया है, जितना किसी भी अन्य लोकतन्त्र ने किया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

चीनियों ने युद्ध विराम के जो प्रस्ताव रखे हैं, ये हमें शिथिल बनाने और भारत के लोगों के मन में गड़बड़ पैदा करने के ध्येय से रखे गये हैं ।

इस समय हमें एक ऐसे शत्रु से पाला पड़ा है जिस की असीम सैनिक शक्ति है तथा जो सिद्धान्त-हीन है । यह सम्भव है कि हमें चीन के साथ लम्बा और खतरनाक युद्ध करना पड़े । इस परिस्थिति में यह आवश्यक है कि हम अपनी स्वतन्त्रता का कुछ सीमा तक त्याग करें जिस से शत्रु का सामना हो सके और युद्ध की मशीनरी को अधिक क्रियाकारी बनाया जा सके ।

इस विधेयक को किसी तानाशाही सरकार के विधान से तुलना देना बहुत असंगत है । ब्रिटेन जैसे पुराने प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों ने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में ऐसे विधान पारित किये थे ।

यह विधेयक जीवन के प्रजातन्त्रीय ढंग को बनाये रखने के लिये है जिसे भारतीय लोग बहुत प्रिय समझते हैं यह केवल समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के दमन के लिये लाया गया है । यह उन लोगों के लिये है जो हमारी युद्ध की कोशिशों को निष्फल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिये है जो जनता को कुछ कहते हैं स्वयं कुछ करते हैं, उन लोगों के लिये है जो राष्ट्र के लिये खतरे वाली बातें करते हैं ।

यह कहा गया है कि यह विधेयक पक्षपात के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा । इस से बढ़ कर सचाई से दूर बात और कौन सी हो सकती है ।

ऐसे समय में नेतृत्व की एकता निष्ठा की एकता के लिये आवश्यक है जो युद्ध के जीतने के लिये आवश्यक है । बहुदलीय विरोधी दल के प्रसंग में एक विस्तृत आधार वाले नेतृत्व के कुछ अर्थ नहीं ।

वर्तमान परिस्थितियों में यह विधेयक बहुत आवश्यक है । सभा के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि विधेयक के सम्मग्र प्रशासन को सुनिश्चित करे ।

चीन हमारे सिर पर बैठा है और हमारी स्वाधीनता को हड़प करने के लिये सब कुछ कर रहा है । हमें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये कुछ कुर्बानी करनी है । आशा है कि प्रत्येक सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेगा ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : मैंने पूर्व वक्ताओं के विचारों को ध्यान-पूर्वक सुना है । मैं श्री शर्मा की इस आशा को अनुभव करता हूं कि इस विधेयक को सभी स्वीकार करेंगे । आपातकाल के दृष्टिगत रखते हुये संकल्प को हमने स्वीकार कर ही लिया है । यह विधेयक उसी का उपांग है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

किन्तु सरकार को अंग्रेज़ों से जो विरासत में मिला है उसे वह छोड़ना नहीं चाहती। यह विधेयक अंग्रेज़ों के भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का ही प्रतिरूप है। इसी लिये हमारे दल ने कुछ संशोधन रखे हैं।

इस विधेयक में लोगों में इस आक्रमण के विरुद्ध फैली हुई जागृति का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

सारा राष्ट्र एक मत और दृढ़निश्चयी हो गया है और यह बात इस सभा में भी पारित होती है। यद्यपि स्वतन्त्र दल जैसे कुछ दल सरकार की विदेश नीति के सर्वथा विरुद्ध थे फिर भी सभी एकमत हैं।

किन्तु विधेयक को लोकतंत्रात्मक ढंग में नहीं रखा जा रहा। इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा तो संशोधनों पर चर्चा के दौरान की जायेगी किन्तु यहां मैं खण्ड ११ का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें न्यायधिकरण का उल्लेख है जिस के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

ब्रिटेन के युद्ध के समय लार्ड एटकिन ने कहा था "शस्त्रों के टकराते हुये भी कानून मौन नहीं होता"। यह वाक्य आज वचन बन गया है? हम आज़ाद देश में रहते हैं। हम किसी नौकरशाही में नहीं रह रहे। हम ऐसा विधान नहीं चाहते जो ब्रिटेन की नौकरशाही के विधान का प्रतिरूप हो।

आज के सनाचारपत्रों से हमें पता लगा है कि हमारे दल के बहुत से सदस्यों को नजरबन्द कर दिया गया है। हमें समझ नहीं आया कि यह कैसी प्रतिरक्षा है क्योंकि यह सब देश की प्रतिरक्षा के लिये किया जा रहा है।

मैं उस दिन इस सभा में बोला था और मैंने प्रधान मंत्री के संकल्प का पूर्ण समर्थन किया था। प्रधान मंत्री ने भी अपने उत्तर में हमारे दल द्वारा पारित किये गये संकल्प की सराहना की थी और कहा कि ऐसा संकल्प तो भारत का कोई भी देशभक्त दल पारित कर सकता है।

बंगाल विधान सभा में भी साम्यवादियों ने राज्य की नीति का पूर्ण समर्थन किया और राज्य सरकार का संकल्प एकमत से पारित किया गया।

हम जब संकल्प पारित करते हैं तो उसे कार्य रूप में परिणत भी करते हैं। हमारे दल के हर सदस्य का यह परम कर्त्तव्य बन जाता है। हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हमारे मार्ग में बाधाएं उपस्थित की जा रही हैं। हम ने बंगाल में सभाएं करनी चाहीं ताकि लोगों को बता सकें कि उन्हें इस आपतकाल में क्या करना चाहिये किन्तु हमें सभाएं करने की अनुमति नहीं दी गई। हम पर आरोप लगाया जाता है कि चूंकि साम्यवादी दल अन्तर्राष्ट्रीय है अतः इसमें राष्ट्रीय भावनाएं हो ही नहीं सकतीं। हमने जो संकल्प पारित किया है उसे हमने छिपाया नहीं है बल्कि वह संकल्प विश्व के देशों के सामने है और वे जान गये हैं कि भारत के लोगों की भावनाओं का यहां के साम्यवादियों ने कितने जोरदार शब्दों में प्रतिनिधित्व किया है।

मैंने सभा में कहा था कि धनवानों को मूल्य न बढ़ाने दिये जायें और यह भी कहा था कि खेतों और कारखानों में हम मजदूरों पर अपने प्रभाव के कारण सरकार को पूरा सहयोग देंगे। देश के समस्त प्रयत्नों का आधार तो मजदूर ही हैं। यह प्रस्ताव करते हुए मैंने शर्त नहीं रखी थी कि धनी ऐसा करें तभी मजदूर का सहयोग मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि मजदूरों को इस समय आगे बढ़ना चाहिये। इसके बावजूद सरकार इस प्रकार का विधान पारित कर रही है।

संभवत: इसका शिकार सबसे पहले हम हों लेकिन बाद में और लोग भी हो सकते हैं। यहां हमें एक दूसरे की देश भक्ति पर अविश्वास नहीं करना चाहिये बल्कि समस्त लोगों में पैदा हुये संगठन को अनुभव करना चाहिये।

यह कहा जा सकता है कि क्योंकि हमने यह निर्णय करने में विलम्ब किया था कि हमें क्या करना चाहिये इसलिये हम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। संसद में क्या कुछ हो रहा है किसी देश के मन में क्या है हमें पता नहीं। अभी चीन के आक्रमण के बारे में अनेक धारणायें हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। मैंने बहुत पहले भारत-चीन विवाद पर बोलते हुये इस सभा में कहा था कि हमें बातचीत और शक्ति से मामला हल करना चाहिये किन्तु हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिये। यह कथन पर्याप्त रूपेण स्पष्ट था। आज हम पर उपक्रमण हो रहे हैं संसद के सबसे बड़े विरोधी दल पर आरोप लगाये जा रहे हैं और इस विधान द्वारा ऐसी शक्तियां प्राप्त की जा रही हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिये इस विधेयक के संबंध में मेरे मन में कुछ भ्रम है।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर): मैंने श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज प्रातः की घटना से इतने अधिक व्यथित हैं कि यह सर्वथा भूल गये कि हमारी सीमा पर क्या हो रहा है। हमें एक बेरहम शत्रु का मुकाबला करना पड़ रहा है। यह विधयक, असाधारण परिस्थितियों का असाधारण विधेयक है।

ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का उत्सर्ग करने के लिये तैयार रहना चाहिये। प्रख्यापन के अधीन राष्ट्रपति समस्त मूल अधिकारों का निलम्बन कर सकता है। किन्तु अभी हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम प्रतिबंध लगाये जायें। द्वितीय युद्ध में रूस ने किस प्रकार के विधान बनाये थे यह तो मुझे पता नहीं किन्तु वे विधान निस्सन्देह विशेष थे।

आपातकाल संबंधी प्रख्यापन को सभी लोगों और इस सभा ने एकमत से स्वीकार कर लिया है। यह विधेयक तो उस प्रख्यापन का उपांग मात्र है। यदि इसका निर्माण ब्रिटेन के भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के आधार पर किया गया है तो इसमें कौन सा अपराध है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने अपने दल के बारे में कहा है। मैं इस पक्ष में नहीं कि साम्यवादी दल को देशद्रोही कहूं। उन द्वारा पारित किया गया संकल्प निस्सन्देह सराहनीय है। इस विधेयक का उद्देश्य किसी दल के विरुद्ध कार्यवाही करना नहीं है बल्कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है जो प्रतिरक्षा संबंधी प्रयत्नों में बाधा उपस्थित करते हैं। साम्यवादी दल में भी दो वर्ग हैं एक राष्ट्रवादी है और दूसरा देशद्रोही है।

विधेयक के खंड ३ द्वारा सरकार को भारत की रक्षा तथा समाज की रक्षा संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। उसके लिये विधानमंडल की लम्बी प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती। इसीलिये यह अधिकार सरकार को देना पूर्णतः उचित है।

खंड ३ के उपखंड (१) में प्रायः ५५ मदों के बारे में अधिकार दिये गये हैं। खंड २ के संबंध में जो संशोधन रखे गये हैं उनका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि इस खंड में सरकार को अन्य अधिकार दे दिये गये हैं।

खंड ५ में ऐसे व्यक्ति के लिये दंड बढ़ा दिया गया है जो भारत पर आक्रमण करने वाले देश को सहायता देता हो। यह आवश्यक ही है क्योंकि हमारासर्व प्रथम उद्देश्य युद्ध को जीतना है अतः हमें कुछ बलिदान करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण काम है असैनिक प्रतिरक्षा सेवा की स्थापना क्योंकि युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में नयीं लड़ा जाता बल्कि उसके लिये घरेलू शांति और लोगों में उत्साह बनाये रखने की भी आवश्यकता है।

अध्याय चार में न्यायाधिकरण की स्थापना का उपबन्ध है और अब संशोधन द्वारा यह भी व्यवस्था की जा रही है कि न्यायाधिकरण का न्यायाधीश उच्च न्यायाधिकरण का न्यायाधीश होने का पात्र व्यक्ति होना चाहिये। इसके अतिरिक्त अपील की शर्तें भी उदार बना दी गई हैं।

अध्याय ५ में 'अर्थव्यवस्था को बनाये रखने और उत्पादन बढ़ाने के बारे में उपबन्ध है कि महत्वपूर्ण उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व के उद्योग घोषित किया जा सकता है। मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। आज हम अपनी स्वतंत्रताओं को स्वेच्छा से त्याग रहे हैं।

†**श्री आ० सि० सहगल** (जंजगीर): हमें चीनी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है। यह लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है आज के युग की लड़ाई केवल सशस्त्र सेना की लड़ाई नहीं होती प्रत्युत्त इसके तीन पहलू अर्थात् सशस्त्र सेना, उत्पादन और लोगों का उत्साह है। आक्रांताओं के साथ युद्ध तो सेना करेगी, उद्योग का काम सरकार को संभालना होगा और लोगों का जो उत्साह आजकल खूब बढ़ा हुआ है उसे बनाये रखना हमारा काम है।

यह बहुत आवश्यक बात है कि मूल्यों को बढ़ने न दिया जाये। आंकड़ों से पता लगता है कि अप्रैल में खाद्य पदार्थों के आंकड़े ११९.२ थे जो अगस्त में १३२.९ हो गये हैं। लोगों का उत्साह बनाये रखने के लिये पंचमार्गियों के विश्वासघातक कार्यों की भी रोक-थाम करनी चाहिये।

किसी व्यापारी को एक हजार से अधिक लाभ नहीं प्राप्त करने देना चाहिये मंत्रियों और किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन मास १००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। हर मास एक सप्ताह के लिये संसद का अधिवेशन होना चाहिये और सदस्यों को उसके लिये भत्ते आदि नहीं देने चाहियें।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): विषयान्तर। ऐसा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि इस पर अगर अपनी भाषा में बोला जाता तो कौन सी विपत्ति आ जाती? जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमारी ढीली ढाली नीति चल रही है, उसी प्रकार से इस भाषा के बारे में भी हमारी ढीली ढाली नीति चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप हिन्दी में बोल सकते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द: कोई यहां पर नहीं है जो हिन्दी न समझता हो।

†**श्री आ० सि० सहगल**: सरकारी सेवा में नयी भर्ती बिल्कुल बन्द कर देनी चाहिये और केवल युद्ध सेवा वाले व्यक्तियों को ही लेना चाहिये।

चीन ने हमें गुलाम बनाने के लिये आक्रमण किया है अतः हम सब को यह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है। जो लोग कल चीन के मित्र थे और आज लोकतंत्रवादी बन गये हैं वे केवल अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये धोखा दे रहे हैं।

मैं अपने जवानों और उन असैनिकों की भी अभ्यर्थना करता हूं जो यह युद्ध लड़ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब गुरु गोविन्द सिंह के लड़के दीवार में चुनवाये जा रहे थे तो माता साहब देवांने गुरू जी से पूछा था

"हमारे चार लड़के कहां हैं"

गुरुजी ने उत्तर दिया था :

"इन पुत्रन के सीस पै कर दिये सुत चार
चार गये तो क्या हुआ जो जीवत लाख हजार"

मुझे विश्वास है कि आखिर सत्य की ही जय होगी। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री यु० सि० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि इस देश के ऊपर हमला हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने जिस देश के साथ बहुत लम्ब अर्से तक अपनी दोस्ती का दम भरा, अपनी तरफ से जो भी दोस्त के फर्ज हो सकते थे उनको पूरा किया, जो कुछ भी हमारे इरादे थे उन में हमने इतने सालों में पूरी ईमानदारी बरती, लेकिन आज उसी दोस्त ने हम को धोखा दिया है और हमारे देश के ऊपर हमला बोल दिया है। आजादी के बाद इतने लम्बे अर्से में हमारा देश जिस संकट और समस्या का सामना कर रहा है वैसा संकट और समस्या शायद हमारे देश के सामने कभी नहीं आया था। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। यह एक ऐसी बात है जिस पर विचार करने के लिये आज सारा देश मजबूर है। आज से कुछ दिन पहले तक या यों कहिये कि पिछली २० तारीख से पहले अपनी समस्याओं के बारे में हम जिस प्रकार से सोचा करते थे, उन समस्यओं को सोचने का जो हमारा है दृष्टिकोण था उसमें इतना बड़ा अन्तर आ गया है कि जिसका ठिकाना नही है। इस अन्तर को लाने का सम्बन्ध उस समस्या से है जो कि आज हमारे सामने है।

जैसा कल हमारे ला मिनिस्टर साहब ने इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुये कहा था कि जहां तक सवाल डिमाक्रेसी का है, उसके अन्दर एक ऐसा तरीका हुआ करता है जो कि धीरे चला करता है। जहां तक सवाल डिमाक्रेटिक शासन पद्धति का होता है उसके अन्दर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण हम जिन बातों और समस्यओं पर विचार करते हैं वह बहुत धीमे और सीधे सीधे तरीके से चलती हैं। उस वक्त अगर हम किसी बात का हल निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें कानूनी पहलू भी देखना होता है। आहिस्ते आहिस्ते वह चीज चलती है। आज आवश्यक है कि उसमें परिवर्तन हो-क्योंकि उसमें तो कानूनी उलझनों से पास होकर हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन जिन देशों में तानाशाही है, जिन देशों के अन्दर ऐसी हुकूमत है जोकि एक आदमी की या एक पार्टी की हुकूमत होती है, वहां यह तरीका लागू नहीं होता। इसलिये हमेशा देखने में आता है कि जहां पर तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, वहां जो ऐक्शन होता है वह जितनी तेजी से होता है उतनी तेजी से जो डिमाक्रेसी को मानने वाला देश है उसमें नहीं होता। वहां पर इन बातों में देर लग जाया करती है। इसलिये जब हमने देखा कि हमारे देश के ऊपर एक दम से हमला हो गया और उस हमले में हमें किसी हद तक नाकामयाबी मिली, तो हमको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जो डिमाक्रेसी का सीधा सादा तरीका होता है, जो ढीला ढाला तरीका होता है, शायद अब उसको बदलने की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को अनुभव करते हुये जहां और बहुत से कानूनों के अंदर परिवर्तन लाया गया वहां इस गवर्नमेंट को बनाये रखने के लिये नहीं बल्कि भारत की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसको बनाये रखने के लिये और जो स्थिति है उसका ठीक तरह से सामना करने के लिये, इस तरह का बिल इस पार्लियामेंट के अन्दर पेश किया गया। यह बिल सिर्फ इस बात को

[श्री यु० सिं० चौधरी]

अपने दिमाग में रखते हुये यहां लाया गया है कि जिस तरह से जिन देशों के अन्दर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, जैसे कि चीन के अन्दर है, वहां काम जल्दी होते हैं उसी तरह से अपनी समस्या को सुलझाने के लिये हम भी कदम जल्दी उठा सकें।

जहां तक इस बात का सवाल है कि इस प्रकार का बिल हमारे देश के अन्दर आया, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस आपातकाल के अन्दर, ऐसे मौके पर जबकि उस मुल्क ने, जिस की दोस्ती का दम भारत भरता था, हमको बुरी तरह धोखा दिया है, यह बिल लाया गया है। जो आज हम एक वहशियाना दुश्मन के साथ जूझ रहे हैं, अगर हमारे मुल्क के अन्दर शांतिकाल के कानून चलते रहें और जो हमारे मौलिक अधिकार अथवा फंडामेंटल राइट्स कांस्टिट्यूशन के अन्दर दिये हुये हैं उन सबों को मानते हुये हम चलें और इन राइट्स का सहारा लेकर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते रहें तो हम देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे और हमारा देश जो कि डिमाक्रेसी के तरीके से चलने का आदी है, मुसीबत में फंस सकता है। इसलिये जहां तक इस बिल की आवश्यकता का सवाल है, इसमें किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है। आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम जो भी काम करें उसके लिये हमारे हाथ में इतनी बड़ी ताकत होनी चाहिये और उसका हम इतनी सख्ती से और तेजी से व्यवहार करें कि उस में कोई व्यवधान न रहे। उस व्यवधान को खत्म करने के लिये ही यह बिल लाया गया है और पार्लियामेंट के अन्दर इन्ट्रोड्यूस किया गया है। इसलिये मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं।

लेकिन जहां मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं वहां कानन बन जाने के बाद इस के पालन के संबंध में भी एक बात कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। हमारे विरोधी दलों के दो तीन मेम्बरों ने इस तरह की आवाज उठाई है कि कहीं इस बिल का दुरुपयोग न किया जाय। यह संभावना कहां तक ठीक है। आने वाले वक्त में इसका क्या रिऐक्शन होगा, इस पर गवर्नमेंट किस तरह से चलेगी, यह आने वाला वक्त बतलायेगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि जहां तक विरोधी दलों का सवाल है, सब के सब आदमी एक हो रहे हैं, सब के सब आदमी एक इरादा कर के चल रहे हैं। जब सब आदमी एक इरादा कर चुके हैं कि वे देश की सुरक्षा के वास्ते गवर्नमेंट के साथ हैं, चाहे उनकी पार्टी कुछ कहती हो, चाहे उनके सिद्धांत कुछ कहते हों, चाहे किसी प्रकार की भावनाओं में उन्होंग अपनी पार्टी को बांधा हो, तब हुकूमत का भी फर्ज है कि वह विरोधी दलों की भावनाओं और विचारों की कद्र करते हुये, इस बिल के अन्दर जो प्राविजन्स हैं, जो समरी तरीके हैं, उनका ऐसे नाजायज तरीके से इस्तेमाल न करे जिसकी वजह से विरोधी दलों को या इस देश के अन्दर रहने वाले आदमियों को शक हो कि जहां इसका इस्तेमाल दुश्मनों को, चीनियों को, निकालने के लिये होना चाहिये था वहां उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे मैं लोगों में शक है। आशा है कि जो हमारी सरकार है वह इस पर गौर करेगी पूरी तरह से। कल प्रोफेसर रंगा ने एक सर्कुलर का हवाला दिया जिसमें कि दो पार्टियों का जिक्र किया गया था, अर्थात् स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ का। उसको कांग्रेस क्षेत्रों में सर्कुलेट किया था। इस प्रकार के सर्कुलेट से लोगों में शक और संशय पैदा होता है। यह बेहतर रहेगा कि इसके बारे में कोई बयान सरकार की तरफ से दे दिया जाये कि अगर इस तरह का कोई सर्कुलर जायगा तो उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। जब कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास का प्रस्ताव पास किया जाता है तो उसमें श्री नेहरू का सवाल नहीं रह जाता। श्री नेहरू तो कांग्रस गवर्नमेंट के हेड हैं। जब हम कहते हैं कि सब के सब आदमी सरकार के साथ हैं या सरकार के साथ हमारी हमदर्दी है, तो यहां प्रश्न सरकार का नहीं है, यहां प्रश्न श्री नेहरू का नहीं है। यहां प्रश्न देश का है। देश जो है वह हम से और आप सब से ऊंचा

है। हम यहां किसी व्यक्ति को नहीं लेंगे, किसी पार्टी को नहीं लेंगे। जहां तक देश का सवाल है, जिस तरह से देश के वास्ते श्री नेहरू तैयार हैं, जिस तरह से कांग्रस वाले तैयार हैं, उसी तरह दूसरी पार्टियां भी सारी की सारी तैयार हैं। देश की रक्षा का जो प्रमुख कर्त्तव्य है उसको सामने रख कर, सब ने अपने मतभेद भुलाकर, अपनी सारी बातों को भुला कर जिनकी वजह से अलग अलग पार्टियां बनी हैं, एक इरादा किया है और जो प्रस्ताव इस अधिवेशन के पहले दिन आया था उसके संबंध में एक मत हो कर कहा कि हम सब के सब उस के साथ हैं, और जब तक हमारी जमीन की एक एक इंच भूमि से चीनी नहीं निकल जायेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, उस समय तक जो हमारा मकसद है, जो हमारी मंजिल है, वह बिल्कुल पूरी नहीं होगी। और इस बात को अब पूरा करने के वास्ते सारी सरकार और देश की सारी जनता तैयार है।

अब जहां तक चीनी आक्रमण का सवाल है, अगर में इस बिल से परे हट कर कुछ अन्य बातों का जिक्र कर जाऊं तो मुझे माफ किया जाये और मेरे ऊपर इरेलेवेंसी का लांछन न लगाया जाय। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, हम डिमाक्रैसी के शांतिपूर्ण तरीकों से चल रहे थे। हमने कुछ विशेष सिद्धांत बना रख थे और उन सिद्धांतों के आधार पर अपना सारा कार्यक्रम चला रहे थे। इसके कारण हमने कुछ गलतियां कीं। कुछ बातें हमारी तरफ से ऐसी भी हुईं कि जिनकी वजह से हम ठोस भूमि से दूर चले गये और जिनकी वजह से आज हमें इन छोटी मोटी हारों का मुंह देखना पड़ा। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे संसार का इतिहास बताता है कि किसी राष्ट्र के लिये भी सैनिक शक्ति सबसे पहली चीज है। जब से मनुष्य जाति का इतिहास है तब से यह चीज देखने में आती है कि इस पर गहुत महत्व दिया जाता है। तो यह एक आवश्यक और सब से आवश्यक बात है कि हमारी फौजी ताकत बढ़ती रहनी चाहिये, और उसके साथ ही हमारे सिद्धांत भी चलते रहें, चाहे हम उन सिद्धांतों के आधार पर हिन्दी चीनी भाई भाई का नारा लगायें, या पाकिस्तान से अच्छे संबंध बढ़ाने की बात करें या इस बात का प्रचार करें कि सारी दुनिया अहिंसा के आधार पर बसनी चाहिये। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सैनिक शक्ति उसके महत्व को कम न करें। हमारी सैनिक शक्ति बढ़नी चाहिये। फिर चाहे हमारी फौज का आदमी खेती का काम करे या हल चलाये या दुकानदारी करे। ऐसा होने पर, फिर हम अपने सिद्धांतों को भी चलाते रहें तो हमको कभी धोखा नहीं हो सकता। लेकिन अगर यह हम समझें कि हमको तो इकानमिक एडवांस करना है और इस ख्याल से फौजी ताकत को कम किया जाये और फौज के बजट को कम किया जाये तो हमारी हार हो सकती है और हमें वह बात सोचने के लिये विवश होना पड़ सकता है जो बात हम आज सोच रहे हैं।

आज यह भाषण दिये जाते हैं कि अचानक हम आदर्शों की दुनिया से जमीन पर आ खड़े हुए हैं। हमने तो केवल यह उम्मीद की थी कि हमें अगर खतरा हो सकता है तो केवल पाकिस्तान से हो सकता है, और पाकिस्तान से लड़ने के लिये जो हमारे पास चार, पांच या छः लाख की छोटी सी सेना है वह काफी रहेगी। चीन की ओर से हमला होने की हमको २० अक्तूबर तक यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे ऊपर हमला होगा।

श्री बागड़ी (हिसार): आपको चीन से हमले की उम्मीद करनी चाहिये थी।

श्री यु० सिं० चौधरी: तो बीस तारीख से पहले हमको चीन से हमले की उम्मीद नहीं थी और हम यह नहीं समझते थे कि हमको अपन आदर्शों से नीचे आकर फौज की ताकत बढ़ाने के वास्ते भी सोचना पड़ेगा और हमको इस दिशा में चलना होगा कि हमारी फौजी शक्ति बढ़े।

इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि हमारे देश के इतिहास में एक समय ऐसा आया था जबकि अशोक ने यह मान लिया था कि सबको चाहिये कि वह कहें कि

बुद्धम् शरणम् गच्छामि, संधम शरणम् गच्छामि, धम्मम् शरणम् गच्छामि
और सारे संसार में प्रेम और प्रीति का साम्राज्य स्थापित किया जाये। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो इसी धारणा का यह परिणाम हुआ कि जो दूसरे देशों के हमारे ऊपर खैबर के दर्रे से आक्रमण हुए, उन दरिन्दों के आक्रमणों से हम अपनी रक्षा न कर सके और उनको न रोक सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले १५ सालों में हमने अपनी फौजी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। अगर हमारी फौजी शक्ति मजबूत रहेगी तो हमारे जो भी सिद्धांत हैं वे उसके साए में चल सकेंगे ।

जहां तक आरगेनाइजेशन का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें समाज में मनुष्य करता है, और बहुत से सिद्धांत समाज के सामने रखता है जिससे लोगों पर हमारा प्रभाव पड़े, लेकिन जब प्रेक्टिकल लाइफ का सवाल आता है तो बहुत बातों को छोड़ना पड़ता है। हमने अपने संविधान में बहुत से प्रावीजन डाल रखे हैं। मेरे कहने का कोई गलत मतलब न लगाया जाये, पर मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज का अपना एक समय होता है। अगर उसको ठीक समय पर पनपाया जाये तो अच्छा रहता है, बजाये इसके हम कोई सिद्धांत बना लें और आंखें बन्द करके उसके पीछे चलें ।

एक सिक्यूलरिज्म का सवाल है। यह बहुत अच्छी बात है। मगर अब इसको फौज में भी डाल दिया गया। ऐसे आदमियों को फौज में रख दिया गया जिनको नहीं रखना चाहिये था। बहुत से लड़के जो हमारे साथ पढ़ते थे काजिल में, और जो कि मुहल्ले में कोई लड़ाई हो जाये तो उसके कारण रात को सो नहीं सकते थे, आज वे कमीशन ले लेकर फौज में दाखिल हो गये हैं। उसी का यह परिणाम है कि हम देखते हैं कि सेला के मोर्चे पर चीनियों ने हमारी सप्लाई लाइन काट दी और हम कठिनाई में पड़ गये । और बार बार अपने कमांडरों को बदल रहे हैं। हमको लोगों को फौज के लिये भरती करते समय देखना चाहिये कि वह कैसा आदमी है। जो आदमी चाहे मामूली पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वह दूसरी लड़ाई का अनुभव रखता है तो उसको फौज में जिम्मेदारी के पद पर रखना चाहिये। जो दिमागी लोग हैं उनको आप दूसरे काम दीजिये लेकिन जिन आदमियों का अरसे से फौज से संबंध रहा है उनको निगलैक्ट न कीजिये और फौज के काम में उनको प्राथमिकता दीजिये। जो दिमागी आदमी हैं अगर उनको फौज में रखा जायेगा तो जब तोपें और गोलियां चलेंगी तो उनके दिमाग का बैलेंस खत्म हो जायेगा और वे ठीक से काम नहीं कर सकेंगे और काम का सारा सिलसिला खराब हो जायेगा ।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम): मैं विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक उस संकल्प का ही उपांग है जिस के अन्तर्गत हमने चीनी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय प्रकट किया है। इस आपातकाल के लिये और सुचारू रूप से युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक है कि सरकार को पूरे अधिकार प्रदान किये जायें ।

भले ही चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है किन्तु हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये । वे लोग धोखेबाज हैं और उन से सारे संसार को खतरा है। अतः हमें युद्ध संबंधी अपने प्रयत्नों को जारी रखना चाहिये और आक्रांताओं के विरुद्ध पूरी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि संसद् में अथवा बाहर कोई भी इस विधयक पर आपत्ति नहीं करेगा और सरकार पर भी यह उत्तरदायित्व है कि विधेयक में दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग न हो ।

कुछ लोगों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि यह विधेयक एक दल के विरुद्ध है। यह गलत धारणा है। विधेयक तो शत्रु की सहायता करने वाले लोगों के ही विरुद्ध है दल के विरुद्ध नहीं । साम्यवादी दल ने एक संकल्प पारित कर दिया किन्तु वे विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि सभी सदस्य उसका पालन करेंगे । पिछले दिनों श्री नम्बूदरीपाद ने एक सभा में भाषण दिया जहां अपने संकल्प की बात समझाने की बजाय ब्रिटेन और अमरीका तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध ही बोला जैसे भारत की सीमा पर कुछ हो ही नहीं रहा है।

साम्यवादी कहते हैं कि उन्होंने चीन के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है, और एक अनुशासिक दल के रूप में अब वे सरकार का साथ दे रहे हैं । यह बात बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति यह गारंटी नहीं दे सकता है कि उस पार्टी के सदस्य उचित व्यवहार करेंगे ।। केरल की एक नगरपालिका में एक साम्यवादी अध्यक्ष ने चीन के विरुद्ध संकल्प पारित नहीं होने दिया, जिस में की चीन को विस्तारवादी वादी होने की संज्ञा दी गयी थी। साम्यवादी दल के सदस्य कुछ अवांछनीय प्रचार करते रहते हैं तथा भोले भाले व्यक्तियों के मनों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

इस के अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि साम्यवादी दल अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से सम्बद्ध है तथा वे सारे संसार को साम्यवादी प्रभुत्व के नीचे लाना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे जो चाहें चाले भी चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कोई खतरा मोल नहीं ले सकती । जिन लोगों पर सन्देह हो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लेना चाहिये । हमें इह बात की चिन्ता नही करनी चाहिये कि हमारे कुछ अधिकार संकुचित कर लिये गये हैं। आपातकालीन स्थिति में इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदया, सदन के सामने जो डिफ़ेंस आफ़ इंडिया बिल पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । जब कभी कोई युद्ध होता है, कोई संकटकाल आता है, तो हमारे सामने दो फ्रन्ट होते है एक वार-फ्रन्ट, जहां हमारे सैनिक, हमार जवान लड़ते हैं और दूसरा डामेस्टिक फ्रन्ट, जहां पर हम को यह देखना होता है कि जब हमारे जवान देश की फ्रीडम, स्वतंत्रता और हमारी भूमि की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं, तब देश में आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था बनी रहे, ताकि हम अपने सैनिकों की अधिक से अधिक सहायता और समर्थन कर सकें और ऐसी स्थिति पैदा कर सकें, जिस में हमारी सेना अपने उद्देश्य में सफल हो सके।

मैं समझता हूं कि इस बिल के बारे में यह शक करना ठीक नहीं है कि इस से हमारे फ़न्डामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। मेरी राय में हम इस बिल के द्वारा अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रिज़र्वेशन की गारण्टी करते हैं और कहते हैं कि अपने विधान के अन्तर्गत जो प्रजातंत्रात्मक अधिकार हम ने जनता को दिये हैं, उन की हम रक्षा करेंगे। डेमोक्रैसी के तहत दिये गये फंडामेंटल राइट्स के प्रिज़र्वेशन के लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया हैं ।

माननीय सदस्य, प्रोफेसर रंगा, ने अपने भाषण में सरकार और आपोजिशन के बारे में अपने विचार प्रकट किये । उन्होने कहा कि तीन तीन बार कांग्रेस की सरकार चुन कर आई है। मेरी राय में उनकी स्पीच का टेस्ट कोई बहुत दुरस्त नहीं था और न ही वह समय के अनुसार ठीक था। हम क्या करें, अगर यहां की जनता कांग्रेस को चुन कर भेजती हैं ? इस में हमारा क्या कुसूर है कि सारे देश का विश्वास जवाहरलाल जी पर है। मुझे मालूम नहीं कि श्रीरंगा का कितना है। जहां तक वैलट की

बात है बेलट-वार में कांग्रेस जीती और पंडित जी ने मंत्रिमंडल बनाया। जहां तक बुल्लेट की बात है, जब हमारे वार्डर पर बुल्लेट से लड़ाई हुई, उस वक्त सारे देश ने, सारी जनता ने, जज्बे से, भावना से एक हो कर यह बात कही और दोहराई कि हम सारे देश के लोग पंडित जी के साथ हैं। प्रधान मंत्री जी के साथ हैं, सारा देश पंडित जी के साथ है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : कांग्रेस की जीत इसलिए होती है कि उस वक्त मिनिस्ट्री अपनी रखी जाती है, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सब साथ रखे जाते हैं। चौकीदार से ले कर राष्ट्रपति तक सब उस के साथ होते हैं। कांग्रेस की जीत ईमानदारी से नहीं होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिये ।

श्री रा० शि० पांडेय : जहां तक फंडामेंटल राइट्रस का सम्बन्ध है, आपने देखा होगा कि इस देश में—और संसार के उन देशों में, जहां कि वाणी-स्वातंत्र्य है– हर एक आदमी को चाहे वह पार्लियामेंट में हो और चाहे बाहर हो, यह अधिकार है कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है। मैं समझता हूं कि प्रोफ़ेसर रंगा ने अपने इस अधिकार का उपयोग किया जब उन्होंने प्रधान मंत्री की और डिफ़ेंस मिनिस्टर के रूप में श्री चव्हाण के उन के चुनाव की आलोचना की। फ़ंडामेंटल राइट्स के अनुसार उन को अपने विचार प्रकट करने और किसी की भी आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है और इस संकट-काल में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके उन्होंने अपने उस अधिकार का उपयोग किया । लेकिन हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक देश में तो इस प्रकार के टेम्पोरेरी मेज़र्ज़ लाए जाते हैं। लेकिन कम्यूनिस्ट कंट्रीज़ में, जहां पर्मनिन्ट टोटैलिटेरियन रेजिमेंटेशन होता है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पार्लियामेंट के अन्दर हो, चाहे बाहर, यह अधिकार नहीं होता है कि वह देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न करे कि देश के नेता देश की जनता का कान्फ़िडेंस एन्जाय नहीं करते। टोटैलिटेरियन कंट्रीज में परमानेन्ट तौर पर ऐसा इंतजाम है कि किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह सरकार या सरकार की नीति के विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला बोले । (**अन्तर्बाधाएं**) । हमारा एक प्रजातांतरिक देश है और उस में बहुत सी पार्टियां हैं, जिन को अपने अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। एक प्रजा तांत्रिक देश की सब से बड़ी श्रेष्ठता यह है कि जनता को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर स्वामी जी किसी कम्यूनिस्ट कंट्री में होते तो, जिस तरह वह बार-बार उठकर इन्ट्रेप्ट कर रहे हैं, उन को वैसा करने का मौका न मिलता ।

श्री बागड़ी (हिसार) : आनरेबल मेम्बर को क्या वहां पर मुरब्बा मिलता ?

श्री रा० शि० पांडेय : आपने देखा होगा कि हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है, और बावजूद इस बात के कि सारे देश के लोगों को कम्यूनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी पर अविश्वास है, हमने अभी भी कम्यूनिस्ट पार्टी को बैन नहीं किया है। उस को इसलिये बैन नहीं किया गया है कि लोगों को, इलक्ट्रेट को, जनता को, जो कि हमारी मास्टर है, यह फ़ैसला करने दिया जाये कि इस संकट-काल में, जब कि युद्ध का वातावरण है कौन देश के साथ है और कौन नहीं है। हम ने मौका दिया है कि लोग इस बात को देखें और समझें कि डिफ़रेंट पोलीटिकल पार्टीज़ में कितनी पैट्रियाटिज्म है ।

कम्यूनिस्ट बड़ी शिकायत करते हैं कि हम उन पर शक करते हैं। हम क्या करें ? हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है । हमारे देश पर किसका आक्रमण हुआ है ? चीन का—कम्यूनिस्ट चीन का ।

"चीन" के साथ "कम्यूनिस्ट" शब्द भी जुड़ा हुआ है। कम्यूनिस्टों की पद्धति और प्रणाली इस प्रकार की है कि वे दूसरे देशों की सत्ता का अपहरण कर के अपने यहां केन्द्रित करना चाहते हैं। इस लिए यह स्वाभाविक है कि कम्यूनिस्ट सदस्यों या कम्यूनिस्ट पार्टी पर, जिन का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है, हमारी नज़र जाए। अगर इस संकट-कावल में उन के प्रति हमारे मन में सन्देह की भावना पैदा होती है, तो यह अत्यन्त स्वाभाविक है।

उन्होंने एक रेज़ोल्यूशन पास किया, जिस का ज़िक्र हर एक कम्यूनिस्ट सदस्य ने किया है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव कब पास हुआ। जब इस देश में इमर्जेंसी डिक्लेयर हुई, उस के बाद वे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा वे कहना चाहते थे कि हम भी बड़े पैट्रियाट हैं, देशभक्त हैं और हम भी तब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक कि कम्युनिस्ट चीन यहां से ना हट जाए। मैंने अपने उस दिन के भाषण में भी कहा था कि यह साफ है कि तीन प्रकार के कम्युनिस्ट हैं—कुछ तो चीनीवादी हैं कुछ रूसवादी हैं और कुछ स्वतन्त्र हैं। आपने देखा होगा कि जब यह सीज़-फ़ायर हुआ, तो हमारे कम्युनिस्ट लोगों में थोड़ी सी जान आई। उन्होने कहा ठीक है, चाइना की तरफ़ से यह आफ़र आया है, तो रशा ने ज़रूर चाइना को दबाया होगा। हमको तो मालूम नहीं कि रशा की तरफ़ से क्या कहा गया होगा। रशा की तरफ़ से जो भी इन्फ़र्मेशन आई होगी, वह हमारे पास आने का तो कोई सवाल नहीं है। उनके पास आई होगी और उसी बेसिस पर वह यह कहते हैं, लाबी में उसी बेसिस पर बोल सकते हैं कि रशिया ने चीन पर प्रेशर डाला है और यह बात ठीक है कि ग्लोबल वार हो जाएगी। खुश्चेव क्यूबा के मामले में झुक गए हैं और वे चाहते हैं और कहते हैं कि मेहरबानी करके आगे न बढ़ो। इस प्रकार की जो इनफार्मेशन उनके पास आती है, वह कहां से आती है। पेकिंग जो इनफार्मेशन देता है, वह हमें तो बाद में मिलती है लेकिन पेकिंग रेडियो को पहले मिल जाती है, इसमें क्या राज़ है।

जिस वक्त कलकत्ता में जुलस निकल रहा था और जिसमें इस प्रकार के नारे लगाये जा रहे थे कि हम चीन को मार भगायेंगे, उस वक्त उसके ऊपर पत्थर किसने बरसाये? कौन ऐसा देशभक्त हो सकता है जो उस स्लोगन के साथ, उस जुलस के साथ, उस समुदाय के साथ जो यह कहता है कि चीन को मार भगाया जाए, पत्थर फेंक सकता है। कौनसा वह एलीमेंट हो सकता है। यह कम्युनिस्टों की बात नहीं है। जो सम्प्रदाय भी हो, चाहे कोई कांग्रेस में ही क्यों न हों, वे सब निन्दा के पात्र हैं। किसी भी पार्टी के वे लोग हों, निन्दा के पात्र हैं। लेकिन यह साफ नज़र आता है और वह हवा और धारा स्पष्ट समझ में आती है कि जो इस तरह के कार्य करते हैं, वे कौन हो सकते हैं। वे हमारे उस जुलूस पर, उस सम्प्रदाय पर, उस गिरोह पर जो यह कहता है और जो इस की प्रतिज्ञा करता है कि हम चीनियों को निकाल बाहर करेंगे और इस काम में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, हम पंडित जी के साथ हैं, पार्लिमेंट के साथ हैं, देश के साथ हैं, मन्त्रिमण्डल के साथ हैं, पत्थर फेंकते हैं और सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कौन लोग हो सकते हैं। वे देशद्रोही ही हो सकते हैं, देशभक्त कभी भी नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो वे वे ही हो सकते हैं जिनका नाम कम्युनिस्ट है। इनके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वे देशद्रोही..........

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं, उनकी।

†श्री रा० शि० पाण्डेय : हां उनकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं। कभी कभी तो यादव साहब भी अक्ल की बात कहते हैं। मैं उनकी इस बात से तो कम से कम सहमत हुए बिना नहीं रह सकता हूं।

जिस समय हम देश की रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हों, जिस वक्त देश पर संकट आया हुआ हो उस वक्त हमको डिफेंस आफ इण्डिया एक्ट जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है।

ऐसे वक्त में हमें और भी कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें टैक्नीकल आदमियों की जरूरत पड़ेगी, हमें जरुरत पड़ेगी इस बात को देखने की कि युद्ध और संग्राम के समय में कौन कौन हमारी मदद कर सकता है, कौन कौन से साधन हैं, जिन्हें हमें एक्वायर करना पड़ेगा, कहां कहां पर नजर रखनी पड़ेगी। प्रजातन्त्र में आप स्वतन्त्रता देते हैं, पत्रों को जो कि हमारे बुलेटिन्ज़ को हमारे डाकुमेंटस को लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन कोई ऐसा काम न कर सकें जो कि देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालता हो, इसका भी पक्का प्रबन्ध आपको करना होगा। हमारे रेलवे ब्रिज़िज़ हैं, रोड्ज़ हैं, उनको कोई उड़ा न सके, इसकी भी सावधानी बरतनी होगी। इस बिल के द्वारा हम यह अधिकार लेना चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयां जो संक्रामक काल में होती हैं और खास तौर से प्रजातन्त्र देशों में जिन के होने की सम्भावना बनी रहती है, वे न हों सक। हम सभी पार्टियों को प्रजातन्त्र में यह स्वतन्त्रता भी देते हैं कि वे अपने विचारों के अनुसार चल सकें, अपनी विचारधारा को दूसरों के गले उतार सकें। लेकिन जिनकी एक्स्ट्रा टैरिटोरियल लायलटी है, उनकी तरफ से हमको सावधान रहना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति के सम्बन्ध में जो एक प्रकार से उनका समझौता है, ऐसे मौकों पर उनसे हमें होशियार रहना है। कहीं ऐसा न हो कि जो हमारे जवान चीनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उनको अपनी धरती से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो बुलेट्स का जवाब बुलेट्स से दे रहे हैं उनके इस कार्य में बाधा पड़े। जबकि हमारा देश लड़ाई में उलझा हुआ है, हमारी आन्तरिक स्थिति, हमारी आन्तरिक सुरक्षा, हमारा आन्तरिक संगठन ढीला नहीं होना चाहिये। जो भी तत्व इस प्रकार के हैं जो कि गड़ बड़ी पैदा करते हैं और हमारे रास्ते में बाधा डालते हैं, वे देशद्रोही हैं। उनको ऐसा करने का कभी अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। उनको इसका मौका नहीं दिया जाना चाहिये कि वे किसी भी प्रकार कोई बाधा पहुंचा सकें।

हमारे यहां बड़ीबड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। कानपुर जैसी जगह पर बड़ी बड़ी गन फैक्ट्रीज़ हैं। वहां पर वार मैटीरियल तैयार होता है। हमैं ध्यान रखना है कि वहां पर काम अच्छी तरह से चलता चला जाए। अगर हम वहां के मजदूरों को या कहीं और किसी फैक्ट्री के मजदूरों को कहते हैं, उनको प्रेरित करते है कि वे चौबीसों घंटे काम करें तो कहीं उनको भड़काने वाले या कहब वाले ऐसे तत्व सिर न उठायें कि आज तो कोई आवश्यकता नहीं है इना काम किया जाए, जिस तरह से पहले काम किया करते थे, वैसे ही कार्य करते चले जायें, अगर चीन आ जाए तो कोई बात नहीं है, आखिर हम भीतो साम्यवादी हैं और चीन भी तो साम्यवादी है, सारे संसार का साम्यवाद एक ही है, समस्त संसार साम्यवाद के अन्तर्गत आने वाला है, सारे संसार के मजदूर एक हैं। सारे संसार के मजदूरों को एक मानने वाली पार्टी, सारे संसार को मजदूरों को आह्वान देने वाली जमायत ने ही हमारी पर्वतमालाओं पर संघर्ष किया है, संग्राम छेड़ा है और ऐसे अवसर पर इस प्रकार के जो तत्व हैं, उनको किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने का अवसर हमें नहीं देना है।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी माननीय सदस्य यहां पर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे आपकी अनुमति से गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री रा० शि० पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट के द्वारा हम अपने जवानों को इस बात का आश्वासन दे दें कि जिस मातृभूमि की रक्षा के लिये वे अपने प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं, उस मातृभूमि की रक्षा में योग देते हुए हम भी देशमें आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में कोई कसर उठा नही रखेंगे और इतिहास बाद में इस बात को नहीं बता सकेगा कि हम

इस प्रकार की व्यवस्था न बनाये रख सकें और देशद्रोही तत्वों ने इसमें खलल पैदा किया और हमारे इन प्रयत्नों को नुकसान पहुंचाया । इतिहास यह न कह सके कि जब हम दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे उस वक्त देशद्रोहियों ने गड़बड़ पैदा की और अपने इन प्रयत्नों में वे कामयाब हुए सफल हुए ।

श्री बागड़ी : एक बात मैं कहना............

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आपको वक्त मिलेगा, तब आप बोल लेना ।

श्री बागडी : अगर कांग्रेसी की कम्युनिस्ट बीवी हो तो क्या वह इनफार्मेशन देगा या नहीं देगा ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि इस तरह का बिल बनना चाहियें और इसकी परम आवश्यकता है । जो दशा इस समय देश में है, उसको देखते हुए इस बिल के आने की बहुत आवश्यकता है ।

किन्तु इस बिल में किन बातों का समावेश हो, कौनसी बातें इसमें रहें, कौनसी बातें ऐसी हैं जो उचित नहीं हैं या उचित नहीं हो सकती हैं, और उन पर अमल किस प्रकार से होगा, इसमें मतभेद हो सकता है और है । जो पिछला डिफेंस आफ इण्डिया एक्ट अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था उसकी भाषा और इसकी भाषा में कोई विशेष अन्तर नज़र नहीं आता है । अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार से इस बिल को अमल में लाने की बातें होती थीं आज वे समस्यायें भी हमारे सामने है या नहीं हैं, इस पर विचार हमें करना है ।

जहां तक सरकारी मशीनरी का ताल्लुक है, वह बहुत कुछ नहीं बदली है । जहां तक राजनीतिक दलों का तरीका सोचने का है, वह बहुत कुछ नहीं बदल गया है । मैं श्री रंगा की इस बात से बहुत सहमत हूं कि जब इस पर अमल होगा तो लोगों को यह महसूस करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये कि दूसरे विचारों के लोगों को दबाया जा रहा है, जो देशभक्त भी हैं, उनको दबाया जा रहा है । इस तरह के लोगों की रक्षा होनी चाहिये । इसमें एक लफ्ज़ लिख देने से यह नहीं हो सकता है । आपको ही सोचना होगा कि यह किस प्रकार से हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान कुछ दूसरी बातों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । विशेष तौर से पृष्ठ ७ पर, आइटम २५ जो है, उसमैं लिखा हुआ है :—

"खाद्य और कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।"

यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भी लोग वास्तविकता को जानते हैं वे यह समझते हैं कि अगर डिफेंस आफ इण्डिया एक्ट के तहत ऐसी बातों को लाया जाएगा कि जो बहुत भारी तकलीफ देने वाली होंगी, तो गहुत बाधा पैदा हो सकती है । आम किसान को अगर हम पैदावार बढ़ाने के लिए उत्साहित कर सकते हैं तो वह कानून के जरिये से नहीं कर सकते हैं, उसके लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करके ही कर सकते हैं । इस कानून के जरिये से यदि हम उसकी पैदावार को बढ़ाने की बात करेंगे या उससे कहेंगे कि वह अमुक फसल पैदा करे और अमुक फसल पैदा न करे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको दस वर्ष की सजा हो सकती है तो किसान आतंकित हो जायेंगे और वे लोग जो देश के दुश्मन हैं, किसानों को भड़काने में भी समर्थ हो सकते हैं । इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से भी यह

चीज बहुत गलत है। इसके लिये मैंने एक संशोधन भी दिया है कि हम पैदावार की बात न करके बाकी जितने कण्ट्रोल वगैरह के कार्य हैं जो होने चाहियें, उनको कर सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अपने कांग्रेसी साथियों से भी कहूंगा कि अधिकतर किसानों के क्षेत्रों से जो चुन कर आए हैं, वे इस पर विचार करें। वे तो किसानों की मनोवृत्ति को जानते हैं। साथ ही साथ यह सरकार के लिये व्यावहारिक भी नहीं होगा कि जो करोड़ों आदमी हैं, उनके ऊपर कोई बात लादी जाय कि अमुक फसल व पैदा करें और अमुक फसल पदा न करें। अगर एसा करना भी हो तो इसके लिए एक अलहदा एक्ट होना चाहिय जिसके आधीन लोग साधारण कोर्ट में जा सकें, जिसमें ज़मानत का सवाल हो न कि इस एक्ट के अन्तर्गत जिसमें न ज़मानत का सवाल हो और न कुछ और हो। इस बात को इसके तहत लेने से, यह डिफेंस का काम न हो कर, उलट और भी खतरे का अंदेशा हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूं वह पेज ४ की सब-क्लाज़ (५) है। इसमें लिखा हुआ है :—

> "अफवाहें फैलाना विदेशों से सम्बन्ध खराब करवाना और देश के विभिन्न वर्गों में द्वेष का भाव फैलाना इसनको रोका जायेगा।"

यह बिल्कुल सही है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन इसको अमल में लाने का जो तरीका और मशीनरी है, उसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि सरकारों को रूल बनाते समय बहुत कुछ फिक्र करने की जरूरत होगी ताकि अन्याय न हो सके, और ऐसे लोगों के ऊपर, जिनके विरुद्ध बदले की भावना से लोग काम करते हैं, यह हथियार न चलाया जा सके। इस बात की सुरक्षा इसमें नहीं है। इसमें इस प्रकार की सुरक्षा करने की जरूरत है।

इसमें ऐसी बातें भी रख दी गई हैं:—

> "विदेशी विनिमय, सोना और कैश इत्यादि के प्रयोग पर भी नियन्त्रण होगा।"

फाइनेन्स डिपार्टमेंट के जो तरीके हैं वे साधारण रूप से दूसरी जगह भी काम में लाये जा सकते हैं। जहां तक बैंक नोट्स और करेन्सी का सवाल है, वह ऐसा मामला है जो डिफेंस आफ इण्डिया ऐक्ट से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखता है।

फिर इसमें रखा गया है

> "जलूसों, जलसों और भीड़ लगाने पर भी रोक लगाई जायेगी।"

हमारे पास यह इतना बड़ा कानून इस देश में है, जिसकी तहत हम रोज काम करते हैं। इसलिये इसको डिफेंस आफ इण्डिया ऐक्ट की तहत लाने की क्या आवश्यकता है? ऐसी चीजें तो जब हमारे यहां अंग्रेज हुकूमत थी तब लाग की जाती थीं। अंग्रेज हुकूमत जो थी वह विदेशी हुकूमत थी। वह अपने डर की वजह से इन बातों को रखती थी। अब हमारे यहां अपनी हुकूमत है, इस समय हिन्दुस्तान के आदमियों का अधिकार यहां पर है और साधारण तरीके से काम लिया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से यहां पर अधिकार लिये जायेंगे तो उनका मिसयूज हो सकता है। इसलिये जब यह सब बातें देखने में आती हैं तो एसा मालूम होता है कि जिस समय यह बिल बनाया गया उस समय यह नहीं सोचा गया कि हमारा देश एक आजाद देश है, यह अंग्रेजों ने के समय की तरह से गुलाम देश नहीं है। आज जो हमारी ब्यरोक्रेसी है उसकी जो मनोवृत्ति हो रही है वह इस प्रकार की है कि वह इसे सोच नहीं पाई है।

मैंने एक दो सज्जनों से खेती के बारे में चर्चा की तो हम को जवाब दिया गया कि पहले भी यह प्राविजन रक्खा गया था लेकिन उसका इस्तैमाल नहीं किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि जिस चीज का कोई इस्तैमाल ही नहीं होना है उसको रखने की क्या जरूरत है । उसको कानून में रख लेने से हानि होने की सम्भावना होती है ।

इसी तरह से पेज ६ पर नं० ४३ है । उसमें यह लिखा है :

"किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किसी कानूनी घोषणा तथा प्रतिवेदन के औचित्य का विश्वास दिलाना ।"

यह ऐसी बातें हैं जिनसे बहुत सी कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं । अगर हम उन को इस ऐक्ट की तहत रखते हैं तो जो और साधारण चीजें हमने इस में रोकी हैं और जिनका रोकना आवश्यक है, उनके सम्बन्ध में इसका इस्तैमाल व्यावहारिक नहीं रहता बल्कि उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है ।

इसी तरह से पेज १७ पर है । जो स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाई गई हैं और उनको अधिकार दिये गये हैं तो आखिर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स लिखा गया है जिन के बारे में हम और आप सब जानते हैं । माननीय सदस्य भी यह अनुभव करते हैं, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों या दूसरी पार्टियों के, कि जो यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं वह सरकारी मशीनरी के अंग हैं और वे अब भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर सकते हैं । इसलिये हमारी यह मांग रही है कि जुडिशिअरी बिल्कुल अलग रहे । अब अगर एसे लोगों पर जिन के पास हजारों काम रहते हैं अगर उनको ट्राइब्यूनल की ड्यूटी दे दी जाय तो यह और ज्यादा अव्यावहारिक हो जायेगा और कठिनाई पैदा करने वाला हो जायगा । इसलिय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स या एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह अधिकार देना खतरा बढ़ा देना है और इससे अन्याय होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं । साथ ही जैसी शंकायें लोगों को हैं कि इससे राजनीतिक बदला निकाला जा सकता है, वह और भी बढ़ जाती हैं ।

अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था । वहां पर जब मैं डोनेशन्स लेने की बात कर रहा था तो एक पंचायत समिति के प्रधान ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे कहने से डोनेशन्स नहीं देते हैं, उन पर हम आर्डिनेन्स क्यों न लागू कर दें ? इस प्रकार की चर्चायें लोग साधारण तौर से करते हैं । लोग इस तरह के मौकों की तलाश में रहते हैं और यह ऐसा मौका है जिसमें बहुत से लोगों से, चाहे वे राजनीतिक पहलू के न भी हों, तो भी बदला निकाला जायेगा । हमारे देश में एसा स्वर्ग नहीं आ गया है कि लोगों की भावनायें एक दम से बदल गई हों बल्कि उनमें अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने की प्रवृत्ति ही होती है । इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि इस बिल में से व वह धारायें जो कि केवल कठिनाई पैदा करती हैं, जिनसे देश की सुरक्षा होने का कोई सम्बन्ध नहीं है, उनको इससे अवश्य निकाल दिया जाना चाहिय ।

अंग्रेजों के जमाने की एक बात मुझे याद है । एक रेल के अफसर मुझ से कुछ बातों पर नाराज हो गये । उन्होंने देखा कि मेरा एक मकान रेलवे स्टेशन के पास है । वहां पर जो तार हुआ करते थे उनसे होकर आने का लोगों को अभ्यास हो गया था । वे उधर से आ जाया करते थे, पब्लिक आया जाया करती थी । वह तार कटे हुए थे। उस अफसर को मौका मिला और उसने रिपोर्ट कर दी कि मेरे ऊपर डिफेन्स आफ इण्डिया एक्ट के मातहत मुकदमा चलाया जाये क्योंकि मैंने रेल के तार काट रक्खे हैं । इस तरह की बातें की गईं । उस वक्त तो यह बहाना था और कांग्रेस वालों के विरुद्ध यह सब किया ही जाता था अंग्रेज हुकूमत की तरफ से । लेकिन आज भी कोई एसी बात नहीं है कि लोग इस तरह तरह का बहाना न बना लें । इसलिये इसमें जो प्रोवाइड किया गया है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, वह लिख तो दिया गया है लेकिन आखिर इस एक्ट पर अमल कौन करेगा ? यहां से सेंट्रल

गवर्नमेंट तो करने जायेगी नहीं, न सूबे के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर करेंगे । इस पर अमल करेगी सरकार की मशीनरी और करेंगे वे लोग जो उससे सम्बन्धित रहते हैं । इसलिये हम को वास्तविकता की तरफ से आंखें नहीं बन्द करनी चाहियें । हमें दुश्मन का मुकाबला करने के लिये इस एक्ट का इस्तैमाल सख्ती से करना है, लेकिन अगर हम इसमें इस तरह की धाराओं को रख दें जिनसे यहां के करोड़ों लोगों के जीवन का सम्बन्ध हो जाये, तो यह बहुत गलत चीज हो जायेगी ।

मैंने बार बार इस बात का उदाहरण दिया कि खेती के मामले में हमें बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है । हम खेती की पैदावार बढ़ायें क्राप पैटर्न भी दें लेकिन उसके लिये हम अलाहदा कानून कानून बना सकते हैं न कि उसको डिफेन्स आफ इण्डिया एक्ट के तहत रक्खें । यहां सिर्फ लड़ाई चलाने का सवाल ही नहीं है, और भी आवश्यक हो जाता है परिस्थिति को देखते हुए कि हम खेती के लिये दूसरी बातें करते । क्योंकि ऐसी धारायें इस ऐक्ट में रख देने से ऐसे लोगों को बल मिलता है जो कि कोआपरेटिव फार्मिंग के विरोध में हैं । वह कहेंगे कि सरकार इस ऐक्ट के जरिये से कोआपरेटिव फार्मिंग करायेगी । जो लोग इस प्रकार का अन्दाजा लगाते हैं, उनको मौका दिया जाय या गलत वातावर बनाया जाय यह चीज ठीक नहीं होगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो धारायें इस प्रकार की हैं जिनकी जगह साधारण से साधारण कानून से भी काम चल जाता है, उनको कृपा करके इस कानून के अन्दर न रक्खा जाये ।

अन्त में मुझे एक बात कहनी है और वह यह कि हमसे आशा की जाती है कि इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वे देहातों में जाकर इस तरह से काम करें कि जिस से वातावरण अच्छा बने । लेकिन यह बड़े जोखिम का काम है क्योंकि जब भी विरोधी दल के लोग कुछ काम करते हैं तो जो हमारी रूलिंग पार्टी के लोग हैं वे इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं । और जब रूलिंग पार्टी के लोग काम करते हैं तो उसमें कई तरह की गन्दगियां आ जाती हैं । इसलिये हमें बतलाया जाये कि हम किस प्रकार से इस पर अमल करायेंगे ताकि जनता में गलत भावनायें न फैलें । हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ सकती है और न मालूम क्या हो सकता है । उस वक्त हम इस ऐक्ट का सही इस्तैमाल करें यह सरकार की मशीनरी पर अवलम्बित नहीं रहता है । वह जनता के नुमाइन्दों पर अवलम्बित रहता है । कानून से भले ही हमारा वास्ता न हो लेकिन अमल में हमाइरा भी कुछ वास्ता होगा । हमें सोंचना है कि हम किस तरह से इसके अमल में योग दें । इस लिये स ऐक्ट के पास होने के बाद इसके अमल के बारे में सतर्क रहना होगा, सब को होशियारी से काम लेना होगा औ हम सब को इस के लिये तैयारी करनी होगी । जब हम ग्रामों में जाते हैं तो डोनेशन्स लेते हैं या लोगों को संगठित करने के लिये बातें करते हैं या यूथ संगठन को बढ़ाते हैं । जब हम संगठन को बढ़ायेंगे और कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स के कामों को बदलेंगे तो वहां हमें यह भी बतलाना होगा, खास कर उन एरियाज में जो कि बारडर के नजदीक होती हैं, चाहे वह बारडर चाइना का हो या पाकिस्तान का हो, कि हमें वहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है इसलिये अगर कोई यह समझ बैठे कि जब हम एक्ट पास कर देंगे तो उसके बाद हमारा कोई कर्तव्य नहीं रह जायगा इस सम्बन्ध में यह बहुत भारी भूल होगी । इस एक्ट के पास होने के बाद हमारा कर्त्तव्य बढ़गा और इसलिये हमें देखना है कि इस ऐक्ट में से वे धारायें निकाल दी जायें जिनसे जनता का अहित होता है, सरकार का जिन से कोई लाभ नहीं होता है, सुरक्षा का कोई लाभ नहीं होता है । कुछ धारायें मैंने बतलाई हैं, कुछ धारायें वे लोग बतलायेंगे जो मेरे बाद बोलेंगे । मैं आशा करता हूं कि उन धाराओं पर पुनर्विचार करने के बाद उनको निकाल दिया जायेगा ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब यह बिल हाउस के सामने आया है और जिसका स्वागत करने के लिए मैं खड़ी हूं यह मुनासिब न होगा अगर मैं उसके बारे में कुछ और भी न कहूं दूं। आज जो अभी एक कम्यूनिस्ट सदस्य ने गिरफ्तारियों के बारे में कहा, उस से कुछ मिलती जुलती बात मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं। इसलिए मैं यह बात नहीं कहती हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, जो प्रस्ताव उन्होंने अब पास किया है उस को उन्हें कम से कम एक साल पहले पास करना चाहिए था। यह बात मैं इसलिये भी नहीं कहना चाहती हूं कि कम्युनिस्ट मा कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी है या अच्छी नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि वह इसलिये कि कांग्रेस अच्छी है और कांग्रेस हुकूमत अच्छी है। इस वक्त मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के मीन्स और एंड्स में नहीं जाना चाहती और न मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं उनको अच्छा समझती हूं या अच्छा नहीं समझती। अगर मैं उनको अच्छा समझती होती तो मैं उसी पार्टी में होती। लेकिन मैं जानती हूं कि कांग्रेस अच्छी है और उस के उसूल अच्छे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर कांग्रेस में किसी कम्युनिस्ट की पत्नी हो तो क्या होगा। मैं एक कम्युनिस्ट की पत्नी हूं और उन सदस्य की पत्नी के साथ हमदर्दी जाहिर करती हूं जो इतने असभ्य मेम्बर की पत्नी हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती।

†**श्री रामसेवक यादव** : औचित्य प्रश्न, क्या किसी सदस्य को असभ्य कहना शिष्टता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को कह रही थी कि मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। यह बहुत मुनासिब वक्त पर लाया गया है। इस वक्त शत्रु ने देश पर आक्रमण किया है तो हमारे देश का आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो अपना सब कुछ देने को तैयार नहीं है। आज लोग पैसा दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं, बारडर पर जिन्दगी दे रहे हैं। अगर आज मैं उठ कर कहूं या कोई भी सदस्य यह कहे कि हमारी बोलने की या काम करने की आजादी कायम रहे तो यह बहुत अनुचित बात होगी। जहां लोग जिन्दगी दे रहे हैं, और उन को देनी भी चाहिए, वहां कोई फंडामेंटल राइट या कोई और छोटी मोटी चीजें जो काम में रुकावट डालती हों उनको कायम नहीं रखा जा सकता। मैं तो यह भी कहना चाहती हूं कि अगर जवानों के बारडर पर जिन्दगी देने से देश की आजादी बच सकती है और देश के अन्दर कुछ लोगों के जेल में जाने से——चाहे वे किसी भी पार्टी के हों——देश की आजादी बच सकती है या उनको फांसी लगने से देश की आजादी बच सकती है तो उनको आज उस से इन्कार नहीं करना चाहिये।

मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से अपनी परसनल नालिज से कुछ कहना चाहती हूं कि जो जो गिरफ्तारियां हुई हैं वे इनडिस्क्रिमिनेट हुई हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं कि जो कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा रिजोल्यूशन पास करने से बहुत पहले से उस के खिलाफ काम कर रहे थे, चीन के खिलाफ बोलते थे और ध्यान देते थे, लड़ाई के लिए काम करते थे और पैसा जमा करते थे। मुनासिब होगा कि जो दिल्ली के कांग्रेस सदस्य हैं वे उन के बारे में कुछ कहें। पर यहां गिरफ्तारियां बहुत कम हुई हैं। यहां तीन गिरफ्तारियों के बारे में मैं जानती हूं। उन में से एक के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दो के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वे बहुत काम कर रहे थे, पैसा जमा करने में उन्होंने बहुत काम किया; उनका कम्युनिस्ट पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, न उन्होंने उनको वोट दिया . . (**अंतर्बाधाएं**) मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कि उनको सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन्स देनी चाहिये कि इस चीज को बड़े अहतियात से इस्तेमाल करें और इस बात को देखें ।

रिपोर्टिंग के बारे में मैं कहना चहती हूं . . .

मैं माफी चहती हूं । मुझसे तो इन्हीं साहब ने पीछे से कहा कि इंसटांस दो तो मैंने दिया, नहीं तो मैं नहीं देने वाली थी ।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस कानून को बहुत एहतिहात से इस्तेमाल किया जाए, जिस के खिलाफ इसको काम में लाया जाए उसके केस को बहुत ढंग से स्क्रूटीनाइज किया जाए। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि गड़बड़ी के दिनों में कुछ लोग ऐसी चीज़ों का, दुश्मनी की वजह से या किसी और वजह से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और उस से हमारी हुकूमत पर दोष आता है। इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं । अगर इगनोरेंस से या किसी और वजह से इन कामों में गलती हो जाती है तो उस से सरकार बदनाम होती है ।

दूसरी बात में यह कहना चाहती हूं कि मैं इस बिल को इसलिए भी वैलकम करती हूं कि आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो ऐसे कामों में लगे हैं जो देश की रक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहती हूं। खास तौर पर एक जमाअत है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ । मेरी होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि जो वह संगठन काम कर रहा है उसको वह खुद देखें । मैं दरखवास्त करती हूं कि . . .

श्री रामेश्वरानन्द : आपके पास कोई ऐसी सूचना है क्या ?

श्री लहरीसिंह (रोहतक) : प्वाइंट आफ आर्डर । मैं यह चाहता हूं कि हाउस में किसी पार्टी पर अटैक न हो, आप जनरल बात कह सकते हैं, किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दलों पर कीचड़ नहीं फेंका जाना चाहिये ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में बहुत जरूरी बात लाना चाहती हूं . . .

श्री रामेश्वरानन्द : डिप्टी स्पीकर साहब महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन से पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश के बिगाड़ के लिए क्या कर रहा है ----

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने इसे डिफेंस ऑफ़ इंडिया बिल में देखा है कि होम मिनिस्टर साहब ने इस में यह प्रोवाइड किया है कि इस वक्त जो कोई एक दूसरे के खिलाफ़ हैट्रेड फैलायेगा, एक क्लास के और दूसरे क्लास के बीच नफ़रत फैलायेगा और देश की रक्षा के काम में नुकसान पहुंचायेगा तो उसे डिफेंस ऑफ़ इंडिया रूल्स के मातहत सज़ा दी जायगी । आज की नाजुक घड़ी में जब कि इस देश की हर एक स्त्री, पुरुष और बच्चा मुल्क की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा हो हुआ है और अपना योगदान दे रहा है यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी काम या

†मूल अंग्रेजी में

हरक़त जिस से एक जाति और दूसरी जाति, एक धर्म और दूसरा धर्म, एक भाषा और दूसरी भाषा, बोलने वालों के बीच नफ़रत फैलती हो, उसको रोका जाय और ऐसी हरकत और काम पर निश्चय रूप से यह डिफेंस आफ़ इंडिया ऐक्ट लागू होना चाहिए।

इस सिलसिले में मुझे अपने होम मिनिस्टर की सेवा में निवेदन करना है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी जमात है जो कि विधान के खिलाफ़ काम करती है और जो हमारा विधान है उस के खिलाफ़ प्रीच करती है। उस जमात की चंद बातें में आप के सामने रखना चाहती हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक गुरू गोलवालकर ने जनसंघ के मुखपत्र आर्गेनाइज़र में छपे एक लेख जिसका कि शीर्षक है :—

परम्परा से हिन्दू राष्ट्रीय जीवन का भावात्मक एकता के आधार पर ही हो सकता है ...
इस के मुताबिक गुरू जी ने पूना में यह कहा है :—

"यहूदी और पारसी तो हिन्दू समाज से मिल गये हैं परन्तु ईसाई और मुसलमानों के लिये यह नहीं कहा जा सकता। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, केवल हिन्दू समाज ने ही भारत को अपनी मातृभूमि माना है। वही हिन्दू राष्ट्र है।"

उनका राष्ट्र धर्म यह है :—

"हिन्दू जाति का सुख दुख ही मेरा तथा मेरे परिवार का सुख दुख है। हिन्दू जाति का संकट ही हम सब लोगों के लिए महा संकट है। हिन्दू जाति का अपमान ही हम सब लोगों का अपमान है, इस प्रकार की अपने मन की भावना प्रत्येक हिन्दू की रग रग में भर देना ही राष्ट्र धर्म का मूल मन्त्र है। **(अन्तर्बाधायें)**।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : ऑन ए प्वांइट ऑफ़ आर्डर सर। कल जिस समय रंगा जी का भाषण हो रहा था और उन्होंने अपने भाषण में चक्रवर्ती श्रीराजगोपालाचार्य के कुछ उद्धारण इस सदन में दिये तो उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से अनुरोध किया गया कि जो व्यक्ति यहां नहीं है और जो अपने संबंध में यहां कोई सफ़ाई पेश नहीं कर सकता उस के सम्बन्ध में कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हो सकती है। वही बात मैं समझता हूं कि श्री गोलवालकर जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी लागू होनी चाहिए। यहां सदन में उस की चर्चा चलाना जिस की कि कोई सफ़ाई न दे सके, यह सदन की मर्यादाओं के विपरीत है उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बारे में व्यवस्था देनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह तो पढ़ रही हैं, स्वयं आलोचना तो नहीं कर रही।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय आज के संकट काल में जबकि राष्ट्रीय एकता की सबसे ज्यादा ज़रूरत है और तमाम देशवासियों के कंधे से कंधा मिला कर एक जुट हो जाने की ज़रूरत है और जबकि देश का बच्चा बच्चा मातृभूमि की हिफाजत के लिये अपनी जान देने को तैयार है, मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को बतलाना चाहती हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रधर्म की डैफ़नीशन क्या है और यह कि वह साफ तौर से हमारे विधान के खिलाफ है..........

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं तो आप से कह रही हूं कि देश के हजारों और लाखों बच्चे जबकि पैसा पैसा चन्दा दे रहे हैं और देश की पुकार पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं, आर० एस० एस० वाले उन मासूम और भोले बच्चों के दिल में राष्ट्रधर्म आदि की ऐसी गुमराह करने वाली डेफ़ीनीशन देकर उनके दिमाग़ों में ज़हर भर रहे हैं और अगर उनको यह ज़हर भरने दिया जाता है तब देश में एकता कैसे कायम हो सकेगी और देश की रक्षा कैसे हो सकेगी ? सरकार को इस तरह की बेजा हरकत करने वालों के खिलाफ कड़े क़दम उठाने से हिचकना नहीं चाहिये . . .

श्री बड़े : आज राष्ट्रीय संकट काल में हम सब लोग और पार्टियां एक हो गयी हैं, देश की रक्षा के काम में सब एक साथ हैं इसलिये ऐसे समय में मेरी बहन द्वारा इस तरह आपस में मतभेद रूपी ज़हर फैलाना उचित नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को आपत्तिजनक बात नहीं कहनी चाहिए ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह दिन से रोज़ यहां पर कांग्रेस को गाली देते हैं, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ़ बोलते हैं और हम सब उसको सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं तो एक ऐसी जमात जो कि आज भी राष्ट्र के हित के ख़िलाफ़ काम कर रही है क्या उस जमात का मैं जिक्र नहीं कर सकती ? बड़ी अजीब बात है कि आज हमारे देश के सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के मेम्बर नहीं हो सकते, पी० एस० पी० के मेम्बर नहीं हो सकते, कम्युनिस्ट पार्टी या जनसंघ के मेम्बर नहीं हो सकते लेकिन यह आर० एस० एस० जमात जोकि कहलाती तो सांस्कृतिक जमात है लेकिन काम राजनीतिक करती है, उस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वे मेम्बर हो सकते हैं ।

श्री बड़े : नहीं हो सकते हैं । (**अन्तर्बाधाएं**)

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मेरा कहना है कि दरअसल यह सांस्कृतिक जमात न होकर राजनीतिक जमात है । उसकी राष्ट्र धर्म की, राजनीति की, झण्डे की और सिटीज़न को डेफ़ीनीशन बिल्कुल अलग है और वही मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को बतला रही हूं । उनके राष्ट्रधर्म की डेफीनिशन यह है :

> "हिन्दू जाति का सुख दुख ही मेरा तथा मेरे परिवार का सुख दुख है । हिन्दू जाति का संकट ही हम सब लोगों के लिये महासंकट है. . . . . ."

श्री बड़े : औन ए प्वाएंट औफ़ आर्डर, सर । आज की इस नाजुक घड़ी में किसी व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ नहीं बोलना चाहिये क्योंकि इस तरह आपस में मतभेद का ज़हर फैलेगा और जो सबने मिल कर एक साथ देश की रक्षा करने का व्रत लिया है, माननीय सदस्या यह कह कर उस एकता को नुकसान पहुंचा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह तो आम हुक्म नहीं दिया जा सकता है कि बिल्कुल किसी को कोई क्रिटिसाइज़ न करे मगर यह जो हम लोगों ने अभी अपनी एकता दिखलाई है तो यह बेहतर होगा कि हम ऐसी बात न करें जिससे उस एकता को नुकसान पहुंचे और हमारी ओर से सदा यह यत्न रहना चाहिये कि वह एकता हमारी बनी रहे । इसलिये इस वक्त जितना कम हो सके एक दूसरे पर नुक्ताचीनी की जाय ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : लेकिन जिनकी बाबत मैं कह रही हूं वह यहां पर नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप उनकी बाबत जिक्र कर रही हैं जो कि यहां मौजूद नहीं हैं तब तो मैं इसके लिये आपको इजाज़त नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं तो जमात की बात कर रही हूं । अब जमात तो यहां मौजूद है ।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा कि आप अब और जिक्र न करें । मुझे अफ़सोस है कि कल श्री रंगा ने यह नुक्ताचीनी कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर की शुरू की और मैंने यह समझ कर कि शायद वह इंजर्ड मालूम होते हैं इसलिये मैंने उनको रोका नहीं और ख़ामोश रहा लेकिन बेहतर यह होगा कि हम सब लोग इन बातों से परहेज़ करें ।

श्री बड़े : आनरेबुल लेडी मेम्बर भी शायद इंजर्ड मालूम होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात का ख़याल रक्खें और अपने लफ़्ज़ों को तोल कर बोलें । वे इस बात का ध्यान रक्खें कि हमने अभी जो एकता दिखलाई है उसमें ऐसा न हो कि बाक़ी दिन जो हमें बैठना है, उसमें हम उस एकता को बिगाड़ दें बल्कि उसे और ज्यादा मज़बूत करके हमें जाना चाहिए ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रही हूं बल्कि मैं तो आर्गेनाइजर से कोट करके बतला रही हूं कि आज जब देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहने की आवश्यकता है, यह लोग इस तरह से ज़हर फैलायें जिससे कि एक धर्म और दूसरे धर्म के लोगों के बीच नफ़रत फैले, एक सिटीज़न दूसरे सिटीज़न को इस देश का सिटीज़न न समझे, अगर इस तरह से एक दूसरे के लिये नफ़रत फैलेगी तो देश की रक्षा करने का जो व्रत हमने लिया है उसके रास्ते में मुश्किल पेश आयेगी । मैं तो उसमें से कोट करके यह बतला रही हूं कि इस तरह से जो राष्ट्रधर्म, सिटीज़न आदि की परिभाषा की जाती है उससे देश की सुरक्षा के काम में बाधा आने वाली है । मैं तो होम मिनिस्टर साहब को यह बतलाना चाहती थी कि आज भी हमारे देश में एक ऐसी जमात है जो कि इस तरह की हरकतें कर रही है और मैं उस जमात के बारे में अपनी ओर से कुछ न कह कर उन्हीं को यहां पर कोट कर रही हूं । उस जमात की "राष्ट्र धर्म" की डेफ़िनीशन अलग है, "राष्ट्रीयता" की अलग है, उनकी "झण्डे" की डेफ़िनीशन अलग है, उनकी "नागरिक" की डेफ़िनीशन अलग है । ये सब हमारे कानून और कांस्टीट्यूशन के विपरीत पड़ती हैं । (**अन्तर्बाधाएं**) इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने . .

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, हो लिया । अब आगे चलिये ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : . . . . "राष्ट्र धर्म" की डेफ़िनीशन बता रही थी, जो कि इस तरह है, "हिन्दू जाति का सुख दुख ही . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या . . .

श्रीमती सुभद्रा जोशी : स्पीकर साहब, मैं इस को क्वोट क्यों न करूं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

अब माननीय सदस्या इस पर क्यों ज़िद करती हैं, वह क्यों उसी बात को हैम्मर कर रही हैं ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : "इस प्रकार की अपनेपन की भावना प्रत्येक हिन्दू की रग-रग में भर देना ही राष्ट्र-धर्म का मूल मन्त्र है ।" (**अन्तर्बाधाएं**)

एक माननीय सदस्य : इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : वह एक सांस्कृतिक जमात कहलाती है और उसको सरकार का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है कि वह राजनीतिक जमाअत नहीं है । गवर्नमेंट के कर्मचारी उसकी मीटिंग्ज़ में जा सकते हैं, जबकि वे हमारी जमाअत की मीटिंग्ज में नहीं जा सकते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से

यह कहना चाहती हूं कि वह एक राजनीतिक जमाअत है । मैं उनको उस जमाअत की "राजनीति" की डैफ़िनीशन बताना चाहती हूं, क्योंकि वह कहेंगे कि वह राजनीतिक जमाअत नहीं है । राजनीति की डेफ़िनीशन यह है. . . (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, हम को इस बारे में शास्त्रार्थ करने के लिये समय दिया जाये । हिन्दुस्तान में जो भी रहता है, वह हिन्दू-मात्र है । मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी हिन्दू हैं । वे कुछ भी समझते हों, इस प्रकार की भावना से प्रयोजन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर दूसरे माननीय सदस्य उनका ज्यादा वक्त न लें, तो मैं सारा वक्त माननीय सदस्या के नाम लिख दूं, ताकि वह जल्दी ख़त्म करें ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : पन्द्रह मिनट से यही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या से मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं वह बार-बार जोर देकर उसी बात को दोहराती जा रही हैं । अब हो लिया । उन्होंने अपने आर्ग्युमेंट्स दे दिये हैं । अगर उनके पास और कोई प्वायंट है, तो वह कहें ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उन्होंने कहा कि. . . (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : फिर "उन्होंने कहा ?" मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता । (**अन्तर्बाधाएं**) मैं इस को नहीं चलने दूंगा । मैं इसको बन्द करता हूं । अगर माननीय सदस्या ज़िद करेंगी, तो मुझे निकालना पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : टाइम भी हो गया है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : स्पीकर साहब, आपने क्या मना किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तीन चार दफ़ा मना किया है कि इस बात को छोड़ कर माननीय सदस्या अगली बात पर चलें, लेकिन वह उसी बात को छेड़ रही हैं कि उन्होंने क्या कहा उस जमाअत की क्या डेफ़िनीशन है ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (दमोह) : वह बात कहिये, जिसमें सारांश हो । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्रीमती सुभद्रा जोशी : जब आज भी सब लोग संगठन के लिये कह रहे हैं और यहां पर भी यह अपील कर रहे हैं, तो फिर आप होम मिनिस्टर साहब को यह बात क्यों नहीं सुनाने देना चाहते कि आज भी हजारों की तादाद में हमारे लोगों को यह बताया जा रहा है कि "मुसलमान तथा ईसाई आक्रमणकारी के रूप में आए । वे भारत के अभिन्न अंग नहीं बन सकते" (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह निकालना पड़ेगा । अगर माननीय सदस्या मेरे मना करने पर भी नहीं मानतीं, तो मुझे बन्द करना पड़ेगा ।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : तब मैं नहीं बोलती, इसका क्या मतलब है ?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जब मानदीय सदस्य, श्री बागड़ी, ने माननीय सदस्या के बारे में कोई बात कही—मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं—तो उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य की स्त्री से हम को बड़ी हमदर्दी है, जिसके यह

†मूल अंग्रेजी में

असभ्य पति हैं। क्या किसी माननीय सदस्य के बारे में "असभ्य" शब्द का इस्तेमाल किया जाना पार्लियामेंटरी है ? क्या वह संसदीय परम्परा के अन्तर्गत ठीक है या नहीं ? अगर ठीक है, तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि असभ्यता का जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ। उस वक्त जो साहब प्रेजाइड कर रहे थे, उनके नोटिस में लाना था। इस वक्त मैं इसका नोटिस नहीं ले सकता।

श्री राम सेवक यादव : उन्होंने इसका निर्णय नहीं दिया, इसलिये मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने निर्णय नहीं दिया, तो मेरे पास उसकी अपील नहीं हो सकती है।

श्री राम सेवक यादव : मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि "असभ्य" शब्द पार्लियामेंटरी है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कन्टेक्स्ट के बग़ैर मैं कैसे फ़ैसला कर सकता हूं ? मैं उसको निकाल कर देखता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय): मैं ने श्री मुकर्जी का भाषण नहीं सुना, परन्तु मैं महसूस करता हूं कि उन्हें देश भर में हुई साम्यवादियों की गिरफ्तारियों का अवश्य कष्ट हुआ होगा। इन व्यापक गिरफ्तारियों का निर्णय कोई सरल बात नहीं थी। यद्यपि व्यक्तिगत रूप में श्री मुकर्जी से सहानुभूति है, परन्तु यह प्रश्न व्यक्तिगत न हो कर देश का है। मेरे विचार में सरकार ने यह साहस पूर्ण कदम उठा कर बहुत ही श्लाघायुक्त कार्य किया है। आज की स्थिति में यह लोगों के उत्साह को कायम रखने की बात है।

साम्यवादी दल के सदस्यों को गिरफ्तार करने का निर्णय बहुत ठीक है यद्यपि उस में बहुत कठिनाई उठानी पड़ी है। यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने देश के नागरिकों का नैतिक साहस बनाये रखने की आवश्यकता महसूस कर ली है। इस क्षेत्र में तनिक भी जोखिम नहीं उठायी जा सकती है क्योंकि नागरिकों के नैतिक साहस पर हमारी सैनिक क्षेत्र की विजय निर्भर है।

देश को भारतीय साम्यवाद से चीनी साम्यवाद से भी अधिक खतरा है। चूंकि साम्यवादी विश्व-व्यापी आन्दोलन के समर्थक हैं इसलिये वे उस आन्दोलन की सफलता के लिये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तटस्थता की नीति का गलत प्रचार किया है। साम्यवादियों से इसलिये और भी खतरा उत्पन्न होता है कि वे युद्ध सामग्री कारखानों के कर्मचारियों के संघों में घुस गये हैं जो प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये घातक है।

दूसरा खतरा सीमान्त क्षेत्रों से है जहां साम्यवादी बहुत सक्रिय हैं। अन्तर्ध्वंस की सुविदित प्रणाली के अनुसार इस बात की संभावना है कि चीनी यहां से जाने से पहले नेफा में अपना कठपुतली शासन स्थापित कर जायेंगे। इस गन्दे प्रयोजन के लिये उन के बहुत से सहायक हमारे देश में तैयार हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार जो शक्तियां ले रही है वे न केवल निरंकुश है वरन् अत्यन्त क्रूर भी हैं। उन शक्तियों के दुरुपयोग का बहुत खतरा है विशेषकर राज्यों में क्योंकि वे शक्तियां निर्बाध हैं और उन पर न्यायपालिका द्वारा विचार भी नहीं किया जा सकता है।

यह खतरा इसलिये और भी वास्तविक है कि कार्यपालिका ने जानबूझ कर देश की न्यायपालिका की जड़ कमजोर की है। न्यायिक नियुक्तियां योग्यता से भिन्न बातों का विचार करके की जाती हैं।

†मूल अंग्रेजी में

हमें विधिवत् शासन को कमजोर नहीं करना चाहिये क्योंकि उस से बर्बरता उत्पन्न होती है। सरकार को विधेयक में उपबन्धित न्यायाधिकरणों की नियुक्ति में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। यह भय बहुत बहुत वास्तविक है कि नियुक्तियां राजनैतिक विचार से की जायेंगी । हमें विशेष न्यायाधिकरणों की न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिये ।

यह ठीक है कि आज हम जीवन और मृत्यु के संघर्ष से निकल रहे हैं, परन्तु हमें अपने लोकतंत्रीय विचारों को नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमारे चरित्र की परीक्षा है, हमें इस विधेयक को राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिये । हमारी सरकार की, हमारे लोकतंत्र की परीक्षा है। हम लोकतंत्रीय आदर्श के लिए लड़ रहे हैं। हम इस विधान का प्रयोग गलत तरीके से नहीं होने देंगे ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा) : सभा के समक्ष जो विधेयक है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह समय के अनुकूल ही है। साम्यवादी दल और श्री रंगा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। कोई विशेष बात नहीं है, केवल इतना ही है कि सरकार को स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक शक्तियां मिल जायेंगी । यद्यपि साम्यवादियों ने आपात की उद्घोषणा का समर्थन किया है परन्तु वे इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ साम्यवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे विचार में हमें इस विधेयक को दलगत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ।

चीनी आज शरारत करने पर तुले हुए हैं। बातचीत के लिये आज जो शर्तें चीनी उपस्थित कर रहे हैं उन से पता चलता है कि उन के दिल में क्या हैं। वे नेफा के ३५०००वर्गमिल पर *कब्जा करना* चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि हमें इस दिशा में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। आज उनकी आंखें आसाम के तेल क्षेत्रों पर लगी हुई हैं। नागरिक प्रतिरक्षा के मामले में भी सतर्क होने की बड़ी आवश्यकता है । आसाम के कुछ एक तत्व शरारत करने पर तुले हुए हैं। आसाम के लिए नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिये । साम्यवादी आसाम के कबाली इलाकों में घुस रहे हैं। हमें उन के प्रति नर्म व्यवहार करना चाहिए। अतः मेरा कहना यह है कि देश की आज की स्थिति का मुकाबला करने के लिए यह विधेयक बड़ा जरूरी है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : आज देश की जो स्थिति है उस में यह विधेयक बहुत ही आवश्यक है । शत्रु का मुकाबला करने के लिये यह बहुत जरूरी है । हमारे साम्यवादी मित्र इसकी आलोचना कर रहे हैं । इस से मुझे आश्चर्य होता है कि साम्यवादी लोग जो वर्तमान स्थिति को उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी हैं, हमारी आलोचना कर रहे हैं। बर्बर शत्रु का मुकाबला करने के लिए लोगों को नागरिक स्वतंत्रता को संकुचित करना बड़ा जरूरी है। पीकिंग रेडियो भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है उसका सुनना बन्द किया ही जाना चाहिए। उन लोगों की गतिविधियों को संकुचित किया ही जाना चाहिये जो कि हमारी युद्ध की तैयारी को हानि पहुंचाते हैं। आजकल जो स्थिति भारत में निर्माण हुई है उस में चीन स्वयं ही उत्तरदायी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुऐ]

चीन ने हाल ही में एक ४२ पृष्ठ की एक पुस्तिका जिसका नाम है 'नेहरू तत्व के बारे में कुछ और'। उस में जो कुछ कहा गया है, वह कोई नया नहीं है ये बातें कुछ समय से निरन्तर पीकिंग

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो द्वारा कही जाती रही हैं । कहा गया है कि जो लोग पूंजीपति शासन से काफी तंग हैं और सरकार के प्रति विरोध करना चाहते हैं, परन्तु इन प्रगतिशील तत्वों का नेहरू सरकार भीषण दमन कर रही है । इस तरह चीन भारत के विभिन्न तत्वों में फूट बुलवाने का यत्न कर रहा है । जो लोग हमारी देश की स्वतंत्रता को बेचने को तैयार हैं, वे तो प्रगतिशील हैं और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले प्रतिक्रियावादी हैं क्या आज जो अपने सारे जीवन की कमाई राष्ट्र रक्षा कोष में दे रहे हैं वे प्रतिक्रियावादी हैं । परन्तु चीन इस प्रकार का प्रचार कर रहा है ताकि दुनिया को धोखा दे सके ।

ठीक है कि इस विधेयक से कुछ लोगों की स्वतंत्रता संकुचित होगी । साम्यवादी नेताओं की ३५० गिरफ्तारियों से हमें भी भी दुःख हुआ है । परन्तु किया क्या जाय, उन लोगों का देश के प्रति व्यवहार ही ऐसा है । श्री मुकर्जी का कहना है कि इस से प्रतिरक्षा कार्यों में बाधा पड़ेगी परन्तु यह नहीं बताया कि कैसे ? इस प्रकार की डींगों पर चीन तो प्रसन्न हो सकता है परन्तु हम इस पर प्रसन्न नहीं हो सकते ।

हमने साम्यवादी दल का प्रस्ताव देखा है । हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि साम्यवादी दल में भी देश भक्त हैं, परन्तु उन के प्रस्ताव में अभी कमी है । सच्चे देश भक्तों को उन साम्यवादी नेताओं की निन्दा करनी चाहिये जो कि युद्ध फ्रंट को हानि पहुचाने की बात करते हैं ।

कम्युनिस्ट दल की दयानतदारी का तब पता चलता यदि वे उन लोगों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाई करते जिन्होंने चीन के पक्ष में विचार प्रकट किये ।

टोकियो से लेकर लन्दन तक दुनिया की सब कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीनी अतिक्रमण का समर्थन किया है । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिये था कि वे अन्य देशों के कम्युनिस्ट दलों को चीन का विरोधी करने के लिए कहती या विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन से अपना सम्बन्ध तोड़ लेती ।

कम्युनिस्ट दल का जो संकल्प है वह चीनी अतिक्रमण के ठीक रूप के बारे में नहीं बताता । यह केवल इतना कहता है कि दल को यह आशा थी कि साम्यवादी देश, हथियारों के बल पर सीमा के झगड़े को हल करने की कोशिश करता ।

देश के कुछ भागों में पार्टी क्या कर रही है । पश्चिम बंगाल और आसाम में कम्युनिस्टों ने लोगों से धन एकत्रित किया और उन्होंने रसीदें दीं कि इन्हें सम्भाल कर रखो, जब चीनी आएंगे तो उन्हें दे दी जाएंगी ।

सभा का कार्य

†अध्यक्ष महोदय : संसद् कार्य मंत्री ने यहां घोषणा की थी कि ११ दिसम्बर तक सत्र चलेगा ।

विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की जो समिति है उस ने निर्णय किया चूंकि मंत्रालयों को प्रश्नों की सूचना नहीं भेजी जा रही थी अतः इस सत्र के लिये प्रश्नकाल नहीं होगा । अब इस बात पर विचार किया जा सकता है कि सदन किस समय से किस समय तक बैठेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य अल्प सूचना प्रश्न दे सकेंगे, परन्तु सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में हों। एक दिन के लिये दो अल्प सूचना प्रश्न मंजूर किए जाएंगे। उस के अतिरिक्त यदि में समझूं कि कोई जानकारी सदस्यों को दी जाए, तो प्रश्न को अतारांकित स्वीकार कर लिया जाएगा।

†**श्री रंगा** : क्या एक या दो लोकमहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाएं मंजूर हो सकेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन पर कोई रुकावट नहीं है वे तो जारी रहेंगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा की बैठक २ से ७ बजे तक हुआ करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रियों की सुविधा देखनी है। हम या तो प्रातः ६½ से १ बजे तक या २½ बजे मध्याह्नोत्तर से ७ बजे तक के लिये बैठेंगे। सरकार की सुविधा देखनी है।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : नए प्रबन्ध के बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस संबंध में कुछ सलाह करनी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सोमवार से हम १२ बजे आरम्भ करेंगे, फिर इस संबंध में निर्णय करेंगे। कल ११ बजे मिलेंगे।

†**श्री रंगा** : भारत प्रतिरक्षा विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिये या तो दो या तीन घण्टे का समय बढ़ा दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम समय बढ़ा सकते हैं।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : दो घण्टे से।

†**अध्यक्ष महोदय** : १० घण्टे चर्चा के लिए होंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २२ नवम्बर, १६६२ / अग्रहायण २, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २२ नवम्बर, १९६२

१ अग्रहायण, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२४७—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
३२१	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच रेंड बांध से प्राप्त होने वाली बिजली का वितरण	१२४७-४८
३२२	देश में बाढ़ के कारण महामारी	१२४८—५०
३२३	सोने का तस्कर व्यापार	१२५०—५३
३२५	जम्मू तथा काश्मीर में झेलम नदी जल-विद्युत् योजना	१२५३
३२७	ऊटी में सिंचाई और विद्युत गोष्ठी	१२५४
३२८	रूस से विद्युत् उत्पादन संयंत्रों का संभरण	१२५४-५५
३२९	खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट	१२५५—५८
३३०	कुट्टियादी विद्युत् परियोजना	१२५८-५९
३३१	श्री सैलम जल विद्युत् परियोजना	१२५९—६१
३३२	राज्यों में फालतू बिजली	११६१—६३
३३३	कैंसर	११६३-५४
३३४	कीटाणु नाशक दवाइयां	१२६५
३३५	कर अपवंचन रोकने के लिए न्यायाधिकरण	१२६६-६७
३३६	दिल्ली में अनधिकार वासी	१२६७—६९
३३८	पोचमपाद परियोजना	११६९-७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२७०—१३०६
तारांकित प्रश्न संख्या		
३२०	दिल्ली में क्षय रोगी	१२७०
३२४	माल्दा में पक्षाघात के मामले	१२७०-७१
३२६	सीमा शुल्क विभाग में लम्बित 'नोट पास' के मामले	१२७१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

३३७	राजस्थान नहर	१२७१–७२
३३९	राज्यों में छद्म चिकित्सा	१२७२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९८	कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों का बन्ध्यी करण	१२७२–७३
६९९	पंजाब में नगरपालिकाओं को पीने के पानी का संभरण	१२७३
७००	संभरण और निपटान के महानिदेशालय द्वारा दिए गए बिक्री कर की वसूली	१२७३–७४
७०२	विदेशी मुद्रा बैंक	१२७४
७०३	सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	१२७४
७०४	सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि	१२७५
७०५	जीवन बीमा निगम की पालिसियां	१२७५–७६
७०६	नगर निगम	१२७६
७०७	दिल्ली में बालकों के लिए नये अस्पताल	१२७६–७७
७०८	आंख के रोग	१२७७
७०९	परिवार नियोजन	१२७७–७८
७१०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	१२७९
७११	केरल में जल संभरण	१२८०
७१२	दिल्ली में डाक्टरों आदि की कमी	१२८०
७१३	पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये बिजली का सयुक्त संग्रह	१२८०
७१४	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	१२८१
७१५	सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता	१२८१
७१६	निर्यात के कम के मूल्य का बीजक	१२८२
७१७	भूमि के अर्जन और विकास की योजना	१२८२–८३
७१८	नदी घाटी परियोजनाओं के लिये लागत सेल	१२८३–८४
७१९	जठरान्त्रकोप का इलाज	१२८४
७२०	दामोदर घाटी निगम नौपरिवहन नहर	१२८४–८५
७२१	केन्द्रीय ऋण का राज्यों को लौटाया जाना	१२८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७२२	पूर्व पाकिस्तान से आये व्यक्तियों का पुनर्वास . .	१२८६
७२३	मद्रास राज्य में सिंचाई योजनायें . .	१२८६
७२४	जल विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण . .	१२८६–८७
७२५	पूर्व भारत में बिजली की कमी . .	१२८७
७२६	ऋण का भारतीय निर्यात में भुगतान . .	१२८७
७२७	श्री सेलम जल विद्युत् परियोजना .	१२८७–८८
७२८	परियोजनाओं के लिये उपबन्ध . . .	१२८८
७२९	भोपाल के एम० डी० और एम० एस० के पाठ्य क्रम .	१२८८–८९
७३०	केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण . . .	१२७९
७३१	भाखड़ा में दाहिने किनारे पर का बिजली घर .	१२८९
७३२	मानसिक रोग चिकित्सा लय और पागल खाना .	१२८९–९०
७३३	पंजाब में जलरोध निरोधक कार्य . .	१२९०
७३४	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना .	१२९०–९१
७३५	आम की गुठली के गुण धर्म . . .	१२९१
७३६	रूसी परियोजना .	१२९२
७३७	अगरतला अस्पताल में नर्सें . .	१२९२–९३
७३८	भेषज . .	१२९३
७३९	ओवरटाइम भत्ता . . .	१२९३
७४०	कृषि विकास वित्त निगम	१२९३
७४१	मुद्रण यंत्र का आयात	१२९४
७४२	शरवती जल विद्युत् परियोजना . .	१२९४
७४३	दो कमरे वाले कवार्टर	१२९४–९५
७४४	लोंग की कृषि	१२९५
७४५	दण्डकारण्य परियोजना की अनियमितताओं के बारे में विशेष पुलिस संस्थान की जांच . . .	१२९६
७४६	पंजाब में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए आवास .	१२९६
७४७	मैसूर में बांध	१२९६–९७
७४८	त्रिपुरा में बिजली पैदा करने वाले कारखाने . .	१२९७–९८
७४९	अगरतला में बाजार . . .	१२९८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

७५०	सेनीटरी इन्सपेक्टरों की केन्द्रीय परिषद्	१२९८–९९
७५१	अफीम कारखाना, गाजीपुर	१२९९
७५२	आयुर्वेदिक औषधियां	१२९९
७५३	चिकित्सा पुस्तकों के लिये पुरस्कार	१२९९–१३००
७५४	आयुर्वेदिय और यूनानी औषधियां	१३००
७५५	ग्राम्य आवास व्यवस्था का गहन कार्यक्रम	१३००–०१
७५६	मद्रास और मैसूर में प्लेग के रोगी	१३०१
७५७	सुइल नदी से संबंधित जल विद्युतयोजनाएँ	१३०१
७५८	आयुर्वेद में प्रयुक्त की जाने वाली जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण	१३०१–०२
७५९	गोआ को कोयला बिजली की सप्लाई	१३०२
७६०	जम्मू और काश्मीर में तापीय बिजली घर	१३०२
७६१	विदर्भ में पीने के पानी की योजनायें	१३०२–०३
७६२	सरकारी उद्योग क्षेत्र के लाभ में गिरावट	१३०३
७६३	साउथ एवेन्यू और साउथ ब्लाक क्षेत्र में बन्दरों का उत्पादन	१२०३
७६४	पोस्त की खेती	१३०३
७६५	अपर जमुना वेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी	१३०३–०४
७६६	जवानों के लिये दान किये गये रक्त को जमा करने की व्यवस्था का कम होना	१३०४
७६७	कलकत्ता में पानी की सप्लाई	१३०४
७६८	शरवती घाटी परियोजना	१२०५
७६९	प्रतिरक्षा बांड तथा इनामी बांड	१३०५
७७०	जम्मू तथा काश्मीर में सलाल जल विद्युत् परियोजना	१३०६
७७१	बम्बई में पकड़ा गया अवैध सोना	१३०६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३०८–१०

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति —

(एक) भारत के प्रधान मंत्री के नाम दिनांक ४ नवम्बर, १९६२ का प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई का पत्र ।

(दो) भारत के प्रधान मंत्री का प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई के नाम दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ का उत्तर ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी **विषय** **पृष्ठ**

(२) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५७ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) तीसरा संशोधन नियम, १९६२।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली की ३१ मार्च १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिपणियों सहित।

(४) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९५।

(ख) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९६।

(ग) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी०एस०आर० संख्या १३९७

(घ) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३९८।

(ङ) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४३७।

(च) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस०आर० संख्या १४३९।

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी०एस०आर० १४००।

(ख) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी०एस०आर० १४०१।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी **विषय** **पृष्ठ**

(ग) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी०एस०आर० १४०२।

(घ) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ को जी०एस०आर० १४०३।

(ङ) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी०एस०आर० १४३१।

(च) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी० एस०आर० १४३२।

(छ) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की जी०प्एस०आर० १४३३।

(ज) दिनांक ३ नवम्बर, १९५२ की जी०एस० आर० १४३४।

(७) दिनांक ४ अक्तूबर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ४(३३)/६२ फिन (इ) की एक प्रति जिस में दिल्ली संघराज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) एक्ट, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) नियम, १९६२ दिये गये हैं।

(८) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या १३/६२ की एक प्रति

(९) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धरा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६४२ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(१०) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनिमयन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८९७।

(दो) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९७२।

(तीन) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस०आर० संख्या ५०।

(चार) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी०एस०आर० संख्या २६४.

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . . १३१०

विषय — पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी : १३११

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हे तिरुचिरापल्ली के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मे यह सूचना मिली है कि श्री उमानाथ, सदस्य, लोक-सभा, २१ नवम्बर, १९६२ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अधीन गिरफ्तार कर लिये गये हैं और उसी दिन तिरुचिरापल्ली के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने तक पन्द्रह दिन की अवधि के लिये उनका रिमान्ड पेश कर दिया गया है ।

अनुपस्थिति की अनुमति १३११

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

(१) श्रीमती राज्य लक्ष्मी (२) श्री लाल श्याम शाह (३) श्री उ० मथुरामालिंग तेवर, (४) श्री पनमपिल्ली गोविन्द मेनन (५) श्री बाबूनाथ सिंह (६) श्री एरालेझियान (७) श्री यशवन्त राव मार्तण्डराव मुकाने (८) श्री अब्दुल वहीद और (९) श्री रामचन्द्र उलाका ।

विधेयक पारित १३११—२१

(१) प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन १३२२—४२

भारत के प्रतिरक्षा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९६२ / २ अग्रहायण १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि ।

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—2337 (Ai)LSD—8-1-63—140

विषय सूची—जारी

	पृष्ठ
श्री श्याम लाल सर्राफ	१३१८
भारतीय प्रशुल्क संशोधन विधेयक	१३१८—२१
श्री अ० चं० गुह	१३१८—२१
खंड १ और २	
सत्र की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में	१३१८
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक	१३२२—४८
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	१३२२-२३
श्री ही० ना० मुकर्जी	१३२३—२५
श्री अ० प्र० जैन	१३२५-२६
श्री अ० सिं० सहगल	१३२६-२७
श्री यु० सिं० चौधरी	१३२७—३०
श्री मणियंगाडन	१३३०-३१
श्री रा० शि० पाण्डेय	१३३१—३५
श्री काशी राम गुप्त	१३३५—३९
श्रीमती सुभद्रा जोशी	१३३९—४५
श्री फ्रेंक एनथनी	१३४५-४६
श्री बसुमतारी	१३४६
श्री हेम बरुआ	१३४६—२८
दैनिक संक्षेपिका	१३४९—५५

P.L.S. 41. X. 12. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।